

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2018-19



स्पाइसेस बोर्ड भारत SPICES BOARD INDIA

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce & Industry
भारत सरकार
Government of India
कोचिन / Cochin - 682 025



त्पाइसेस बोर्ड
भारत

स्पाइसेस बोर्ड

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

स्पाइसेस बोर्ड

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

भारत सरकार

सुगंध भवन, पी.बी. नं : 2277, कोच्ची - 682 025

दूरभाष : 0484-2333610-616, 2347965

ई-मेल : mail.sboard@gov.in

वेबसाइट : www.indianspices.com



संकलन और संपादन

1. श्री रोय जोसफ
उप निदेशक (यो व स)
2. डॉ. जी. उषाराणी
सहायक निदेशक (रा.भा.)
3. श्री प्रत्यूष टी.पी.
सहायक निदेशक (विपणन)

तकनीकी समर्थन

1. श्रीमती एम.एन. गीता
वैयक्तिक सहायक
2. श्री बिजू डी. षेणार्ई
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक
3. श्री आर. जयचन्द्रन
ई डी पी सहायक



विषय सूची

कार्यकारी सारांश	:	5
1. संघटन और प्रकार्य	:	8
2. प्रशासन	:	10
3. वित्त और लेखा	:	16
4. निर्यातोन्मुख उत्पादन	:	18
5. निर्यात विकास और संवर्धन	:	27
6. प्रचार एवं संवर्धन	:	39
7. कोडेक्स सेल और हस्तक्षेप	:	42
8. गुणवत्ता में सुधार	:	44
9. निर्यातोन्मुख अनुसंधान	:	50
10. सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण	:	55
11. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन	:	56
परिशिष्ट I	:	57



कार्यकारी सारांश

स्पाइसेस बोर्ड भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी संवर्धन का अग्रणी संगठन है। बोर्ड, वैश्विक मसाला बाजार के औद्योगिक, फुटकर और खाद्य सेवा खंडों को स्वच्छ और मूल्यवर्द्धित मसालों तथा शाकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंस्करण हब और प्रमुख आपूर्तिकता बनने के लक्ष्य को पाने में भारतीय मसाला उद्योग को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, भारतीय मसालों की उत्कृष्टता हेतु कार्यकलापों की अगुवाई करता है। गुणवत्ता और स्वच्छता, बोर्ड के विकास और संवर्धनात्मक गतिविधियों की आधारशिलाएं हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान, भारतीय मसालों के निर्यात में सतत वृद्धि जारी रही। वर्ष 2018-19 के दौरान, भारतीय मसालों ने अपना बढ़ता रुझान जारी रखा। वर्ष 2018-19 के दौरान, परिमाण में तीन प्रतिशत और रुपए के हिसाब से - मूल्य में पाँच प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, वर्ष 2017-18 के 17980.16 करोड़ रुपए (यू एस डोलर 2789.35 दशलक्ष) मूल्यवाले 10,28,060 टन के मुक्काबले में, देश से 18845.00 करोड़ रुपए (यू एस डोलर 2710.44 दशलक्ष) मूल्यवाले कुल 10,63,020 टन मसालों और मसाले उत्पादों का निर्यात किया गया। तथापि, डोलर के तौर पर, मूल्य में तीन प्रतिशत की गिरावट है, जो भारतीय मुद्रा के मूल्यहास के कारण है।

वर्ष 2018-19 के लिए नियत मसालों के कुल निर्यात लक्ष्य की तुलना में, मसालों का कुल निर्यात, मात्रा एवं मूल्य - दोनों दृष्टियों से लक्ष्य से आगे बढ़ गया है। लक्ष्य बनाए 10,50,000 मी.ट. की मात्रा और 18,000 करोड़ रुपए (यू एस डोलर 2656.87 दशलक्ष) की अपेक्षा लब्धि मात्र के तौर पर 101 प्रतिशत और मूल्य के तौर पर रुपए में 105 प्रतिशत तथा डोलर के हिसाब से 101 प्रतिशत रही।

वर्ष 2018-19 के दौरान, इलायची (बड़ी), मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा और अन्य बीज जैसे कि अजोवन बीज, सरसों आदि के निर्यात ने वर्ष 2017-18 की तुलना में मात्रा और मूल्य - दोनों में बढ़ता रुख दर्शाया है। सेलरी, मेथी और पुदीना उत्पादों के निर्यात में केवल मूल्य के तौर पर वृद्धि हुई है। मूल्य वर्द्धित उत्पादों के मामले में करी पाउडर/पेस्ट के निर्यात ने मात्रा और मूल्य-दोनों की दृष्टि से विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाई है।

अन्य सभी मसालों के निर्यात में विगत वर्ष की तुलना में मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में गिरावट हुई है।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत “मसालों में निर्यात संवर्धन गुणवत्ता सुधार तथा इलायची के अनुसंधान व विकास के लिए एकीकृत योजना” का स्थायी वित्त समिति ने 491.78 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय हेतु मध्यावधि संरचना योजना (2017-18 से 2019-20) के अंतर्गत अनुमोदन किया। वर्ष 2018-19 में मध्यावधि संरचना के अंतर्गत 151.00 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के विरुद्ध बोर्ड को 90.93 करोड़ रुपए की निवल राशि मंजूर की गई और कुल व्यय 99.19 करोड़ रुपए था।

स्पाइसेस बोर्ड ने, मसाला उद्योग के पणधारियों को, खासकर कृषि समुदाय को, सशक्त बनाने हेतु आम अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करते हुए प्रमुख उत्पादन/विपणन केंद्रों में फसल विशेष मसाला पार्कों की स्थापना की है। बोर्ड ने मध्य प्रदेश के छिंदवाडा और गुना में; केरल के पुट्टुडी; राजस्थान के जोधपुर; आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तमिलनाडु के शिवगंगा में मसाला पार्कों की स्थापना की है। वर्ष 2018-19 में माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के राय बरेली में और राजस्थान के रामगंज मंडी, कोटा में भी मसाला पार्कों का उद्घाटन किया।

वर्ष के दौरान कोच्ची, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, गुंटूर, तूतिकोरिन और कांडला की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने चयनित मसालों के निर्यात परेषणों की विश्लेषणात्मक सेवाएं और अनिवार्य परीक्षण व प्रमाणन कार्य जारी रखे। कोलकत्ता की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला का काम लगभग पूरा होने वाला है। बोर्ड की सभी क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं ए एस आई डी ई योजना के अंतर्गत स्थापित हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रयोगशालाओं ने एफ्लाटाॉक्सिन, अवैध रंजक, नाशीजीवनाशी अवशेष, सालमोनेल्ला आदि सहित विभिन्न पैरामीटरों के लिए 1,18,748 नमूनों का विश्लेषण किया है।

स्पाइसेस बोर्ड प्रत्यक्ष बाजार संबंध स्थापित करने के लिए मसाला उत्पादकों और निर्यातकों के बीच अंतःसंवाद के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्रों में क्रेता-विक्रेता का परस्पर-मिलन आयोजित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19



में तीन परस्पर-मिलन का आयोजन किया गया, प्रथम, लहसुन के लिए 26 अप्रैल 2018 को कोटा, राजस्थान में, द्वितीय, नागौरी पान मेथी और बीज मसालों के लिए 24 जनवरी 2019 को नागौर, राजस्थान में, तृतीय, हल्दी, कालीमिर्च, इलायची, जायफल, कोकम और लौंग के लिए 2 मार्च 2019 को रत्नगिरी, महाराष्ट्र में।

कोंकण क्षेत्र में मसालों के समेकित विकास के लिए “महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में मसालों की एकीकृत मूल्य श्रृंखला का विकास” शीर्षस्थ परियोजना की बोर्ड ने संकल्पना बनाई और एमआईडीएच के अंतर्गत परियोजना के अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए मई 2018 में प्रधान सचिव, कृषि, महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत की, जिसकी एक प्रति आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र सरकार को भी भेजी गई।

अरुणाचल प्रदेश में नामसाई ने ‘स्पाइस फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी’ का ‘नामसाई ऑर्गेनिक स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी’ के नाम से पंजीकरण कराया गया है और कंपनी कार्य मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2018 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमन का प्रमाणपत्र जारी किया। अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने 31 मई, 2018 को सरकारी तौर पर ‘नामसाई ऑर्गेनिक स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी’ उत्तर पूर्वी क्षेत्र की प्रथम मसाला कृषक उत्पादन कंपनी, के मूल्य वर्द्धित उत्पादों का लांचिंग किया।

स्पाइसेस बोर्ड ने, मसालों और मसाला उत्पादों के उत्कृष्ट निर्यातकों और इलायची उत्पादकों, जिन्होंने उच्चतम उत्पादकता हासिल की है, को सम्मानित करने के लिए मसालों के निर्यात और इलायची (छोटी) में उत्पादकता में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार स्थापित किए हैं। वर्ष 2018-19 में, बोर्ड ने वर्ष 2014-15 के मसालों के निर्यात और वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 में छोटी इलायची की उत्पादकता में उत्कृष्टता के लिए दिनांक 08.12.2018 को कोच्ची में पुरस्कार वितरित किए।

मसालों और पाक शाकों पर कोडेक्स समिति का चौथा सत्र 21 से 25 जनवरी 2019 की अवधि में तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। श्री पी. सदाशिवम, केरल के माननीय राज्यपाल ने सत्र का उद्घाटन किया और श्री सुरेश प्रभु, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री ने मीडिया संदेश के माध्यम

से अपना अध्यक्षीय सम्बोधन दिया और सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने मुख्य भाषण दिया। इस सत्र में 28 देशों के प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया।

श्री सुरेश प्रभु, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री ने 28 जनवरी, 2019 को गोवा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में एक भौगोलिक सूचक स्टोर का उद्घाटन किया और स्पाइसेस बोर्ड ने स्टोर में जीआई पंजीकरण जैसेकि आलप्पी ग्रीन कार्डमम, मलबार पेप्पर आदि मसालों का प्रदर्शन किया है।

स्पाइसेस बोर्ड ने, श्री सुरेश प्रभु, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री के साथ कृषि निर्यात नीति के संबंध में परस्पर मिलन 26 फरवरी, 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषक उत्पादक संगठनों/मसाला उत्पादक सोसाइटियों /उत्पाद समूहों आदि की प्रतिभागिता का आयोजन किया था। केरल के इडुक्की, सिक्किम के गान्तोक और अरुणाचल प्रदेश के नामसाई से मसाला क्षेत्र के पणधारकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया।

छोटी इलायची और अन्य मसालों के लिए वार्षिक अनुसंधान परिषद की बैठक का आयोजन 4 और 5 फरवरी, 2019 स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय, कोच्ची में हुआ और भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आई सी आर आई) द्वारा किए गए अनुसंधान और सहायक कार्यकलापों की विशेषज्ञ पैनल ने समीक्षा की।

स्पाइसेस बोर्ड, मसालों की खेती और प्रसंस्करण में संलिप्त कृषकों के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत रिकगनाइज़ेशन ऑफ प्रायर लर्निंग योजना का कार्यान्वयन करता आ रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 418 पणधारकों के लिए 11 कार्यक्रम उत्तर प्रदेश (दो), केरल (तीन), असम (चार), तमिलनाडु और बिहार (प्रत्येक में एक) आयोजित किए गए।

बोर्ड ने इस वर्ष उत्तर पूर्व क्षेत्र से 53 कृषकों (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति), पश्चिमी बंगाल के सिक्किम, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिले के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 49 कृषकों के लिए प्रकटन दौरा आयोजित किया। कृषकों को मसाला प्रसंस्करण इकाइयों, इलायची नीलामी केंद्र और केरल में अनुसंधान संस्थान ले जाया



गया। उन्हें मसाला पौधशाला प्रबंधन और उत्कृष्ट कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया गया।

स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय का राजभाषा अनुभाग, राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम बनाने और उनका संचालन करने में बोर्ड की सहायता करने और बोर्ड के कार्यालयों में राजभाषा नीति के मॉनीटरिंग और कार्यन्वयन हेतु उत्तरदायी नॉडल बिन्दु है। राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और आदेशों के अनुरूप, राजभाषा अनुभाग, सचिव और बोर्ड की राजभाषा कार्यन्वयन समिति की सहमति और अनुमोदन से वर्ष 2018-19 के दौरान भी राजभाषा नीति के कार्यन्वयन को अधिक कारगर और प्रभावी बनाने में राजभाषा अनुभाग प्रयासरत रहा।

बोर्ड ने आर टी आई अधिनियम 2005 को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया है और इस संबंध में सरकार के सभी दिशानिर्देशों का पालन किया है। आर टी आई अधिनियम 2005 के अनुसार, बोर्ड ने सूचना के समन्वयन एवं प्रसारण हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(2) के अधीन समन्वय केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सी सी पी आई ओ) के रूप में उप निदेशक (लेखा परीक्षा व सतर्कता) को, सात केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (सी पी आई ओ) और 21 केंद्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (सी ए पी आई ओ) को नामोद्दिष्ट किया है। वर्ष 2018-19 के दौरान, आर टी आई अधिनियम के अधीन सरकार के ऑनलाइन पोर्टल और ऑफलाइन माध्यम से कुल 71 आवेदन और पाँच अपीलें प्राप्त हुए और सभी मामलों से संबंधित जानकारी निर्धारित समय के अंतर्गत प्रदान की गई।



1. संघटन और प्रकार्य

अ) स्पाइसेस बोर्ड का संघटन

संसद द्वारा अधिनियमित स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 10) में इलायची की खेती एवं उससे जुड़े मामलों के नियंत्रण सहित मसालों के निर्यात के विकास तथा इलायची उद्योग के नियंत्रणार्थ बोर्ड के गठन का प्रावधान है। सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार ने स्पाइसेस बोर्ड का गठन किया, जो 26 फरवरी 1987 से अस्तित्व में आ गया।

आ) स्पाइसेस बोर्ड की सदस्यता में

- क) अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी
- ख) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोकसभा से और एक राज्य सभा से चुने होते हैं
- ग) केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों के प्रतिनिधि तीन सदस्य
- 1) वाणिज्य
 - 2) कृषि; एवं
 - 3) वित्त;
- घ) मसाले कृषकों के प्रतिनिधि छह सदस्य;
- ङ) मसाले निर्यातकों के प्रतिनिधि दस सदस्य;
- च) प्रमुख मसाले उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि तीन सदस्य;
- छ) निम्नलिखित प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करनेवाले चार सदस्य
- 1) योजना आयोग (संप्रति नीति आयोग);
 - 2) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई;
 - 3) केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसुरु;
 - 4) भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान, कोषिकोड;
- झ) मसाले श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधि एक सदस्य।
- * वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना नं. 157(ई) दिनांक 2 फरवरी, 2018 के अनुसार संशोधित.

इ) बोर्ड के कार्य

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986, के मुताबिक स्पाइसेस बोर्ड को निम्नलिखित काम सौंप दिए गए हैं।

क) बोर्ड

- (i) मसालों का विकास, प्रचार एवं निर्यात नियमन करें;
- (ii) मसालों के निर्यात के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करें;
- (iii) मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम व परियोजना चलाएं;
- (iv) मसालों के प्रसंस्करण, ग्रेडिंग व पैकेजिंग की गुणवत्ता तकनीक के सुधार के लिए अनुसंधान व अध्ययन कार्य को सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान करें;
- (v) निर्यातार्थ मसालों के मूल्य के स्थिरीकरण की दिशा में प्रयास करें;
- (vi) उपयुक्त गुणवत्ता प्रतिमानों का विकास तथा निर्यात-लायक मसालों का "गुणवत्ता चिह्नकन" द्वारा गुणवत्ता प्रमाणीकरण करें;
- (vii) निर्यातार्थ मसालों की गुणवत्ता का नियंत्रण करें;
- (viii) निर्यातार्थ मसालों के विनिर्माताओं को निर्धारित निबंधनों व शर्तों के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान करें;
- (ix) निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यकता महसूस होने पर किसी भी मसाले का विपणन करें;
- (x) मसालों के लिए विदेशों में भंडागार सुविधाएं प्रदान करें;
- (xi) संकलन एवं प्रकाशनार्थ मसाले विषयक सांख्यिकी इकट्ठा करें;
- (xii) केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से बिक्री के लिए किसी भी मसाले का आयात करें; तथा
- (xiii) मसालों के आयात-निर्यात संबंधी बातों पर केंद्रीय सरकार को सलाह दे दें।



ख) साथ ही, बोर्ड

1. इलायची कृषकों के बीच सहकारी प्रयासों को बढ़ावा दें;
2. इलायची कृषकों को लाभकारी पारिश्रमिक सुनिश्चित करें;
3. इलायची खेती और प्रसंस्करण के सुधरे तरीकों, इलायची पुनरोपण तथा इलायची खेती इलाकों के विस्तारण केलिए वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करें;
4. इलायची की बिक्री को विनियमित तथा उसके मूल्य को स्थिर रखें;
5. इलायची की जाँच तथा उसके ग्रेड मानदण्डों को स्थिर करने का प्रशिक्षण प्रदान करें;
6. इलायची के उपभोग को बढ़ावा दें तथा उसके प्रचार-प्रसार को जारी रखें;
7. इलायची के (नीलामकर्ताओं सहित) दलालों एवं इलायची का धंधा करनेवाले लोगों को पंजीयन और अनुज्ञप्ति दें;
8. इलायची के विपणन में सुधार करें;
9. इलायची उद्योग से जुड़े किसी भी विषय पर कृषकों, व्यापारियों या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट लोगों से आँकड़ा इकट्ठा करें और उनको या उनके अंश को या उनके सारांश को प्रकाशित करें;
10. श्रमिकों केलिए बेहतर कार्यकारी परिस्थितियाँ और सुविधाओं की व्यवस्था तथा प्रोत्साहन को भी सुनिश्चित करें और
11. वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान कार्य चलाएँ, उनकेलिए प्रोत्साहन या सहायता प्रदान करें।

ई) बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले मसाले

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित 52 मसाले आते हैं

1	इलायची	19	कोकम	37	जूनिपर बेरी
2	कालीमिर्च	20	पुदीना	38	बेपत्ता
3	मिर्च	21	सरसों	39	लूवेज
4	अदरक	22	अजमोद	40	मजौरम
5	हल्दी	23	अनारदाना	41	जायफल
6	धनिया	24	केसर	42	जावित्री (मेस)
7	जीरा	25	वैनिला	43	तुलसी
8	बडी सौंफ	26	तेजपात	44	खसखस
9	मेथी	27	पीपला	45	ऑलस्पाइस
10	सेलरी	28	स्टार एनीज़	46	रोज़मेरी
11	सौंफ	29	घोड बच (स्वीट फ्लैग)	47	सेज
12	अजोवन (मसाले का पौधा)	30	महा गलेंजा	48	सेवरी
13	काला जीरा	31	होसैरैडिश	49	थाइम
14	सोआ	32	केपर	50	ओरगेनो
15	दालचीनी	33	लॉंग	51	टेरागन
16	अमलतास (कैसिया)	34	हींग	52	इमली
17	लहसुन	35	केंबोज		
18	करी पत्ता	36	हिस्सप		

(करी पाउडर, मसाले तेल, तैलीराल एवं अन्य मिश्रण सहित किसी भी रूप में हो, जहाँ मसाला घटक प्रमुख है)



2. प्रशासन

क) प्रशासन

डॉ. ए. जयतिलक, आईएएस, अध्यक्ष, एमपीईडीए ने स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष का 13.06.2018 तक अतिरिक्त प्रभार धारित किया। “वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, सचिव (स्पाइसेस बोर्ड) भर्ती नियम, 2018” की दिनांक 02.02.2018 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार सचिव, स्पाइसेस बोर्ड का पद, भारत सरकार द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के ग्रेड के अधिकारी से भरा गया है। तुसार, डॉ. ए. जयतिलक, आईएएस, अध्यक्ष ने 13.03.2018 से 04.07.2018 तक सचिव, स्पाइसेस बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार भी धारित किया।

कार्यालय आदेश संख्या A12022/32/2016E-IV दिनांक 12.06.2018 के अनुसार श्री सुभाष वासु ने दिनांक 14.06.2018 से अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड के कार्यालय का कार्यभार ग्रहण किया। डॉ. एम. के. षण्मुगा सुंदरम आई ए एस, विकास आयुक्त, एमईपीजेड, चेन्नई ने सचिव, स्पाइसेस बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार 18.07.2018 को ग्रहण किया और वे 17.03.2019 तक इस पद पर बने रहे। श्री डी. सत्यन, आई एफ एस ने सचिव, स्पाइसेस बोर्ड का कार्यभार 18.03.2019 को ग्रहण किया और वे तब से अब तक बने हुए हैं।

श्री एस. सिद्धारामप्पा, ने 13.03.2018 तक सचिव का और निदेशक (वित्त) का 30.06.2018 तक अतिरिक्त कार्यभार धारित किया। डॉ. रमाश्री ए. बी., निदेशक (अनुसंधान) ने निदेशक (विकास) का अतिरिक्त कार्यभार 30.06.2018 तक और निदेशक (वित्त) का 01.07.2018 से 14.03.2019 तक कार्यभार धारित किया। तत्पश्चात्, श्री पी.एम. सुरेश कुमार, निदेशक ने निदेशक (वित्त) का पद धारित किया।

श्री पी.एम. सुरेश कुमार ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान निदेशक (विपणन) के रूप में काम किया और 01.07.2018 से 14.03.2019 की अवधि तक निदेशक (विकास) का अतिरिक्त कार्यभार धारित किया। तत्पश्चात्, डॉ. रमाश्री ए. बी. निदेशक (अनुसंधान) ने निदेशक (विकास) का पद धारित किया।

स्पाइसेस बोर्ड की 31.03.2019 को स्टाफ की संख्या 373 थी जिसमें वर्ग 'क' के 82, वर्ग 'ख' के 117 और वर्ग 'ग' के 174

जिसमें विभागीय कैंटीन के छः कर्मचारी शामिल हैं।

नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. के लिए आरक्षण

बोर्ड अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. के लिए पद आधारित आरक्षण रोस्टर का उचित रूप से कार्यान्वयन करता है। सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी अनुदेशों का भी कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। जैसे कि 31 मार्च, 2019 को है, अ.जा/अ.ज.जा और अ.पि.व. की श्रेणियों में क्रमशः 51, 38 एवं 114 पदाधिकारी थे। मितोपभोग उपायों के कारण वाणिज्य विभाग से प्राप्त निदेशों के अनुसार रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पदाधिकारियों को न कोई पदोन्नति दी गई और न ही कोई नियुक्ति हुई है।

महिला कल्याण

जैसे कि 31 मार्च 2019 को है, बोर्ड की 'क', 'ख' व 'ग' श्रेणियों की महिला पदाधिकारियों की कुल संख्या 107 है। महिला पदाधिकारियों की शिकायतों पर समय पर और उचित तौर पर ध्यान दिया जाता है। बोर्ड की वर्ग 'क' स्तर की एक महिला अधिकारी को “महिला कल्याण अधिकारी” के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि महिलाओं की परेशानियां/समस्याएं, यदि कोई हो, तो उन्हें जानने और संभव समाधान के लिए सुझावों के साथ उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके।

अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. कल्याण

बोर्ड द्वारा अ.जा/अ.ज.जा व अ.पि.व. के कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल हेतु और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समितियों का गठन किया जा चुका है। बोर्ड द्वारा अ.जा/अ.ज.जा व अ.पि.व. से संबंधित आरक्षण मामलों के लिए संपर्क अधिकारियों को पदनामित किया जा चुका है।

दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण

बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े आरक्षण मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी को पदनामित किया है और विकलांग व्यक्तियों का आरक्षण रोस्टर बनाए रखा जाता है।



आंतरिक लेखापरीक्षा

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान इस्ट्र्यूट ऑफ ऑडिटेर्स ऑफ इंडिया (आईपीएआई) ने बोर्ड की आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों में परामर्शदाता सेवाएं प्रदान करने का काम जारी रखा।

बोर्ड की बैठकें

चूंकि फरवरी 2017 को बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हुआ था और बोर्ड का पुनर्गठन नहीं हुआ था, रिपोर्टधीन अवधि के दौरान किसी भी बोर्ड बैठक का आयोजन नहीं किया जा सका। बोर्ड के सदस्यों की सूची का प्रारूप वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतिमरूप/अनुमोदन की प्रतीक्षा की जाती है।

बोर्ड के कार्यालय

बोर्ड का मुख्यालय कोच्ची में स्थित है। बोर्ड के देश भर में 105 कार्यालय हैं जिनमें 31 निर्यात संवर्धन कार्यालय, छोटी व बड़ी इलायची के लिए 59 अनुसंधान व विकास कार्यालय, सात गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ (गु.मू.प्र.) और आठ मसाला पार्क शामिल हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड के निम्नलिखित कार्यालय प्रवृत्त रहे।

i) निर्यात संवर्धन कार्यालय

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1.	पडेरू	आंध्र प्रदेश
2.	खम्मम	आंध्र प्रदेश
3.	वारंगल	आंध्र प्रदेश
4.	गुवाहटी	असम
5.	पटना	बिहार
6.	जगदलपुर	छत्तीसगढ़
7.	पोंडा	गोवा
8.	अहमदाबाद	गुजरात
9.	सुरेंद्र नगर	गुजरात
10.	ऊँझा	गुजरात
11.	जामनगर	गुजरात
12.	उना	हिमाचल प्रदेश
13.	श्रीनगर	जम्मू व कश्मीर

14.	बेंगलूरु	कर्नाटक
15.	नागपुर	महाराष्ट्र
16.	साँगली	महाराष्ट्र
17.	चुराचंदपुर	मणिपुर
18.	इंफाल	मणिपुर
19.	शिलांग	मेघालय
20.	ऐज़ल	मिज़ोरम
21.	नई दिल्ली	नई दिल्ली
22.	कोरापुट	उड़ीसा
23.	चंडीगढ़	पंजाब/हरियाणा
24.	नागरकोविल	तमिलनाडु
25.	निज़ामाबाद	तेलंगाना
26.	हैदराबाद	तेलंगाना
27.	अगरतला	त्रिपुरा
28.	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश
29.	साँबल	उत्तर प्रदेश
30.	देहरादून	उत्तराखंड
31.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

(ii) अनुसंधान व विकास कार्यालय/फार्म

छोटी इलायची का अनुसंधान व विकास		
क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1.	अडिमाली	केरल
2.	एलप्पारा	केरल
3.	कल्पेट्टा	केरल
4.	कट्टप्पना	केरल
5.	कुमली	केरल
6.	मैलाडुम्पारा	केरल
7.	नेडुंकण्डम	केरल
8.	पांपाडुम्पारा	केरल
9.	पीरमेड	केरल
10.	पुट्टुडी	केरल
11.	राजाक्काड	केरल
12.	राजकुमारी	केरल
13.	शांतनपारा	केरल
14.	उडुंबनचोला	केरल
15.	बोडिनायकन्नूर	तमिलनाडु
16.	इरोड	तमिलनाडु



17.	सेलम	तमिलनाडु
18.	तडियनकुडिशी	तमिलनाडु
19.	बत्तलगुंटू	तमिलनाडु
20.	आइगूर (फार्म)	कर्नाटक
21.	बागमंडला	कर्नाटक
22.	बेलगोला (फार्म)	कर्नाटक
23.	बेलिगेरी	कर्नाटक
24.	बेट्टडामने	कर्नाटक
25.	चिकमंगलूर	कर्नाटक
26.	डोनिगल	कर्नाटक
27.	हावेरी	कर्नाटक
28.	कोप्पा	कर्नाटक
29.	मडिककेरी	कर्नाटक
30.	मुडिगेरे	कर्नाटक
31.	सकलेशपुर	कर्नाटक
32.	शिवमोगा	कर्नाटक
33.	सिरसी	कर्नाटक
34.	सोमवारपेट	कर्नाटक
35.	वनगूर	कर्नाटक
36.	विराजपेट	कर्नाटक
37.	येसलूर	कर्नाटक

बड़ी इलायची का अनुसंधान व विकास

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1.	आलो	अरुणाचल प्रदेश
2.	बोमडिला	अरुणाचल प्रदेश
3.	चांगलांग	अरुणाचल प्रदेश
4.	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश
5.	नमसाई	अरुणाचल प्रदेश
6.	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश
7.	रोइंग	अरुणाचल प्रदेश
8.	तेजू	अरुणाचल प्रदेश
9.	ज़िरो	अरुणाचल प्रदेश
10.	तिनसुकिया	असम
11.	दीमापुर	नागालैंड
12.	कोहिमा	नागालैंड
13.	मोकोकचुंग	नागालैंड
14.	गान्तोक	सिक्किम

15.	गेयसिंग	सिक्किम
16.	जोरथांग	सिक्किम
17.	काबी	सिक्किम
18.	मंगन	सिक्किम
19.	पांगथांग	सिक्किम
20.	तादोंग	सिक्किम
21.	कलिम्पोंग	पश्चिम बंगाल
22.	सुखियापोखरी	पश्चिम बंगाल

(iii) गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (क्यू ई एल)

1.	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
2.	काण्डला	गुजरात
3.	कोच्ची	केरल
4.	मुम्बई	महाराष्ट्र
5.	नरेला	नई दिल्ली
6.	चेन्नई	तमिलनाडु
7.	तूतिकोरिन	तमिलनाडु

(iv) मसाला पार्क

1.	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
2.	पुडुडी	केरल
3.	छिंदवाडा	मध्य प्रदेश
4.	गुना	मध्य प्रदेश
5.	जोधपुर	राजस्थान
6.	रामगंज मंडी (कोटा)	राजस्थान
7.	शिवगंगा	तमिलनाडु
8.	राय बरेली	उत्तर प्रदेश

विभाग से जुड़ी संसदीय स्थायी समितियों का ब्यौरा

वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित तीन संसदीय समितियों ने अध्ययन दौरा किया और स्पाइसेस बोर्ड के साथ बैठकें कीं।

- लोक सभा की अधीनस्थ विधान पर संसदीय स्थायी समिति ने 14 मई, 2018 को तिरुवनंतपुरम का दौरा किया और स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गठित नियमों/विनियमों पर चर्चा की।
- संसदीय राजभाषा समिति ने 26.05.2018 को कोच्ची का दौरा किया।



- वाणिज्य विभाग से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने “जैविक उत्पादों का निर्यात : चुनौतियां और अवसर” विषय पर अध्ययन करने के लिए 19 से 23 नवंबर, 2018 की अवधि में गान्तोक और गुवाहटी का दौरा किया।

ख. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

प्रमुख कार्यकलाप और उपलब्धियां:

i) अनुवाद

निम्नलिखित का अनुवाद कार्य (अंग्रेजी से हिन्दी और उल्टे) किया गया;

- राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज जैसे कि सामान्य आदेश (परिपत्र), निविदा दस्तावेज, विज्ञापन, प्रेस विज्ञापित, अधिसूचना, वीआईपी संदर्भ आदि।
- वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2017-18 और संसद के समक्ष प्रस्तुत बोर्ड की अन्य प्रशासनिक रिपोर्ट।
- पृष्ठभूमि टिप्पणियां, विभिन्न संसदीय समितियों के आगमन/बोर्ड के निरीक्षण के लिए भरी हुई प्रश्नावली और अन्य सामग्री।
- हिन्दी में प्राप्त पत्र और उनके हिन्दी में उत्तर
- सेवारत कार्मिकों के लिए विजिटिंग कार्ड, रबड़ मुहर और बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को स्मृतिचिह्न के लिए सामग्री।
- बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न शासकीय, समारोहों के लिए सामग्री (बैनर, बैकड्रॉप, निमंत्रणकार्ड, कार्यक्रम शीट आदि)।

ii) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

1) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित करने के अनुरूप चार बैठकें क्रमशः 25.06.2018 (अप्रैल-जून, 2018), 18.09.2018 (जुलाई-सितंबर, 2018), 31.12.2018 (अक्टूबर-दिसंबर, 2018) और 25.03.2019 (जनवरी-मार्च,

2019) को आयोजित की गईं। इन बैठकों की अध्यक्षता सचिव अथवा उनकी अनुपस्थिति में निदेशक (वित्त) ने की।

2) हिन्दी कार्यशाला

स्टाफ सदस्यों के लिए मुख्यालय में तीन हिन्दी कार्यशालाओं क्रमशः 27 जून, 2018, 29 सितंबर, 2018 और 13 मार्च, 2019 का आयोजन किया गया जिनमें 54 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें बोर्ड की राजभाषा नीति के साथ-साथ राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के कार्यकलापों से अवगत कराया गया।

पश्चिम बंगाल के सिक्किम और दार्जिलिंग जिले में कार्यरत बोर्ड के स्टाफ सदस्यों के लिए 22 नवंबर, 2018 को क्षेत्रीय कार्यालय, स्पाइसेस बोर्ड, गान्तोक, सिक्किम में एक दिवसीय क्षेत्रीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री महेश कुमार सिंह, हिन्दी प्राध्यापक, हिन्दी शिक्षण योजना, गान्तोक कार्यशाला में संकाय सदस्य थे। क्षेत्र के 18 स्टाफ सदस्यों को इस कार्यशाला में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह निर्णय लिया गया था कि देश के उत्तरी भागों में कार्यरत कार्मिकों को केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा 07.01.2019 से प्रारंभ होने वाले पांच दिवसीय गहन कार्यशाला में नामित किया जाए। तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के एक कार्मिक ने मार्च, 2019 में कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

3) सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण

मुख्यालय के चार स्टाफ सदस्यों को केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अंतर्गत पत्राचार माध्यम से (हिन्दी प्रबोध-1 और प्रवीण-3) में सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया। इसके अलावा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आठ कार्मिकों और क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली से एक कार्मिक को सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण (प्रबोध-5 और प्रज्ञ-1 के लिए नामित किया गया।

4) हिन्दी समाचार पत्र/पत्रिकाओं के लिए चंदा

बोर्ड ने, हिन्दी अखबार ‘दैनिक हिन्दी मिलाप’ और सरिता व वनिता नामक हिन्दी पत्रिकाओं के लिए चंदा ज़ारी रखा।

5) राजभाषा निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की तृतीय उप-समिति ने बोर्ड के



मुख्यालय का 26.05.2018 को दौरा/निरीक्षण किया।

उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण-पश्चिम), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, कोच्ची ने बोर्ड के मुख्यालय का 28 नवंबर, 2018 को दौरा किया और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में बोर्ड के कार्यकलापों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के आवश्यक कदम उठाए गए हैं और क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोच्ची को उनकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई है।

6) हिन्दी दिवस/पखवाड़ा समारोह 2018

बोर्ड ने 14 सितंबर, 2018 को 'हिन्दी दिवस' का आयोजन किया। डॉ. ए.बी. रमाश्री, निदेशक (अनुसंधान व वित्त) ने मुख्यालय में 14 सितंबर, 2018 को हिन्दी पखवाड़ा समारोह, 2018 का उद्घाटन किया। श्री पी.एम. सुरेश कुमार, निदेशक (विपणन और विकास) ने मुख्य संबोधन दिया। डॉ. जी. उषारानी, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने इस अवधि में राजभाषा अनुभाग के कार्यकलापों की संक्षिप्त जानकारी दी। श्री एन. अनिलकुमार, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने सभी उपस्थितों का स्वागत किया और श्री बिजू डी षेणार्ई, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात् जोधपुर, गुंटूर, गुवाहटी, गान्तोक, नई दिल्ली और आईसीआरआई, मैलाडुंपारा में भी हिन्दी दिवस और हिन्दी पखवाड़ा समारोहों का आयोजन किया गया। मुख्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों में स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

बोर्ड ने हिन्दी पखवाड़े के समापन समारोह का आयोजन मुख्यालय में 07 फरवरी 2019 को किया समारोह के मुख्य अतिथि कैप्टन संजय जायसवाल, कमान अधिकारी, 7 केरल नौसेना एनसीसी बटालियन, एरणाकुलम थे। समारोह में मुख्यालय के स्टाफ सदस्यों के लिए आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं, स्टाफ द्वारा हिन्दी में किए गए सराहनीय कार्य, राजभाषा प्रतिभा पुरस्कार, अनुभागों के लिए राजभाषा रोलिंग/स्त्रर अप ट्रोफी, वर्ष 2018 में राजभाषा नीति के

कार्यान्वयन में विशेष प्रयास के लिए पुरस्कार, स्टाफ सदस्यों द्वारा सफलतापूर्वक सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण पूरा करने आदि के लिए मुख्य अतिथि ने ट्रोफी/नकद पुरस्कार/प्रमाणपत्र प्रदान किए।

7) कोच्ची नराकास द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभागिता

- स्पाइसेस बोर्ड ने संयुक्त राजभाषा समारोह 2018 से जुड़े खर्च की पूर्ति के लिए कोच्ची नराकास को सहायता प्रदान की
- 20.04.2018 को संपन्न नराकास की बैठक में स्पाइसेस बोर्ड के सहायक निदेशक (राजभाषा) और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने भाग लिया
- निदेशक (विपणन) और सहायक निदेशक (राजभाषा) ने 19.06.2018 को आयोजित नराकास बैठक में भाग लिया
- निदेशक (अनुसंधान और वित्त) और कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने 15.03.2019 को आयोजित नराकास के पुरस्कार समारोह में भाग लिया
- निदेशक (विपणन) और कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने 26.03.2019 को आयोजित नराकास बैठक में भाग लिया
- सहायक निदेशक और कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने आईसीएआर - सीआईएफटी द्वारा 23.07.2018 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन: प्रगामी प्रयास पर संगोष्ठी में भाग लिया

iii) स्पाइस इंडिया (हिन्दी)

राजभाषा स्कन्ध ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रूफ शोधन, मुद्रण प्रभार आदि का भुगतान कार्य किया।

उपलब्धियां/पुरस्कार

क) वाणिज्य विभाग से राजभाषा ट्रोफी

स्पाइसेस बोर्ड को, विगत वर्ष के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा स्थापित राजभाषा शीलड (तृतीय पुरस्कार) प्रदान की गई। निदेशक (अनुसंधान) ने श्री. सी.आर. चौधरी, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार से शीलड ग्रहण की।



ख) कोच्ची नराकास से राजभाषा ट्रोफी

कोच्ची नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कोच्ची नराकास) द्वारा स्थापित राजभाषा ट्रोफी (तृतीय पुरस्कार) स्पाइसेस बोर्ड को विगत वर्ष के लिए प्रदान की गई। निदेशक (अनुसंधान व विकास), स्पाइसेस बोर्ड ने ट्रोफी ग्रहण की।

ग. पुस्तकालय और प्रलेखन सेवा

बोर्ड के पुस्तकालय में कंप्यूटरीकृत ग्रंथसूची डाटा सहित पुस्तकों व पत्रिकाओं का एक अच्छा संग्रहण है। पुस्तकालय व सूचना केंद्र को मजबूत बनाने का कार्य नई पुस्तकों व पत्रिकाओं को जोड़कर

जारी रखा गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, 120 पत्रिकाओं के लिए चंदा जारी रखने के साथ-साथ नई पुस्तकें जोड़ी गईं। इसके अलावा पुस्तकालय ने दस्तावेजों व पत्रिकाओं का परिचालन, करंट एवेयरनेस सेवा, दैनिक सूचना सेवाएं, ई-समाचार-पत्र पठन और जर्नलों को मुक्त अभिगम्यता और 'स्पाइसेस समाचार सेवा' जैसी नियमित सेवाएं जारी रखीं। विविध विश्वविद्यालयों के करीब 20 छात्रों तथा शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन सहित संदर्भ सुविधाएं प्रदान की गईं। नियमित कार्यकलापों के अलावा जैविक कृषि, जलवायु परिवर्तन, भारतीय कृषि, कालीमिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी, मिर्च, लहसुन, पुदीना, बीजीय मसालों, वृक्ष मसालों, तेल और तैलीराल पर सूचना समेकित की गई।



3. वित्त और लेखा

बोर्ड की योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए वित्तीय व्यवस्था भारत सरकार से प्राप्त अनुदान एवं आर्थिक सहायता द्वारा की जाती है। प्रशासन के खर्च मुख्यतः सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान और बोर्ड के विविध कार्यकलापों से अर्जित आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीबार) के जरिए जाते हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड के लिए अनुमोदित बजट 9093.00 लाख रुपए है। वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार से अनुदान के लिए 4403.00 लाख रुपए, आर्थिक सहायता के लिए 2900.00 लाख रुपए, उत्तरपूर्वी क्षेत्र के लिए प्रावधान के रूप में 790.00 लाख रुपए और एस सी उपप्लान के लिए प्रावधान के रूप में 500.00 लाख रुपए और जनजातीय

उपप्लान के लिए प्रावधान के रूप में 500.00 लाख रुपए बोर्ड को प्राप्त हुए और एस सी उपप्लान के लिए प्राप्त अनुदान में से अव्ययित शेष के रूप में 296.00 लाख रुपए सरकार को लौटाए गए। और वैसे प्राप्त अनुदान की कुल रकम 8797.00 लाख रुपए है। बोर्ड ने 2018-19 के दौरान गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता जांचसेवाओं के विश्लेषण चार्ज, पौधशालाओं से पादपों, अनुसंधान फार्मों के फार्मउत्पादों की बिक्री, चंदा एवं विश्लेषण शुल्क, निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण शुल्क, कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों की वापसी, अग्रिम पर ब्याज, अल्पकालीन जमा पर ब्याज आदि से 1906.78 लाख रुपए का आईईबीआर से अर्जन किया। वर्ष 2018-19 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड का कुल व्यय 9919.10 लाख रुपए था, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

लेखा शीर्ष	बजट अनुदान (लाख रुपयों में)	व्यय (लाख रुपयों में)
निर्यातोन्मुख उत्पादन	2597.00	3140.77
निर्यात विकास एवं संवर्धन	2000.00	2320.96
निर्यातोन्मुख अनुसंधान	600.00	704.35
गुणवत्ता सुधार	1000.00	1055.85
एच आर डी व निर्माणकार्य	50.00	37.66
स्थापना	2550.00	2659.51
कुल	8797.00	9919.10

बोर्ड अन्य सरकारी विभागों एवं राष्ट्रीय अभिकरणों, जैसे कि आईसीएआर, एएसआईडीई आदि से प्राप्त अनुदानों से कुछ अन्य चालू परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करता आ

रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान ऐसी परियोजनाओं से प्राप्त अनुदानों एवं किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-



कार्यक्रम	अनुदान (लाख रूपयों में)	व्यय (लाख रूपयों में)
एम आई डी एच हरियाणा	27.50	0.00
एम आई डी एच	0.00	29.20
ए एस आई डी ई	0.00	286.56
ए एस आई डी ई आई आई पी एम	25.12	90.53
आर के वी वाई - आंध्र प्रदेश	0.19	13.67
आई सी ए आर - ए आई सी आर पी एस	3.99	11.11
आर के वी वाई - असम	0.00	8.40
औषधीय पौधों का गुणवत्ता मानक	0.00	3.00
क्षेत्रव्यापी आई पी एम कालीमिर्च	7.29	0.00
ईस्पाइस बाज़ार परियोजना	416.92	126.79
हंक के मूल्यांकन अध्ययन	7.70	0.00
एन एच एम कालीमिर्च रोपण सामग्री	0.00	37.26
आर पी एल पी एम के वी ई	0.00	1.52
कुल	488.71	608.04

(*) व्यय में पिछले वर्षों में एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान उपयोग में लाया गया अनुदान शामिल है।

स्पाइसेस बोर्ड पर वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2018-19 के अनुच्छेद परिशिष्ट में हैं।



4. निर्यातोन्मुख उत्पादन

स्पाइसेस बोर्ड, इलायची (छोटी और बड़ी) के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार तथा समग्र विकास के लिए उत्तरदायी है। बोर्ड, निर्यात हेतु गुणवत्तायुक्त मसालों के उत्पादन के लिए फसल-कटाई के पश्चात् सुधार कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहा है। बोर्ड के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और फसल की कटाई के पश्चात् के गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों को 'निर्यातोन्मुख उत्पादन' के अंतर्गत शामिल किया गया है।

विकास कार्यक्रम, बोर्ड के विस्तार नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं, जिनमें क्षेत्रीय कार्यालय, विभागीय कार्यालय और क्षेत्र कार्यालय शामिल हैं। बोर्ड ने मसाला उत्पादकों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्नाटक के प्रमुख इलायची उत्पादक क्षेत्रों में पांच विभागीय पौधशालाओं का अनुसंधान जारी रखा है।

स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों के विकास और विपणन को बढ़ावा देने और राज्य में उगाए जाने वाले मसालों के अनुसंधान, उत्पादन, विपणन, गुणवत्ता में सुधार और निर्यात कार्यक्रमों को लागू करने में विभिन्न राज्य, केंद्र और संबद्ध एजेंसियों/संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय करने के लिए निम्नलिखित 11 मसाला विकास एजेंसियों (एसडीए) की स्थापना की।

- गुवाहटी एसडीए
- गान्तोक एसडीए
- उत्तर प्रदेश एसडीए
- गुना एसडीए
- ऊंझा एसडीए
- जोधपुर एसडीए
- मुम्बई एसडीए
- गुंटूर एसडीए
- हावेरी एसडीए
- ईरोड एसडीए
- वारंगल एसडीए

संबंधित राज्य के मुख्य सचिव एसडीए के अध्यक्ष हैं तथा प्रत्येक एसडीए में मसाला उत्पादकों, निर्यातकों, व्यापारियों, राज्य बागवानी,

कृषि विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, संयुक्त डीजीएफटी, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 सदस्य हैं। बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी एसडीए के सदस्य हैं। एसडीए ने बैठकें आयोजित की हैं और एसडीए बैठकों में लिए गए निणयों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

स्पाइसेस बोर्ड ने जम्मू कश्मीर में केसर के विकास, विपणन, गुणवत्ता, निर्यात और घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में केसर उत्पादन और निर्यात विकास एजेंसी (एसपीईडीए) की स्थापना की है। एसपीईडीए की सह-अध्यक्षता वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव करते हैं।

मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन:

वर्ष 2018-19 के दौरान 'मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन' योजना के अंतर्गत लागू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है।

अ. इलायची (छोटी)

छोटी इलायची मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों में उगाई जाती है। इलायची उत्पादन के अधिकांश जोत छोटे और मामूली है। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 69,132 हेक्टेयर क्षेत्र में छोटी इलायची उगाई गई थी और अनुमानित उत्पादन 12940 मीट्रिक टन था। छोटी इलायची के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए:-

क) पुनःरोपण

इस कार्यक्रम का उद्देश्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में छोटी इलायची के पुराने, जीर्ण और अलाभकर बागानों के मामलों पर ध्यान देना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे और सीमांत कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें पुराने, जीर्ण और अलाभकर बागानों के पुनरोपण लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। केरल और तमिलनाडु में उत्पादकों को प्रति हेक्टेयर 70,000/- रुपए और कर्नाटक में सामान्य को प्रति हेक्टेयर 50,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को 1,57,500/- रुपए प्रति हेक्टेयर के अनुदान की पेशकश की जाती है, जो पक्वनावधि



के दौरान प्रतिस्थापन और रखरखाव की लागत के क्रमशः 33.33 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के रूप में कर्नाटक में सामान्य को 50,000/- रुपए और अ.जा. व अ.ज.जा. को 1,12,500/- रुपए प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो दो समान वार्षिक किस्तों में देय है। आठ हेक्टेयर तक के पंजीकृत छोटे और सीमांत इलायची कृषक इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 299.76 लाख रुपए की इमदाद (जिसमें 169.18 लाख रुपए की प्रथम किस्त और वर्ष 2017-18 की 130.58 लाख रुपए की प्रथम और द्वितीय किस्त शामिल है) के साथ बोर्ड ने 913.52 हेक्टेयर पर छोटी इलायची के पुनरोपण के लिए सहायता प्रदान की (जिसमें 500.85 हेक्टेयर की प्रथम किस्त और पिछले मामले अर्थात् 2017-18 की 412.67 हेक्टेयर की प्रथम और द्वितीय किस्त शामिल है), की आर्थिक सहायता की व्यवस्था की है, जिससे 2217 कृषकों (महिला:76; अनुसूचित जाति: 47; अनुसूचित जनजाति:3) लाभान्वित हुए।

ख) गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण

बोर्ड की विभागीय पौधशालाओं द्वारा रोगमुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण किया गया। पांच विभागीय पौधशालाओं में उत्पादित रोपण सामग्री नाम मात्र दर पर उत्पादकों को वितरित की गई थीं। वर्ष 2018-19 के दौरान, कर्नाटक की बोर्ड की पांच विभागीय पौधशालाओं से 1,31,991 इलायची रोपण सामग्री, 1,74,676 मूल लगाई कालीमिर्च की कतरनें, 25,779 कालीमिर्च न्यूक्लियस रोपण सामग्री, 945 झाड़ीदार कालीमिर्च रोपण सामग्री और 1,774 वैनिला रोपण सामग्री का उत्पादन किया गया और उन्हें 790 कृषकों (अनुसूचित जाति:30; अनुसूचित जनजाति:18) को वितरित किया गया था।

ग) सिंचन और भूमि विकास

अधिक उपज प्राप्त करने के लिए इलायची के बागानों में गर्मी के महीनों के दौरान सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खेतों, तालाबों, टैंकों, कुओं, वर्षा जल संचयन उपकरणों, सिंचाई उपकरणों की स्थापना और मृदा संरक्षण कार्यों जैसे सिंचाई संरचनाओं का निर्माण करके इलायची के बागानों में जल संसाधनों में वृद्धि करके इलायची के बागानों में सिंचाई को बढ़ावा देना है। बोर्ड केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में कार्यक्रम लागू कर रहा है।

(i) भंडारण संरचनाओं का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, भण्डारण संरचनाओं की निर्माण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए, एक व्यक्ति के लिए इमदाद केवल एक निर्माण अर्थात् फार्म तालाब / कुएं / भंडारण टैंक के लिए प्रतिबंधित है। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम इमदाद प्राप्त करने के लिए सिंचाई संरचना की न्यूनतम क्षमता 25 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली इमदाद सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 20,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 30,000/- रुपए हैं, जो भी कम हो।

(ii) सिंचाई उपकरणों का संस्थापन

पंजीकृत इलायची उत्पादक, जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, आईपी सेट/ग्रेविटी सिंचाई उपकरणों के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। सिंक्रलर/ड्रिप/सूक्ष्म सिंचन के मामले में इलायची उत्पादक जिनके पास 1.00 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है और पंजीकृत है, वे आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लिए ग्रेविटी सिंचन की लागत का 25 प्रतिशत अथवा 2500/- रुपए; सिंचन पम्पसेट के लिए 10,000/- रुपए; सिंक्रलर/ड्रिप/सूक्ष्म सिंचन के लिए 21,175/- रुपए, जो भी कम हो और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा ग्रेविटी सिंचन के लिए 7500/- रुपए; सिंचन पम्पसेट के लिए 30,000/- रुपए; सिंक्रलर/ड्रिप/सूक्ष्म सिंचन के लिए 63,525/- रुपए, जो भी कम हो, प्रदान किया जाता है।

(iii) वर्षाजल संचय संरचना का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक, जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। कोई भी किसान, जिसने पहले इसका लाभ उठाया है, वह लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं है। दो सौ घन मीटर क्षमता टैंक के निर्माण के लिए सामान्य श्रेणी के लिए, वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत अथवा 12000/- रुपए; और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए, वास्तविक लागत का



75 प्रतिशत अथवा 27000/- रुपए, जो भी कम हो, की इमदाद दी जाती है।

2018-19 के दौरान, कुल 23 जल भंडारण संरचनाओं और 30 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया और 43 सिंचाई पंप सेट और दो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की गईं, जिससे 98 किसानों को 11.35 लाख रुपए (महिला 2; अनुसूचित जाति 2) की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

आ. उत्तर पूर्व के लिए विकास कार्यक्रम

इलायची (बड़ी)

बड़ी इलायची मुख्य रूप से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के उप-हिमालयी इलाकों में उगाई जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में कुल 26617 हेक्टेयर जमीन पर बड़ी इलायची उगाई गई थी और अनुमानित उत्पादन 6100 टन था। वर्ष 2018-19 में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अंतर्गत बड़ी इलायची का कुल क्षेत्र, संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त अनुमानों के अनुसार 16209 हेक्टेयर और उत्पादन 2569 टन है। गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की अनुपलब्धता, जीर्ण, पुराने और अलाभकर पौधों की विद्यमानता तथा अंगमारी (चित्ती) रोगों के प्रकोप, बड़ी इलायची के उत्पादन को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियां हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, बोर्ड बड़ी इलायची के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है:

क) बड़ी इलायची - पुनःरोपण/नवरोपण

बड़ी इलायची मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों के छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उगाई जाती है। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्हें व्यवस्थित तरीके से पुनरोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इलायची उगाने वाले किसान, उच्च निवेश के कारण प्रतिस्थापन/नई रोपण की लागत को पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं हैं।

गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में नए रोपण की लागत और परंपरागत क्षेत्रों में प्रतिस्थापन के साथ-साथ पक्वनावधि (अर्थात् 1 और 2 वर्ष) के दौरान रखरखाव के लिए इमदाद की दर सामान्य श्रेणी के लिए 33.33 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति

के लिए 75 प्रतिशत अथवा और प्रति हेक्टेयर क्रमश अधिकतम 28000/- रुपए और 63000/- रुपए, जो दो समान वार्षिक किस्तों में देय है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, बड़ी इलायची के पुनःरोपण/नए रोपण के लिए 414.43 लाख रुपए (जिसमें प्रथम किस्त 232.08 लाख रुपए और वर्ष 2017-18 की पिछली बकाया प्रथम और द्वितीय किस्त - 182.35 लाख शामिल थी) की इमदाद के साथ बोर्ड ने 2572.87 हेक्टेयर (जिसमें प्रथम किस्त 1270.28 हेक्टेयर और वर्ष 2017-18 के पिछले मामलों की प्रथम और द्वितीय किस्त - 1302.59 हेक्टेयर शामिल थी) के लिए सहायता प्रदान की, जिससे 5909 कृषक (महिला, 52; अजा:31; अजजा:4494) लाभान्वित हुए।

ख) सिंचन योजनाएं

बड़ी इलायची मुख्यतः वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाई जाती है। प्रायः जलवायु की भिन्नता उत्पादन को प्रभावित करती है। नवंबर से मार्च के महीने में लंबे समय तक सूखा मौसम के बाद गंभीर सर्दी होती है, जिसके परिणामस्वरूप विकास की मंदता और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल संसाधन बढ़ाने के साथसाथ उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सर्दियों के महीनों के दौरान लंबे समय तक सूखे से निपटने के लिए सिंचाई को सक्षम करने के लिए बड़ी इलायची के बागानों में सिंचाई उपकरण स्थापित करने के लिए, बोर्ड उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कार्यक्रमों को लागू कर रहा है।

(i) भंडारण संरचनाओं का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक, जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए, एक व्यक्ति के लिए आर्थिक सहायता केवल एक निर्माण अर्थात् फार्म तालाब / कुएं / भंडारण टैंक के लिए प्रतिबंधित है। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए सिंचाई संरचना की न्यूनतम क्षमता 25 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली इमदाद सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 20,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 30,000/- रुपए हैं,



जो भी कम हो।

(ii) सिंचन उपकरणों का संस्थापन

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, आईपी सेट / ग्रेविटी सिंचाई उपकरणों के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक उत्पादकों को लाभ देने के लिए, किसी व्यक्ति को केवल एक इकाई के लिए आर्थिक सहायता प्रतिबंधित है। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता की राशि सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 15,000/- रुपए हैं, जो भी कम हो।

(iii) वर्षाजल संचय संरचना का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कोई भी किसान जिसने पहले इस योजना से लाभ उठाया है, वह लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। योजना के अंतर्गत 200 क्यूबिक मीटर क्षमता वाले टैंक के लिए दी जाने वाली इमदाद की दर सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत अथवा 12,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 27,000/- रुपए हैं, तक सीमित है।

2018-19 के दौरान, कुल 11 जल भंडारण संरचनाओं, एक वर्षा जल संचयन संरचना के निर्माण और 35 सिंचाई पंप सेट की स्थापना के लिए बोर्ड ने वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे 47 किसानों को 6.25 लाख रुपए की इमदाद प्राप्त हुई (अनुसूचित जनजाति: 20)

इ. फसल कटाई के पश्चात् मसालों का सुधार

क) बीजीय मसाला श्रेणियाँ

आम तौर पर बीजीय मसाला उत्पादकों द्वारा अपनाई जाने वाली कटाई और फसल कटाई के पश्चात् की प्रथाएं अस्वास्थ्यकर होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद डंठल, गंदगी, रेत, तनों के टुकड़े इत्यादि बाहरी सामग्री से संदूषित होते हैं। बीजों को मानवीय रूप से

काटे गए और सूखे पौधों को बांस के टुकड़ों से पीट कर या पौधों को रगड़कर अलग किया जाता है। बोर्ड सूखे पौधों से बीज को अलग करने और स्वच्छ मसालों का उत्पादन करने के लिए, श्रेणियों के उपयोग को लोकप्रिय बना रहा है, जिन्हें हाथों से या बिजली का उपयोग करके चलाया जाता है।

बोर्ड इमदाद के रूप में श्रेणियों की लागत का सामान्य कृषकों को 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 75 प्रतिशत उपलब्ध कराता है, जो कि क्रमशः सामान्य कृषक के लिए अधिकतम 60,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 90,000/- रुपए है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, बोर्ड ने किसानों के खेतों में आठ विद्युत संचालित श्रेणियों को स्थापित करने में सहायता प्रदान की और 4.07 लाख रुपए की कुल इमदाद प्रदान की गई, जिससे आठ उत्पादक लाभान्वित हुए।

ख) भाप से हल्दी उबालने वाली इकाइयों की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य भाप से हल्दी उबालने वाली इकाइयों का उपयोग करके हल्दी प्रसंस्करण के लिए बेहतर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने में हल्दी उत्पादकों की सहायता करना है। यह अंतिम उपज को बेहतर रंग और गुणवत्ता प्रदान करता है। स्पाइसेस बोर्ड निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्तायुक्त हल्दी के उत्पादन के लिए उत्पादकों में हल्दी उबालने वाली इकाइयों के उपयोग को, बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बना रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हल्दी उबालने वाली इकाई की वास्तविक लागत का सामान्य कृषक को 50 प्रतिशत और पूर्वोत्तर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए 75 प्रतिशत अथवा सामान्य कृषक के लिए 1,50,000 लाख रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए 2,25,000/- रुपए में से, जो भी कम हो, इमदाद के रूप में दी जाती है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 38.99 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से भाप से उबालने वाली 23 इकाइयों की आपूर्ति की गई, जिससे 23 कृषक (अ.जा:1; अ.ज.जा:2) लाभान्वित हुए।

ग) हल्दी पॉलीशर की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य हल्दी उत्पादकों / उत्पादकों के समूह / मसाला उत्पादक सोसाइटियों / मसाला किसान उत्पादक कंपनी



आदि को प्रेरित करना और उनकी सहायता करना है, ताकि निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्ता वाली हल्दी का उत्पादन करने के लिए रियायती दरों पर सुधारित पॉलिशर्स की आपूर्ति करके हल्दी की आपूर्ति की जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य कृषक के लिए बॉयलिंग इकाई की वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 75,000/- रुपए और पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 1,12,500/- रुपए, जो भी कम है, की इमदाद प्रदान की जाती है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 9.46 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से हल्दी पॉलिशिंग वाली 16 इकाइयों की आपूर्ति की गई, जिससे 16 कृषक (महिला:1) लाभान्वित हुए।

घ) बड़ी इलायची को सुखाने के लिए आशोधित भट्टी का निर्माण

इस योजना का उद्देश्य खेतीहर समुदाय को बड़ी इलायची की गुणवत्ता में सुधार के लिए वैज्ञानिक सिंचन विधियां अपनाने के लिए प्रेरित करना है। 200 किग्रा और 400 किग्रा की क्षमता वाली आशोधित भट्टी (आईसीआरआई मॉडल) के निर्माण की कुल लागत क्रमशः 27,000/- रुपए और 37,500/- रुपए है। इसके अलावा एसएडब्ल्यूओ ड्रायर/समकक्ष ड्रायर की कुल लागत 25,000/- रुपए आकलित की गई है। संशोधित भट्टी (आईसीआरआई मॉडल) के निर्माण या एसएडब्ल्यूओ ड्रायर/समकक्ष ड्रायर की खरीद के लिए इमदाद की दर, कुल लागत का 75 प्रतिशत या 22,500/- रुपए थी, जो भी कम हो।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 11.26 लाख रुपए की कुल वित्तीय सहायता से 55 संशोधित भट्टियों का निर्माण किया गया, जिससे 55 कृषक (महिला:2; अ.ज.जा:25) लाभान्वित हुए।

ङ) जायफल ड्रायर

परंपरागत रूप से, जायफल और जावित्री को धूप में सुखाने का चलन है। चूंकि जायफल की कटाई मानसून के मौसम में होती है, इसलिए धूप से जायफल और जावित्री को सुखाना बहुत मुश्किल होता है। यह ठीक से न सूखने का कारण हो सकता है जिससे उपज में कवकीय संक्रमण हो सकता है, इससे एफ्लेटॉक्सिन की वृद्धि होती है। जायफल में एफ्लेटॉक्सिन की मौजूदगी जायफल के निर्यात में एक बड़ी बाधा है। जायफल को समान और स्वच्छता

से सुखाने से जायफल की गुणवत्ता की चिंताओं को दूर करने में मदद मिलेगी। कुछ नवाचार पसंद किसानों ने लकड़ी, बिजली आदि वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने वाले जायफल ड्रायर प्रस्तुत किए हैं, जिनसे स्वच्छ और अच्छी गुणवत्ता वाले जायफल का उत्पादन करने में मदद मिली है और सुखाने के समय में काफी कमी आई है। ये ड्रायर पर्यावरण के अनुकूल हैं, श्रम की बचत करते हैं और संचालित करने में आसान हैं। इस योजना का उद्देश्य गुणवत्ता वाले जायफल और जावित्री का उत्पादन करने के लिए उत्पादकों में यांत्रिक ड्रायर को लोकप्रिय बनाना है। सामान्य कृषक को ड्रायर की लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति कृषकों को 75 प्रतिशत अथवा क्रमशः सामान्य कृषक को अधिकतम 30,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कृषकों को 45,000/- रुपए की इमदाद प्रदान की गई।

वर्ष 2018-19 के दौरान, बोर्ड ने आठ जायफल ड्रायरों की स्थापना में सहायता की, जिसके लिए 1.83 लाख रुपए की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे आठ कृषक लाभान्वित हुए।

च) कालीमिर्च के ग्रेशरों की आपूर्ति

इस योजना का उद्देश्य कालीमिर्च के उत्पादकों को डंटलों से कालीमिर्च की फलियों को स्वच्छता के साथ अलग करने के लिए कालीमिर्च के ग्रेशर्स स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर, निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्तावाली कालीमिर्च का उत्पादन करना है। सामान्य कृषक को ग्रेशर की लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 75 प्रतिशत, बशर्ते कि सामान्य कृषक को अधिकतम 15,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 22,500/- रुपए की दर पर इमदाद प्रदान की गई।

वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 28.06 लाख रुपए की कुल इमदाद के साथ 206 ग्रेशर्स स्थापित किए गए थे, जिनसे 206 कृषक (महिला:2; अ.ज.जा:15) लाभान्वित हुए।

छ) सुधरी इलायची क्यूरिंग उपाय की आपूर्ति

इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों को निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली इलायची का उत्पादन करने के लिए इलायची को सुखाने हेतु उन्नत इलायची सिंचन उपकरणों को अपनाने के लिए प्रेरित



करना है। योजना के अंतर्गत ड्रायर के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत अथवा 1,00,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 2,25,000/- रुपए, जो भी कम हो।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 10.26 लाख रुपए की कुल आर्थिक सहायता पर 12 सुधरे इलायची सिंचन उपकरण स्थापित किए गए, जिनसे 12 उत्पादक लाभान्वित हुए (महिला1)

ज) पुदीना आसवन इकाई की आपूर्ति

इस योजना का उद्देश्य पुदीना उत्पादकों को उनके खेतों में आसवन इकाई की दक्षता में सुधार के साथसाथ निर्यात के लिए तेल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्टेनलेस स्टील वाली आधुनिक आसवन इकाइयों को स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है। योजना के अंतर्गत पुदीना आसवन इकाई के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 1,50,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 2,25,000/- रुपए, जो भी कम हो, की दर पर इमदाद दी गई।

वर्ष 2018-19 के दौरान, रुपए 13.27 लाख रुपए की कुल इमदाद के साथ 21 पुदीना आसवन इकाइयां स्थापित की गईं, जिनसे 21 कृषक (महिला1) लाभान्वित हुए।

ई. जैविक खेती

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैविक मसालों का आला बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इस सेगमेंट में शीघ्र पैठ करने से भारतीय मसालों के निर्यात और मांग में वृद्धि होगी। इसके अलावा, व्यवस्थित रूप से उगाए गए मसालों की उपलब्धता से देश को अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता मिलेगी। जैविक खेती को बढ़ावा देने में प्रमुख बाधाएं जैविक आदानों की अनुपलब्धता और खेतों और प्रसंस्करण इकाइयों के जैविक प्रमाणीकरण की उच्च लागत हैं। मसालों के जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018-19 में, मसाले के जैविक बीज बैंक को बढ़ावा देने के लिए, केंचुआ कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना हेतु सहायता देने की योजना लागू की गई।

क) केंचुआ कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना

जैविक उत्पादन में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खेत में ही जैविक आदानों का उत्पादन करना आवश्यक है। उत्पादकों को जैविक कृषि आदानों, विशेष रूप से केंचुआ-कम्पोस्ट का उत्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए, एक टन उत्पादन की क्षमता वाली एक केंचुआ-कम्पोस्ट इकाई हेतु इमदाद के रूप में, सामान्य कृषकों को वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत अथवा 3000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत अथवा 6750/- रुपए प्रदान किए जाते हैं।

2018-19 के दौरान, 8.99 लाख रुपए की कुल इमदाद के साथ 166 केंचुआकम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की गईं जिनसे 95 कृषक (महिला:6; अनुसूचित जाति:8; अनुसूचित जनजाति:51) लाभान्वित हुए।

ख) मसालों के लिए जैविक बीज बैंक की स्थापना

जैविक बीज बैंकों के अंतर्गत शामिल करने हेतु स्वदेशी किस्म-केरल में कोचीन अदरक, पूर्वोत्तर राज्यों में नादिया अदरक, केरल में आलेप्पी फिंगर हल्दी, महाराष्ट्र में राजापारी हल्दी, मेघालय में लकादोंग / मेघा हल्दी और तमिलनाडु में शाकीय मसाले चिह्नित किए गए। इनमें से किसी भी किस्म के जैविक प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले मसाले के वे उत्पादक इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं, जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है। एक कृषक अधिकतम तीन वर्षों के लिए योजना के अंतर्गत इमदाद ले सकता है।

2018-19 के दौरान, केरल में रुपए 0.25 लाख की वित्तीय सहायता से अदरक और हल्दी के लिए एक जैविक बीज बैंक की स्थापना की गई।

उ. मसालों की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्यूआईटीपी)

बोर्ड किसानों, राज्य कृषि/बागवानी विभाग के अधिकारियों, व्यापारियों, एनजीओ के सदस्यों आदि को प्रमुख मसालों की फसल-कटाई के पहले और बाद के उपचारों तथा भंडारण प्रौद्योगिकियों, वैज्ञानिक तरीकों और अद्यतित गुणवत्ता सुधार अपेक्षाओं के बारे में अवगत कराने हेतु नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।



वर्ष 2018-19 के दौरान 17.174 लाख रुपए के कुल व्यय से, 171 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 9852 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया था। (महिलाएं: 2391; अ.जा:917; अ.ज.जा:3732) इस व्यय का मानव संसाधन विकास (एचआरडी) शीर्ष से किया गया।

ऊ. विस्तार सलाहकार सेवा

उत्पादकता में वृद्धि और मसालों की फसल कटाई के बाद उनमें सुधार की तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण का प्रशिक्षण, उत्पादकता में वृद्धि और मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इस कार्यक्रम में निजी संपर्क, क्षेत्रीय यात्राओं, सामूहिक बैठकों और साहित्य वितरण के माध्यमों से छोटी इलायची (केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में) और बड़ी इलायची (सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों में) की खेती के वैज्ञानिक पहलुओं और फसल के प्रबंधन के वैज्ञानिक पहलुओं पर उत्पादकों को तकनीकी/विस्तार समर्थन देने की परिकल्पना की गई है।

बोर्ड के उत्पादन और फसल कटाई के बाद के कार्यक्रम विस्तार सलाहकार सेवा के अलावा, 24 'निर्यातोन्मुख उत्पादन' योजना के अंतर्गत विस्तार नेटवर्क के माध्यम से लागू किए जाते हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल 27,082 विस्तार दौरे आयोजित किए गए और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के कालिंगपोंग तथा दार्जिलिंग जिले के इलाकों और अन्य मसालों के लिए संबंधित उगाने वाले क्षेत्रों में छोटे और बड़े इलाके के लिए 2334 सामूहिक बैठकें/ अभियान आयोजित किए गए। वर्ष 2018-19 के दौरान, विस्तार सलाहकार सेवा के अंतर्गत का कुल खर्च 2098 लाख रुपए था।

ऋ. केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कृषकों के लिए प्रकटन दौरा

बोर्ड ने, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए प्रकटन दौरे का आयोजन किया। दिनांक

06.03.2019 से 30.03.2019 तक तीन अलग-अलग बैचों में गुवाहाटी क्षेत्र से कुल 53 किसानों, कर्नाटक क्षेत्र के 28 किसानों और गान्तोक क्षेत्र के 49 किसानों ने 42.74 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से प्रकटन दौरों में भाग लिया। किसानों को विभिन्न मसाला बागानों, भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, मैलाडुंपारा, इडुक्की जिला, भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान, कोषिकोड, केरल ले जाया गया।

ए. छोटी इलायची उत्पादकता पुरस्कार

स्पाइसेस बोर्ड ने कृषकों को, जिन्होंने उत्पादकता का उच्च स्तर हासिल किया है, उन्हें पहचानने और प्रोत्साहित करने हेतु 1993 में इलायची (छोटी) उत्पादकता पुरस्कार की स्थापना की थी। इस पुरस्कार में एक प्रथम पुरस्कार और दो द्वितीय पुरस्कार हैं। प्रथम पुरस्कार में 1,00,000/- रुपए का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाणपत्र दिया जाता है। प्रत्येक द्वितीय पुरस्कार में 50,000/- रुपए का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाणपत्र दिया जाता है। दो द्वितीय पुरस्कारों में से एक द्वितीय पुरस्कार, विशेष रूप से एक महिला उत्पादक के लिए आरक्षित है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए छोटी इलायची उत्पादकता पुरस्कार विजेताओं को 2015 और 2016 कटाई के मौसम के दौरान दायर और सत्यापित किए गए नामांकन के आधार पर चुना गया था। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु की उपस्थिति में 8 दिसंबर 2018 को एरणाकुलम में आयोजित एक भव्य समारोह में ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार समारोह प्रो. के.वी. तोमस, माननीय संसद सदस्य, एरणाकुलम और विधानसभा, तृक्काक्करा के माननीय सदस्य श्री पी.टी. तोमस द्वारा सम्मानित किया गया। डॉ. एम.के. षण्मुगा सुंदरम, आईएएस, सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, ने स्वागत और मुख्य भाषण दिया।

पुरस्कार विजेताओं के विवरण निम्नानुसार है:



2015-16	श्री सी एम मात्यू, चेंगत्तडत्तिल एस्टेट, इडुक्की, केरल	6800 कि.ग्रा./हेक्टेयर	प्रथम पुरस्कार
	श्री वसंत कुमार, लुम्बिनी, चिकमगलूर, कर्नाटक	2877.5 कि.ग्रा./ हेक्टेयर	द्वितीय पुरस्कार
	श्रीमती सोनिया मेनुविन, मुंडाप्लाक्कल, इडुक्की, केरल	2300 कि.ग्रा./ हेक्टेयर	द्वितीय पुरस्कार (महिला श्रेणी)
2016-17	श्रीमती दीपा मात्यू, वडक्केमुरियिल हाउस, इडुक्की, केरल	4750 कि.ग्रा./ हेक्टेयर	प्रथम पुरस्कार
	श्रीमती त्रेस्यामा जोसफ, कर्दियाला एस्टेट, नेडुंकण्डम, केरल	4250 कि.ग्रा./ हेक्टेयर	द्वितीय पुरस्कार (महिला श्रेणी)
	श्री जोस जोसफ, ग्रीनवैली एस्टेट, नेडुंकण्डम, केरल	4000 कि.ग्रा./ हेक्टेयर	द्वितीय पुरस्कार

ए. रिकाग्नाइज़ेशन ऑफ प्रायर लर्निंग भारतीय कृषि कौशल परिषद

मसाला बोर्ड, मसालों की खेती और प्रसंस्करण में संलिप्त किसानों के सशक्तीकरण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत रिकाग्नाइज़ेशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) लागू कर रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल 418 हितधारकों को लाभान्वित करने वाले 11 कार्यक्रम उत्तर प्रदेश (संख्या 2), केरल (संख्या 3), असम (संख्या 4), तमिलनाडु और बिहार (संख्या 1 प्रत्येक) आयोजित किए गए और प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

ओ. बाह्य वित्तपोषित परियोजनाएं

क) आंध्र प्रदेश सरकार की आरकेवीवाई परियोजना

बोर्ड द्वारा 21.5 लाख रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय की निम्नलिखित परियोजनाओं को आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मंजूर किया और राज्य में ये परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

1. किसानों के लिए वैश्विक जीएपी प्रमाणन परियोजना में वैश्विक जीएपी प्रमाणीकरण और निर्यात संयोजकता सहित करी पत्ते और मिर्च का उत्पादन और प्रसंस्करण की परिकल्पना की गई है।
2. खेती के लिए गाय आधारित जैविक इनपुट बनाने के लिए प्रदर्शन / प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र आंध्र प्रदेश के न्यू गुंटूर, नेहरू नगर में गोशाला में स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने वाला एक शोकेस मॉडल विकसित किया

गया है।

3. आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले के कल्याणदुर्ग मंडल में आय में वृद्धि और प्रत्यक्ष संयोजकता के लिए इमली में सतत कटाई पश्चात् तकनीक।
4. निर्यात उन्मुख खेती और बाजार संयोजकता सहित गुंटूर और कर्नूल जिलों में धनिया और अजवाइन के उत्पादन पर प्रशिक्षण।
5. कंचनपल्ली बागवानी फार्म, विशाखापत्तनम जिले, आंध्र प्रदेश में मास्टर नर्सरी की स्थापना।
6. आंध्र प्रदेश में प्रकाशम और गुंटूर जिलों में जापानी पुदीना के लिए प्रदर्शन खंड।

ख) तेलंगाना सरकार की आरकेवीवाई परियोजना

तेलंगाना सरकार ने स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रस्तुत मसालों के विकास पर एकीकृत परियोजना को मंजूरी दे दी है और वर्ष 2015-16 के दौरान तेलंगाना क्षेत्र में परियोजनाओं को लागू करने के लिए आरकेवीवाई के अंतर्गत 110 लाख रुपए जारी किए हैं।

इस परियोजना के अंतर्गत एक किसान लाभार्थी को हल्दी बॉयलर (अनुसूचित जनजाति 1) स्थापित करने के लिए 1.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई

ग) असम सरकार की आरकेवीवाई परियोजना

असम सरकार ने आरकेवीवाई के अंतर्गत असम में अदरक, हल्दी और कालीमिर्च के विकास के लिए बोर्ड द्वारा प्रस्तुत



एकीकृत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है और बोर्ड को 8,400/- रुपए की लागत सहित कार्यक्रम के मानव संसाधन विकास घटक को लागू करने के लिए 8,48,400/- रुपए की राशि निर्मुक्त की है।

वर्ष 2017-18 के दौरान उपलब्धि (जो पिछले वर्ष की रिपोर्ट में शामिल नहीं थी) इस प्रकार थी:

1. उत्पादक प्रशिक्षण कार्यक्रम संख्या - 15 - 525 (महिला 123; अनुसूचित जाति 15; अनुसूचित जानजाति 176)
2. मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम संख्या - 6 - 226 (महिला 26; अनुसूचित जाति 25; अनुसूचित जानजाति 45)
3. स्थानीय भाषा (असमिया) में कालीमिर्च, अदरक और हल्दी की खेती पर साहित्य का प्रकाशन

वर्ष 2017-18 के दौरान आरकेवीवाई असम परियोजना के अंतर्गत 6,40,727/- रुपए का कुल व्यय किया गया था।

इसी क्रम में, वर्ष 2018-19 के दौरान नौ कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए जिनका विवरण इस प्रकार है:-

1. अदरक पर उत्पादक प्रशिक्षण कार्यक्रम संख्या 2 जिसमें 80 हितधारक किसान (महिला 20; अनुसूचित जाति 3; अनुसूचित जनजाति 55) लाभान्वित हुए।
2. हल्दी पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम संख्या 2 जिसमें 91 हितधारक किसान (महिला 39; अनुसूचित जाति 2; अनुसूचित जनजाति 38) लाभान्वित हुए।
3. कालीमिर्च पर उत्पादक प्रशिक्षण कार्यक्रम संख्या 5 जिसमें हितधारक 224 किसान (महिला 52; अनुसूचित जाति 16; अनुसूचित जनजाति 151) लाभान्वित हुए।

वर्ष 2018-19 के दौरान आरकेवीवाई असम के अंतर्गत 1,99,273/ रुपए का कुल व्यय किया गया था। असम में अदरक, हल्दी और कालीमिर्च के विकास के संदर्भ में मानव संसाधन प्रशिक्षण पर 8,40,000/- रुपए के कुल खर्च के साथ ही परियोजना 2018-19 तक पूरी हो गई थी।



5. निर्यात विकास और संवर्धन

“निर्यात विकास और संवर्धन” योजना के अंतर्गत लागू किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य आयात करने वाले देशों के बदलते खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए क्षमताओं को विकसित कर निर्यातकों का समर्थन करना है। वैज्ञानिक प्रथाओं और प्रक्रिया उन्नयन को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने के अलावा, बोर्ड मसालों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है। विदेश में भारतीय मसाला ब्रैंडों का प्रचार उत्पाद विकास और अनुसंधान, अवसंरचना विकास, भारतीय मसाला ब्रैंड का विदेशों में प्रचार प्रमुख मसाला बढ़ाए जाने वाले/विपणन केंद्रों में सामान्य सफाई, प्रेंटिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारण (मसाला पार्क) के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना जैविक मसालों/जीआई मसालों का प्रचार क्रेता-विक्रेता मिलन का आयोजन आदि शामिल हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के उद्यमियों के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

अ. अवसंरचना का विकास

क) अवसंरचना के विकास के लिए ब्याज समकारी योजना

बोर्ड मसाला प्रसंस्करण में उच्च तकनीक को अपनाने, प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया अद्यतन, आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन, गुणवत्ता प्रमाणन इत्यादि के लिए, वाणिज्यिक ऋण की दर पर ध्यान न देते हुए, राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंकों से, तीन वर्ष के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 30.00 लाख रुपए तक, तीन प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान कर 10.00 करोड़ रुपए के आवधिक ऋण से निर्यातकों की सहायता करने का प्रस्ताव करता है। यह सहायता उपसाधनों सहित मसाला प्रसंस्करण की मशीनरी/उपकरणों की आपूर्ति, जांच एवं कमीशनिंग की लागत केलिए प्रदान की जाएगी। निर्यातक केवल एक परियोजना के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 30 लाख रुपए या कई परियोजनाओं के लिए तीन वर्ष के लिए अधिकतम 90 लाख रुपए तक ब्याज समीकरण सहायता का लाभ उठा सकते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने मध्यम अवधि की फ्रेम कार्य योजना अवधि के दौरान योजना को लागू करने के

लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और मंजूरी के लिए विस्तृत योजना दिशानिर्देश मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गए हैं।

ख) उच्च तकनीक, प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया उन्नयन को अपनाने, आंतरिक प्रयोगशाला की स्थापना और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता-अनुदान

बोर्ड ने 12वीं योजना अवधि के दौरान सहायता-अनुदान प्रदान कर उच्च तकनीक, प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया उन्नयन, आंतरिक प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणन इत्यादि की स्थापना के लिए, सामान्य क्षेत्रों में प्रति निर्यातक लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम 1.00 करोड़ रुपए प्रदान कर योजना लागू की थी। अवसंरचना विकास के लिए ब्याज समकारी योजना के नए प्रस्ताव को शामिल करने के फलस्वरूप बोर्ड ने मध्यावधि संरचना योजना में प्रौद्योगिकी और विकास, उन्नयन, आंतरिक प्रयोगशाला की स्थापना, गुणवत्ता प्रमाणन आदि की योजना बंद कर दी। तथापि, बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के दौरान इस योजना के अंतर्गत लंबित मामलों को आगे बढ़ाया है।

ग) मसाला पार्कों की स्थापना

बोर्ड का, प्रमुख मसाला उत्पादकों, निर्यातकों और विपणन क्षेत्रों में मसाला पार्कों की स्थापना में मसालों के निर्यातकों, व्यापार संघों आदि के रूप में वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक किसान उत्पादक कंपनियों/उद्यमियों को सहायता देने का प्रस्ताव है। बोर्ड, मसाला पार्क की स्थापना के लिए परियोजना की कुल लागत का 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में इक्विटी के रूप में प्रदान करेगा जो अधिकतम 400 लाख रुपए होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मध्यावधि संरचना योजना की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए योजना को मंजूरी दे दी है और मंत्रालय द्वारा विस्तृत योजना दिशानिर्देशों के अनुमोदन पर विचार किया जा रहा है।

घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में मसाला प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

बोर्ड का, पूर्वोत्तर क्षेत्र में मसालों के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण



सुविधाओं की स्थापना में सहायता करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला सहायता-अनुदान प्रति निर्यातक प्रसंस्करण सुविधाओं/उपकरणों की लागत का 33 प्रतिशत जो अधिकतम 50 लाख रुपए तक होगा और किसानों के समूहों/कृषक उत्पादक कंपनियों के संबंध में, वैध सीआरईएस होने पर, सभी प्रकार की प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए लागत के 50 प्रतिशत, जो अधिकतम 50 लाख रुपए होगी तक सहायता दी जाएगी। सीआरईसी धारक अ.जा/अ.ज.जा निर्यातकों, कृषक समूहों और कृषक उत्पादक कंपनियों (समूहों/एफपीसी के लिए सदस्यों को अ.जा/अ.ज.जा समूह का होना चाहिए) प्रसंस्करण सुविधा की लागत के 75 प्रतिशत तक की सहायता दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 112.50 लाख रुपए होगी। बोर्ड पूर्वोक्त क्षेत्र के निर्यातकों में प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाओं को स्थापित करने के लिए जागरूकता उत्पन्न कर रहा है।

ड) सामान्य प्रसंस्करण की अवसंरचना की स्थापना और अनुरक्षण

स्पाइसेस बोर्ड ने किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति और व्यापक बाजार प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए, प्रमुख उत्पादन/बाजार केंद्रों में आठ फसल विशिष्ट मसाला पार्क स्थापित किए हैं। पार्क का उद्देश्य खेती, कटाई पश्चात् उपचार, प्रसंस्करण, मूल्यवर्द्धन, पैकेजिंग और मसालों तथा मसाला उत्पादों के भंडारण के लिए एकीकृत संचालन करना है। मध्यावधि संरचना सफाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, भाप विसंक्रमण इकाइयों आदि सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं उपज की गुणवत्ता में सुधार करने में किसानों की मदद करेंगी जो बेहतर मूल्य वसूल में परिणत होगी।

सभी स्थापित स्पाइसेस पार्कों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य पार्क नामित किया है ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत पणधारक, सहायता प्राप्त कर सकें।

प्रमुख उत्पादन/बाजार केन्द्रों में बोर्ड द्वारा स्थापित फसल विशिष्ट मसाला पार्कों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	स्थान/राज्य	शामिल मसाले	स्थिति
1.	छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	लहसुन और मिर्च	प्रवृत्त
2.	पुट्टुडी, केरल	कालीमिर्च और इलायची	प्रवृत्त
3.	जोधपुर, राजस्थान	जीरा और धनिया	प्रवृत्त
4.	गुना, मध्य प्रदेश	धनिया	प्रवृत्त
5.	गुंटूर, आंध्र प्रदेश	मिर्च	प्रवृत्त
6.	शिवगंगा, तमिलनाडु	हल्दी और मिर्च	प्रवृत्त
7.	रामगंज मंडी (कोटा), राजस्थान	धनिया, जीरा	प्रवृत्त
8.	राय बरेली, उत्तर प्रदेश	पुदीना	उद्घाटन किया गया

रायबरेली, उत्तर प्रदेश और रामगंज मंडी (कोटा), राजस्थान के पार्कों का उद्घाटन श्री सुरेश प्रभु, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री ने 22 फरवरी, 2019 को किया। हरचंदपुर, राय बरेली में 11.60 एकड़ भूमि पर स्थापित रायबरेली मसाला पार्क की संकल्पना पुदीना में उच्चतर मूल्यवर्धन और प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए पूर्णतः अवसंरचना सुविधा के रूप में विकसित करना है। रामगंज मंडी, राजस्थान का पार्क धनिये की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जो धनिये के प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और भंडारण के लिए पूर्णतः सुविधायुक्त 30 एकड़

भूमि में स्थापित है।

मसाला पार्क/सामान्य प्रसंस्करण सुविधाओं के रखरखाव, घटक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, जिसके लिए वर्ष 2018-19 के दौरान 227 लाख रुपए खर्च किए गए थे।

आ. व्यापार संवर्धन

क) व्यापारिक नमूनों को विदेश भेजना

बोर्ड उन निर्यातकों की सहायता करता है जो क्रेताओं द्वारा



अनुरोध किए गए नमूनों के आधार पर व्यापारिक लेनदेन को अंतिम रूप देने की इच्छा रखते हैं और कूरियर शुल्क की प्रतिपूर्ति करता है। मसाला निर्यात परिदृश्य में व्यापारिक नमूने भेजना संभावित ग्राहकों को बेहतर और शीघ्रता से ग्राहकों में रूपांतरित करने में सक्षम करता है। पंजीकृत निर्यातक इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं और वर्ष 2018-19 के दौरान, योजना के अंतर्गत 0.4 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई थी।

ख) पैकेजिंग विकास और बारकोडिंग

इस कार्यक्रम में शेल्व लाइफ को बढ़ाने और भंडारण स्थान को कम करने तथा विदेशी बाजारों में भारतीय मसालों की खोज और बेहतर प्रस्तुति स्थापित करने के लिए निर्यात पैकेजिंग के सुधार और आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है। पंजीकृत निर्यातक पैकेजिंग विकास और बारकोडिंग पंजीकरण की लागत में 50 प्रतिशत की सहायता प्राप्त कर सकते हैं जो प्रति निर्यातक 1.00 लाख रुपए तक सीमित है।

बोर्ड ने भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी), मुंबई को साबुत मसालों के पैकेजिंग विकास के लिए अनुसंधान और विकास परियोजना सौंपी है। परियोजना के चरण 1 के भाग के रूप में भारतीय पैकेजिंग संस्थान ने पणधारकों के साथ हुई बैठक के आधार पर रुपए 30 लाख की कुल लागत पर पीसे मसालों के लिए पैकेजिंग विकास के लिए संशोधित प्रस्ताव दिया है। बोर्ड ने परियोजना अनुमोदित कर दी है और आई आई पी के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जा रहा है।

ग) उत्पाद विकास और अनुसंधान

देश के भीतर उत्पादित मसालों से नए अंत्योपयोग और अनुप्रयोगों को प्राप्त करने की पर्याप्त गुंजाइश है। इस योजना का उद्देश्य मसालों के पौष्टिक, न्यूट्रास्यूटिकल, सौंदर्यवर्धक, औषधीय और सहज गुणों का वैज्ञानिक अधिप्रमाणन और इस अधिप्रमाणन के आधार पर नए उत्पादों का विकास करना है। इन उत्पादों और सूत्रों से उपलब्ध मूल्य की तुलना में बहुत अधिक मूल्य प्राप्त होगा। मसालों से नए उत्पादों के विकास में पौष्टिक, औषधीय और कॉस्मेटिक मूल्यों के क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल है, जो अधिकतम मूल्य प्राप्ति के साथ पेटेंट योग्य उत्पादों के निर्माण को आगे बढ़ा सकता है। यह योजना, उत्पाद

अनुसंधान और विकास, नैदानिक परीक्षण, गुणविशेषताओं का अधिप्रमाणन, पेटेंट करने और परीक्षण विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पंजीकृत निर्यातक और अनुसंधान व विकास संस्थान जिनके पास अपेक्षित सुविधाएं हैं, इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। प्रति लाभार्थी सहायता में, सहायता-अनुदान के रूप में अधिकतम 25.00 लाख रुपए के अधीन परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत प्रदान करने का प्रस्ताव है। यदि इसमें नैदानिक परीक्षण और पेटेंट करना शामिल हैं, तो यह सीमा 100 लाख रुपए की होगी। वर्ष 2018-19 के दौरान, बोर्ड उत्पाद विकास और अनुसंधान के लिए संघटक के अंतर्गत निर्यातकों/अनुसंधान संस्थानों को सहायता देने के लिए दो प्रस्तावों पर कार्यवाई कर रहा है।

घ) विदेश में भारतीय मसाला ब्रैंडों को बढ़ावा

कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्तायुक्त भारतीय मसालों के ब्रैंडों की स्थिति को पहचानने के उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से विदेशी बाजारों में पहचाने जाने योग्य भारतीय ब्रैंडों के प्रवेश में सहायता करना है, जो पहचान और खाद्य सुरक्षा के स्पष्ट निशान के साथ विदेशी उपभोक्ताओं की पहुंच के भीतर हों। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अपने ब्रैंड को पंजीकृत कराने वाले निर्यातकों को प्रति ब्रैंड 100 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के अंतर्गत और विदेशों के चुने गए शहरों के चिह्नित दूकानों में निर्दिष्ट ब्रैंडों को सुलभ करने के उद्देश्य से, स्लॉटिंग/लिरिंटिंग शुल्क और प्रचार व्यय का 100 प्रतिशत और उत्पाद विकास की लागत का 50 प्रतिशत देने पर विचार किया जाएगा।

ड) बोर्ड द्वारा बाजार अध्ययन

बोर्ड का, भारतीय मसालों के निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धियों को पहचानने और उपयुक्त तंत्रों को विकसित करने के लिए भारतीय मसालों के लिए पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से बाजार अध्ययन कराने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, उचित मूल्य निर्धारण, प्रचार और विपणन तंत्र तैयार करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का गहराई से अध्ययन किया जाना है। बोर्ड द्वारा कराये जाने वाले बाजार सर्वेक्षण से भारतीय मसालों की ताकत, कमजोरी, खतरों और अवसरों को जानने में मदद मिलेगी। अध्ययन, विशेष रूप से, छोटे पैमाने पर निर्यातकों और



नए प्रवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें बाजार की बदलती स्थितियों और उनके निर्यात के कुशल संचालन के लिए अन्य नियमों के बारे में उचित सलाह दी जानी चाहिए। इस अध्ययन के आधार पर, निर्यातक ब्रैंड प्रचार प्रयासों का अनुसरण कर सकते हैं। बोर्ड बाजार अध्ययन के लिए पेशेवर एजेंसी के साथ एक समझौता निष्पादित करेगा और परियोजना प्रस्ताव के आधार पर 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करेगा।

स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों के निर्यात संवर्धन पर अध्ययन करने और भारतीय मसालों के निर्यात हिस्से को बढ़ाने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक तंत्रों का सुझाव देने का कार्य भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), नई दिल्ली को सौंपा है। अध्ययन पूर्ण हो गया है और रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

च) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/बैठकों और प्रशिक्षण में भागीदारी

बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशी आयातकों के बीच की एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों ने भारतीय मसालों के प्रचार और निर्यातकों को अवसर प्रदान करने के लिए अपनी पहलुओं के हिस्से के रूप में तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं के समक्ष भारतीय मसालों की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों आदि में नियमित रूप से भाग ले रहा है। बोर्ड भारतीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रेस्तरां और खाद्य श्रृंखलाओं के सहयोग से मसालों के उपयोग और अनुप्रयोगों को लोकप्रिय बनाने के लिए चुनिंदा प्रदर्शनी, खाद्य त्यौहारों आदि में खाना पकाने के प्रदर्शन की भी व्यवस्था करता है। इसके अलावा, बोर्ड वार्षिक बैठकों, आईपीसी सम्मेलनों, कोडेक्स समितियों आदि में भाग लेता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, बोर्ड ने 393 लाख रुपए के कुल व्यय पर 11 अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लिया है।

बोर्ड निर्यातकों को व्यापार उत्पन्न/विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। बोर्ड के सभी पंजीकृत निर्यातक आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए प्रतिपूर्ति के आधार पर सहायता-अनुदान के लिए पात्र हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों,

प्रदर्शनियों आदि में भागीदारी के लिए 3.05 लाख रुपए की सहायता दी गई।

इ. विपणन और सहायक सेवाएं

क) विपणन सेवाएं

स्पाइसेस बोर्ड भारत से मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात और इलायची के घरेलू विपणन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला को कार्यान्वित कर रहा है। मसाला उत्पादन, विपणन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता सुधार इत्यादि के दौरान अपनी विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए बोर्ड दैनिक आधार पर पणधारियों की सहायता करता है और निर्यातकों, किसानों और राज्य सरकारों को सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

i) पंजीकरण और लाइसेंसिंग

लाइसेंसिंग और पंजीकरण बोर्ड के नियामक कार्यों का एक हिस्सा है। बोर्ड मसालों के निर्यातकों (सीआरएस) को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करता है और इलायची (छोटी और बड़ी) में व्यापार के लिए नीलामी और डीलर लाइसेंस भी जारी करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों के निर्यातकों के रूप में 3648 पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जिनमें से 3230 प्रमाणपत्र व्यापारी श्रेणी में और 418 प्रमाणपत्र विनिर्माता श्रेणी में थे। इसके अलावा 431 ब्यौहारी अनुज्ञप्ति (छोटी इलायची के लिए 405 और बड़ी इलायची के लिए 26) भी जारी किए गए।

ii) ब्रैंड नाम का पंजीकरण

कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रैंड नाम का पंजीकरण कर भारतीय ब्रैंड नामों के अंतर्गत उपभोक्ता पैक में मसालों/मसाला उत्पादों के निर्यात का समर्थन करना और ब्रैंडकृत उपभोक्ता पैक के तेजी से बढ़ते बाजार में बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है। बोर्ड ने भारतीय पैकेजिंग संस्थान के परामर्श से विभिन्न मसालों के लिए विभिन्न यूनिट वजन के लिए पैकिंग मानकों को निर्दिष्ट किया है और निर्यातकों को तीन वर्ष की अवधि के लिए पंजीकरण प्रदान किया जाता है।

iii) इलायची के लिए नीलामी

वर्ष 2018-19 के दौरान, बोर्ड ने केरल के इडुक्की जिले



में मसाला पार्क, पुट्टुडी और तमिलनाडु में बोडिनायकन्नूर में इलायची (छोटी) की ई-नीलामी के संचालन की सुविधा जारी रखी। खंड अवधि 2017-20 के लिए पुट्टुडी और बोडिनायकन्नूर में ई-नीलामी केंद्र में नीलामी करने के लिए कुल 12 नीलामीकर्ता लाइसेंस जारी किए गए हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में इलायची (छोटी) और सिक्किम के सिंगताम में बड़ी इलायची के लिए मैनुअल नीलामी आयोजित की गई।

iv) मसालों के सीमा शुल्क नमूनों का परीक्षण

वर्ष 2018-19 के दौरान, बोर्ड ने सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त 777 मसालों के आयात माल के नमूनों का परीक्षण किया है और कोच्ची बंदरगाह के माध्यम से श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया, और इक्वाडोर से 9635 मीट्रिक टन कालीमिर्च के आयात के संबंध में परीक्षण रिपोर्ट जारी की। अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत तेल और तैलीराल के निष्कर्षण के लिए तैलीराल/पिपेरीन सामग्री का परीक्षण करने के बाद, आयात के संबंध में परिणाम जारी किए गए थे।

v) मसालों का जीआई पंजीकरण

स्पाइसेस बोर्ड ने मलबार पेप्पर, अल्लेप्पी ग्रीन कार्डमम, कूर्म ग्रीन कार्डमम, गुंटूर सन्म चिल्ली और ब्यादगी चिल्ली के लिए जीआई पंजीकरण प्राप्त किया है। बोर्ड जीआई पंजीकृत मसालों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रिय बना रहा है।

vi) सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्पाइसेस बोर्ड ने 11 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में खाद्य सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मलेन का आयोजन किया। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 के दौरान स्पाइसेस बोर्ड, संयुक्त राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) और संयुक्त खाद्य अनुप्रयुक्त पोषण (जेआईएफएसएन) संस्थान द्वारा स्थापित सहयोगात्मक प्रशिक्षण केंद्र (सीटीसी) ने संयुक्त रूप से चार खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम मंदसौर, मध्यप्रदेश; जोधपुर, राजस्थान; मेहसाना, गुजरात और हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित किए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने किसानों और कृषि श्रमिकों को खाद्य और निजी स्वच्छता पर सहयोगी प्रशिक्षण प्रदान किया।

बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के दौरान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड,

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम और त्रिपुरा राज्यों में निर्यात प्रक्रियाओं, गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पाद प्रमाणन पर स्थानीय विशेषज्ञों के विकास हेतु आठ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें राज्य कृषि, बागवानी, खाद्य सुरक्षा विभागों आदि के 146 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

vii) मसालों के निर्यात में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार

स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों और मसाला उत्पादों के उत्कृष्ट निर्यात निष्पादकों को सम्मानित करने के लिए मसालों के निर्यात में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों की स्थापना की है। पुरस्कार और ट्रॉफियां प्रदान करना मसाले और मसाला उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड के निरंतर प्रयास का हिस्सा है। श्री सुरेश प्रभु, माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री ने कोच्ची, केरल में 8 दिसंबर, 2018 को पिछले वर्ष के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निर्यातक पुरस्कारों का 28वां सेट, जिसमें शीर्षस्थ निर्यातकों के लिए ट्रॉफियां शामिल हैं - प्रमुख अग्रणी निर्यातकों के लिए श्रेणीवार पुरस्कार और योग्यता प्रमाणपत्र उन निर्यातकों को प्रदान किए, जिन्होंने 2014-15 के दौरान सराहनीय प्रदर्शन किया था।

ख) क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम)

स्पाइसेस बोर्ड प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्रों में क्रेताविक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित कर रहा है ताकि मसाला उत्पादकों और निर्यातकों के बीच प्रत्यक्ष बाजार संबंध स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। बीएसएम उत्पादकों और निर्यातकों दोनों को लाभकर स्थिति प्रदान करता है, जहां उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य के साथ बाजार मिलता है, जबकि निर्यातकों को दीर्घकालिक पिछड़े संबंधों और गुणवत्ता वाले मसालों की प्रतिस्पर्धी सोर्सिंग के मामले में लाभ होता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बोर्ड ने देश भर में तीन बीएसएम आयोजित किए, जिनका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:-

क्रम सं.	स्थान	तारीख
1.	कोटा, राजस्थान	26 अप्रैल, 2018
2.	नागौर, राजस्थान	24 जनवरी, 2019
3.	रत्नगिरी, महाराष्ट्र	2 मार्च, 2019



पूरे देश में मसाला उद्योग के पणधारियों ने बीएसएम में काफी रुचि दिखाई है और इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया है, ताकि बाजार संबंध बनाने के लिए मंच का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सके। लगभग 500 किसान/किसान समूहों और 150 मसाला निर्यातकों ने बीएसएम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वर्ष 2018-19 के दौरान, बीएसएम आयोजित करने का कुल व्यय 8.55 लाख रुपए था।

ई. व्यापार सूचना सेवा

विपणन विभाग की व्यापार सूचना सेवा, निर्यात, आयात, क्षेत्र, उत्पादन, मसालों की नीलामी और मसालों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार करती है।

सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्यात की दैनिक सूची (डीएलई) भारत से मसालों के मासिक अनुमानित निर्यात और वाणिज्य व सांख्यिकी निदेशालय, कोलकता द्वारा प्रदत्त निर्यात आंकड़ों का संकलन करने के लिए सूचना का प्रमुख स्रोत है। इसी तरह, सीमा शुल्क द्वारा जारी की गई दैनिक आयात सूची (डीएलआई) भारत में मसालों के मासिक आयात का अनुमान लगाने का स्रोत है। बोर्ड मसालों के निर्यात और आयात विवरण को अपने पणधारियों और मंत्रालय /विभागों को नियमित आधार पर संकलित और प्रसारित कर रहा है। बोर्ड नियमित रूप से कोचीन, जेएनपीटी, चेन्नई, तूतिकोरिन, मुंद्रा, कोलकाता, पेट्रोपोल, मोहाधिपुर, रक्सौल, अमृतसर इत्यादि सभी प्रमुख बंदरगाहों से डीएलई और डीएलआई दोनों एकत्रित कर रहा है। इसके अलावा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से भी जानकारी एकत्र की जाती है।

स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट और प्रकाशनों के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं को नियमित आधार पर भारत और विदेशों के प्रमुख बाजारों के लिए मसाला के की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का संकलन और प्रसार कर रहा है। भारत का कालीमिर्च और मसाला व्यापार संगठन, कृषि उत्पादन विपणन समितियां, व्यापारियों का संघ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, जनेवा, अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय, इंडोनेशिया, एए साइया और कंपनी, यूएसए

आदि मूल्य विवरण एकत्र करने की प्रमुख स्रोत एजेंसियां हैं। ये सभी जानकारीयों बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सदस्यता के माध्यम से एकत्र की जाती हैं।

स्पाइसेस बोर्ड इलायची (छोटी और बड़ी) के विकास के लिए उत्तरदायी है और बोर्ड के कार्यालय नेटवर्क द्वारा आयोजित क्षेत्र नमूना अध्ययन के आदानों का उपयोग करके, बोर्ड के व्यापार सूचना सेवा प्रभाग द्वारा इन मसालों के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता का अनुमान किया जाता है। अन्य मसालों के क्षेत्र और उत्पादन के आंकड़े राज्य अर्थशास्त्र और सांख्यिकी/कृषि/बागवानी विभाग/डीएसडी से संकलन के लिए एकत्र किए जाते हैं। बोर्ड के प्रकाशनों के साथसाथ बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से पणधारियों और नीति निर्माताओं को अन्य मसालों के क्षेत्र और उत्पादन पर जानकारी प्रसारित की गई है।

स्पाइसेस बोर्ड निर्यातकों के पंजीकरण (विनियमों) के अनुसार, मसालों के सभी पंजीकृत निर्यातकों को अपनी तिमाही निर्यात रिटर्न बोर्ड को जमा करनी होती है। वर्ष 2017-20 की ब्लॉक अवधि के दौरान, लगभग 4847 निर्यातकों को बोर्ड के साथ पंजीकृत किया गया था और व्यापार सूचना सेवा ने इन निर्यातकों के त्रैमासिक निर्यात रिटर्न को संकलित किया है तथा मसालों के लिए निर्यातक वार डेटाबेस बनाए रखता है। इस आंकड़ा आधार का प्रयोग करके बोर्ड प्रत्येक मसाले के प्रमुख निर्यातकों के ब्यौरे को संकलित और वेबसाइट पर प्रकाशित करता है।

स्पाइसेस बोर्ड, तमिलनाडु के बोडिनायकन्नूर और केरल के पुडुडी में बोर्ड द्वारा विकसित ईनीलामी केंद्रों में इलायची के व्यापार के लिए ईनीलामी आयोजित करता है। दैनिक नीलामी मात्रा और इलायची की कीमत पर विवरण वेबसाइट के माध्यम से दैनिक आधार पर संकलित और प्रसारित किए जाते हैं। नीलामी बिक्री पर समेकित विवरण औसत मूल्य को बोर्ड के प्रकाशनों के माध्यम से संकलित और प्रसारित किया जाता है।

उद्योग के पणधारियों के लाभ के लिए प्रमुख विदेशी बाजारों सहित विभिन्न बाजार केंद्रों में मसालों की कीमत संबंधी जानकारी, साप्ताहिक आधार पर ऑनलाइन पर 'स्पाइसेस मार्केट'



और मासिक आधार पर 'स्पाइस इंडिया' के माध्यम से एकत्रित, संकलित और प्रकाशित की जाती है।

इलायची का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता तालिका और तालिका में दी गई है। अन्य मसालों के क्षेत्रफल और उत्पादन तालिका में दिए गए हैं।

मसालों के क्षेत्रफल और उत्पादन

वर्ष 2017-18 की तुलना में, 2018-19 के लिए छोटी व बड़ी

तालिका - I

इलायची (छोटी) का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन

(क्षेत्र हेक्टेयर में, उत्पादन में ट.में, उत्पादकता कि.ग्रा./हे.में)

राज्य	2018-19				2017-18			
	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उपज	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उपज
केरल	38882	29364	11535	392.83	39080	31577	18350	581.13
कर्नाटक	25135	14725	690	46.86	25135	17628	1450	82.26
तमिलनाडु	5115	3503	715	204.11	5115	3565	850	238.43
कुल	69132	47592	12940	271.89	69330	52770	20650	391.32

स्रोत :- क्षेत्र नमूना अध्ययन के आधार पर अनुमान।

(*) अनंतिम

तालिका - II

इलायची (बड़ी) का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन

(क्षेत्र हेक्टेयर में, उत्पादन में ट.में, उत्पादकता कि.ग्रा./हे.में)

राज्य	2018-19				2017-18			
	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उपज	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उपज
सिक्किम	23312	17605	5030	285.71	23312	18232	4860	266.67
पश्चिम बंगाल	3305	3159	1070	338.71	3305	3159	1045	330.48
कुल	26617	20764	6100	293.78	26617	21391	5905	276.10

(*) अनंतिम

स्रोत : स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमान

वर्ष 2018-19 में बोर्ड ने अस्साचल प्रदेश और नागालैंड में इलायची (बड़ी) के क्षेत्र और उत्पादन ब्यौरे का अनुमान लगाया है जिसे तालिका II क में दर्शाया गया है।



तालिका II क

राज्य	इलायची (बड़ी) के क्षेत्र और उत्पादन 2018-19			
	कुल	उपजवाला	उत्पादन	उपज
	क्षेत्र (हेक्टर)	क्षेत्र (हेक्टर)	(टन)	(कि.ग्रा./हेक्टर)
अरुणाचल प्रदेश	9901	6419	1545	240.76
नागालैंड	6308	4194	1024	244.09
कुल	16209	10613	2569	242.08

(*) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमान

तालिका - III

प्रमुख मसालों का क्षेत्र व उत्पादन
(क्षेत्र हेक्टर में, उत्पादन टनों में)

मसाला	2017-18 (अ)		2016-17	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
कालीमिर्च	133790	64000	134280	57000
मिर्च	791725	2163803	864730	2394320
अदरक	159460	1043130	160480	1047190
हल्दी	237710	1134340	248050	1215520
लहसुन	317080	1611340	302980	1722750
धनिया	532420	710120	662350	609350
जीरा	966140	688660	780920	500360
बड़ी सौंफ	65980	103890	89540	148560
मेथी	148990	202450	220670	310070

स्रोत : राज्य आर्थिकी व सांख्यिकी निदेशालय/कृषि/बागवानी विभाग

सुपारी व मसाले विकास निदेशालय, कोषिककोड

(अ) अर्न्तम - कालीमिर्च उत्पादन व्यापार आकलन

इलायची (छोटी) की नीलाम बिक्री और कीमतें

वर्ष 2018-19 (अगस्त 2018 - जुलाई 2019) और वर्ष
2017-18 (अगस्त 2017 - जुलाई 2018) के लिए इलायची

(छोटी) की राज्यवार नीलामी बिक्री और भारित औसत कीमतें
तालिका IV में दी गई हैं



तालिका - IV

इलायची (छोटी) की नीलामी बिक्री और मूल्य
(मात्रा टनों में, मूल्य रुपये/कि.ग्रा. में)

राज्य	2018-19 (अगस्त-जुलाई) (अ)		2017-18 (अगस्त-जुलाई)	
	नीलामित मात्रा	भारित औसत नीलामित मूल्य	नीलामित मात्रा	भारित औसत नीलामित मूल्य
केरल और तमिलनाडु (ई-नीलामी)	20810	1528.96	27721	955.29
कर्नाटक	9	1068.94	14	845.29
महाराष्ट्र	46	1442.11	65	1033.82
कुल	20865	1528.58	27800	955.41

(अ) अनंतिम

स्रोत : लाइसेंसधारी नीलामीकर्ताओं से प्राप्त रिपोर्टें

इलायची (बड़ी) की कीमतें

वर्ष 2018-19 और 2017-18 के लिए गान्तोक और सिलिगुड़ी

बाजारों में इलायची (बड़ी) की औसत थोक कीमतें तालिका V में दी गई हैं।

तालिका - V

इलायची (बड़ी) की औसत थोक कीमतें

(मूल्य रुपये/कि.ग्रा. में)

केन्द्र	ग्रेड	2018-19	2017-18
गान्तोक	बड़ादाना	527.31	599.70
सिलिगुड़ी	बड़ादाना	646.39	763.44

स्रोत : बोर्ड का प्रादेशिक कार्यालय

अन्य प्रमुख मसालों की कीमतें

प्रमुख मसालों की औसत कीमतें नीचे दी गई हैं। इन कीमतों को गौण, स्रोतों, जैसेकि चेंबर ऑफ़ कॉमर्स, इंडियन पेप्पर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन (आई पी एस टी ए), मर्चेन्ट्स

एसोसिएशन आदि द्वारा तैयार की गई बाजार समीक्षाओं से एकत्रित किया गया है। मुख्य बाजार केंद्रों में प्रमुख मसालों की कीमतें नीचे तालिका VI में दी गई हैं।



तालिका - VI

मुख्य विपणन केन्द्रों में प्रमुख मसालों की कीमतें (मूल्य रुपये/कि.ग्रा. में)

मसाला	विपणन	2017-18	2018-19
कालीमिर्च (एम जी-1)	कोच्ची	473.73	378.21
मिर्च	गुंटूर	56.39	77.16
अदरक	कोच्ची	129.72	184.39
हल्दी	चेन्नई	118.60	119.63
धनिया	चेन्नई	73.32	70.74
जीरा	चेन्नई	199.88	188.83
बड़ी सौंफ	चेन्नई	94.19	106.01
मेथी	चेन्नई	42.06	50.67
लहसुन	चेन्नई	44.74	33.85
खसखस बीज	चेन्नई	466.58	450.59
अजवाइन बीज	चेन्नई	99.46	120.12
सरसों	चेन्नई	54.95	51.07
इमली	चेन्नई	131.42	161.26
केसर	दिल्ली	143146.00	105604.50
लौंग	कोच्ची	671.10	711.45
जायफल (बिना छिलके के)	कोच्ची	329.63	389.60
जावित्री	कोच्ची	441.09	599.50

भारत से मसालों का निर्यात निष्पादन

वर्ष 2018-19 के दौरान भी भारतीय मसालों के निर्यात में बढत का रुख जारी रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत से 18845.00 करोड़ रुपए (2710.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 10,63,020 टन मसाले और मसाला उत्पादों का कुल निर्यात हुआ है, जबकि वर्ष 2017-18 के दौरान 17980.16 करोड़ रुपए (2789.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 10,28,060 टन मसाले का कुल निर्यात रिकॉर्ड किया गया था। इस प्रकार मात्रा में तीन प्रतिशत और मूल्य में रुपए के हिसाब से पाँच प्रतिशत और डॉलर के हिसाब से तीन प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जो मुख्यतः भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन के कारण है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, इलायची (बड़ी), हल्दी, धनिया ओर अन्य बीजों जैसे कि अजवाइन बीज, सरसों बीज इत्यादि अन्य बीजों के निर्यात ने 2017-18 की तुलना में मात्रा और मूल्य दोनों में वृद्धि दर्शायी है। अजवाइन, मेथी और पुदीना उत्पादों के निर्यात ने केवल मूल्य के मामले में वृद्धि दर्शायी है। मूल्यवर्द्धित उत्पादों के मामले में करी पाउडर/पेस्ट में विगत वर्ष की तुलना

में मात्रा और मूल्य दोनों में वृद्धि हुई। अन्य सभी मसालों के निर्यात में विगत वर्ष की तुलना में मात्रा और मूल्य दोनों में गिरावट हुई है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 5191.30 करोड़ रुपए के मूल्य की 4,52,000 टन मिर्च का निर्यात किया जबकि विगत वर्ष यह 4256.33 करोड़ रुपए के मूल्य की 4,43,900 टन थी, जिससे मात्रा में दो प्रतिशत और मूल्य में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान 75.05 करोड़ रुपए के मूल्य की इलायची (बड़ी) का 1040 टन का निर्यात किया गया जबकि विगत वर्ष 56.47 करोड़ रुपए के 760 टन का निर्यात था, जोकि मात्रा में 37 प्रतिशत अधिक और मूल्य में 33 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2018-19 के दौरान, मात्रा में 20 प्रतिशत और मूल्य में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 1256.66 करोड़ रुपए की 1,29,100 टन हल्दी का निर्यात किया गया जबकि विगत वर्ष में 1035.68 करोड़ रुपए के 107,300 टन का निर्यात किया गया था।

वर्ष 2018-19 के दौरान मात्रा में 38 प्रतिशत और मूल्य में



29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 350.78 करोड़ रुपए मूल्य के 48,550 टन धनिये का निर्यात हुआ जबकि विगत वर्ष में 272.75 करोड़ रुपए के 35,185 टन का निर्यात हुआ था। वर्ष 2018-19 के दौरान, विगत वर्ष में 2417.99 करोड़ रुपए के 143,670 टन जीरे की तुलना में इस वर्ष 2735.90 करोड़ रुपए मूल्य के 1,70,750 टन जीरे का निर्यात हुआ जो मात्रा में 19 प्रतिशत और मूल्य में 13 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2018-19 के दौरान मात्रा में 11 प्रतिशत और मूल्य में 21 प्रतिशत की

वृद्धि दर्ज करते हुए 744.40 करोड़ रुपए का 33,500 टन करी पाउडर का निर्यात हुआ जबकि विगत वर्ष में यह 616.20 करोड़ रुपए मूल्य का 30,150 टन था।

विगत वर्ष की तुलना में अप्रैल-मार्च, 2019 के दौरान भारत से मसालों का मदवार अनुमानित निर्यात, अप्रैल-मार्च, 2018 की तुलना में और 2018-19 में प्रतिशत परिवर्तन आदि और निर्यात लक्ष्य में उपलब्धि तालिका VII और तालिका VIII में दी गई है।

तालिका - VII

वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात

मद	अप्रैल-मार्च 2018-19 (*)		अप्रैल-मार्च 2017-18		2018-19 में	
	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रुपए में)	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रुपए में)	मात्रा	मूल्य
कालीमिर्च	13,730	57,165.50	16,840	82,078.48	-18%	-30%
इलायची (छोटी)	3,320	39,052.43	5,680	60,908.15	-42%	-36%
इलायची (बड़ी)	1,040	7,505.15	760	5,646.60	37%	33%
मिर्च	452,000	519,130.00	443,900	425,632.74	2%	22%
अदरक	17,550	18,583.00	22,605	21,607.49	-22%	-14%
हल्दी	129,100	125,666.00	107,300	103,567.63	20%	21%
धनिया	48,550	35,078.50	35,185	27,274.96	38%	29%
जीरा	170,750	273,590.00	143,670	241,798.78	19%	13%
सेलरी	6,020	6,568.90	6,480	5,950.30	-7%	10%
बड़ी सोंफ	25,850	24,230.00	34,550	25,906.35	-25%	-6%
मेथी	26,720	12,809.40	29,280	12,688.57	-9%	1%
अन्य बीज (1)	29,590	18,567.30	22,175	16,045.55	33%	16%
लहसुन	25,840	14,146.10	46,980	30,936.38	-45%	-54%
जायफल एवं (जावित्री) मेस	3,270	14,613.60	5,500	22,094.31	-41%	-34%
अन्य मसाले (2)	40,850	60,345.00	38,305	65,253.17	7%	-8%
करी पाउडर/पेस्ट	33,500	74,440.00	30,150	61,619.55	11%	21%
पुदीना उत्पाद (3)	20,750	353,875.00	21,500	322,834.86	-3%	10%
मसाला तेल व तैलीराल	14,590	229,135.00	17,200	266,172.39	-15%	-14%
कुल	1,063,020	1,884,500.88	1,028,060	1,798,016.24	3%	5%
मूल्य दशलक्ष अमरीकी डॉलर में		2710.44		2,789.35		-3%

(1) में सरसों, सोंफ, अजोवन बीज, सोआ बीज, खसखस बीज आदि शामिल हैं।

(2) में इमली, हींग, कैसिया, केसर आदि शामिल हैं।

(3) में पुदीना तेल, मेंथॉल और मेंथॉल क्रिस्टल शामिल हैं।

(*) पिछले महीनों की, विलंब से प्राप्त रिपोर्टें शामिल हैं।

स्रोत : सीमा शुल्क से प्राप्त डी एल ई, प्रादेशिक कार्यालयों की रिपोर्टें, और पिछले वर्ष के निर्यात रुख आदि पर आधारित अनुमान।



तालिका - VIII

लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात

मद	2018-19		अप्रैल - मार्च 2018-19 (*)		लक्ष्य प्राप्ति	
	के लक्ष्य (*)		मात्रा	मूल्य	का प्रतिशत	
	मात्रा	मूल्य	(टन)	लाख रुपए में	मात्रा	मूल्य
कालीमिर्च	15,000	69,000.00	13,730	57,165.50	92%	83%
इलायची (छोटी)	4,000	40,000.00	3,320	39,052.43	83%	98%
इलायची (बड़ी)	1,000	6,100.00	1,040	7,505.15	104%	123%
मिर्च	415,000	435,750.00	452,000	519,130.00	109%	119%
अदरक	25,000	25,000.00	17,550	18,583.00	70%	74%
हल्दी	125,000	131,250.00	129,100	125,666.00	103%	96%
धनिया	46,000	32,200.00	48,550	35,078.50	106%	109%
जीरा	180,000	279,000.00	170,750	273,590.00	95%	98%
सेलरी	7,000	7,350.00	6,020	6,568.90	86%	89%
बड़ी सौंफ	35,000	31,500.00	25,850	24,230.00	74%	77%
मेथी	30,000	15,000.00	26,720	12,809.40	89%	85%
अन्य बीज (1)	25,000	18,750.00	29,590	18,567.30	118%	99%
लहसुन	25,000	13,750.00	25,840	14,146.10	103%	103%
जायफल एवं (जावित्री) मेस	4,000	16,600.00	3,270	14,613.60	82%	88%
अन्य मसाले (2)	40,000	60,000.00	40,850	60,345.00	102%	101%
करी पाउडर/पेस्ट	35,000	77,000.00	33,500	74,440.00	96%	97%
पुदीना उत्पाद (3)	23,000	339,250.00	20,750	353,875.00	90%	104%
मसाला तेल व तैलीराल	15,000	202,500.00	14,590	229,135.00	97%	113%
कुल	1,050,000	1,800,000.00	1,063,020	1,884,500.88	101%	105%
मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में		2686.57		2710.44		101%

(1) में सरसों सौंफ, अजोवन बीज, सोआ बीज, खसखस बीज आदि शामिल हैं।

(2) में इमली, हींग, कैसिया, केसर आदि शामिल हैं।

(3) में पुदीना तेल, मेंथॉल और मेंथॉल क्रिस्टल शामिल हैं।

(*) पिछले महीनों की, विलंब से प्राप्त रिपोर्टें शामिल हैं।

स्रोत : सीमा शुल्क से प्राप्त डी एल ई, प्रादेशिक कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टें, और पिछले वर्ष के निर्यात रुख आदि पर आधारित अनुमान।



6. प्रचार एवं संवर्धन

स्पाइसेस बोर्ड की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और मसाले निर्यात संवर्धन के लिए एक अच्छे संवर्धनात्मक तंत्र को रूप देना महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बोर्ड ने विश्व में भारतीय मसालों के प्रचार और ब्रैंडिंग के लिए गतिविधियां जारी रखीं। इन तंत्रों को भारतीय मसालों, मसाला उद्योग और बोर्ड की गतिविधियों को प्रचारित और बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मेलों में प्रतिभागिता, विज्ञापन अभियान, ऑनलाइन प्रचार अभियान, पत्रिका, ब्रोशर इत्यादि का मुद्रण और प्रकाशन तथा मसालों पर वीडियो स्पॉट प्रदर्शित करना प्रमुख सुर्खियां रहीं।

बहुविषयक प्रचार गतिविधियों ने बोर्ड और मसाला उद्योग को समर्थन दिया है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मसालों की मांग को बढ़ावा देता है।

घरेलू मेलों में प्रतिभागिता

मसाला उद्योग के विभिन्न पणधारकों तक अभिगम्यता का श्रेष्ठ साधन है घरेलू मेलों में प्रतिभागिता। वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड ने मुख्य मसाला उत्पादकों और विपणन केंद्रों और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मेलों को कवर करने के लिए मुख्य प्रयोजन से महत्वपूर्ण देशीय मेलों को कवर करना सुनिश्चित किया। मेलों में कृषकों, व्यापारियों, निर्यातकों, वैज्ञानिकों जैसे मसाला उद्योग के विभिन्न स्तर के लोगों और अन्य निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी/संगठनों से बातचीत करने का मंच मिलता है जो भारतीय मसाला उद्योग और भारतीय मसालों के संवर्धन हेतु सक्षम परियोजनाओं/कार्यकलापों के निरूपण में सहायक होता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान मेलों में सहभागिता ने देश और अंतर्राष्ट्रीय मसाला मांग निहित करने और अखिल भारतीय स्तर पर बोर्ड के कार्यकलापों की जागरूकता अर्जन में सहायता की।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड ने भारत के प्रमुख स्थानों में 30 प्रदर्शनियों में भाग लिया।

क्रम सं.	मेले का नाम	तारीख	स्थान
1.	मातृभूमि कार्षिका मेला 2018	4-10 अप्रैल 2018	राजकीय बाल एचएसएस ग्राउंड, पेरुबावूर
2.	योगशाला एक्सपो 2018	4-6 मई 2018	प्रगति मैदान, नई दिल्ली
3.	मसालों और शाकोंपर 7वां राष्ट्रीय सेमिनार	23 जून 2018	अंदाज एयरोसिटी, नई दिल्ली
4.	मनभावन राजस्थान	18-20 जुलाई 2018	उदयपुर
5.	खाद्य और प्रौद्योगिकी एक्सपो 2018	27-29 जुलाई 2018	प्रगति मैदान, नई दिल्ली
6.	15 वां एग्रो खाद्य और पेय एक्सपो 2018	2-4 अगस्त 2018	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ए सी स्टेडियम, पणजी, गोवा
7.	विशन महाराष्ट्र मेगा प्रदर्शनी	3-5 अगस्त 2018	पिंपरी, पुणे
8.	महाराष्ट्र राज्य आम कृषक एसोसिएशन	8 अगस्त 2018	के. आर. कामा हॉल, मुंबई
9.	आहार चेन्नई 2018	23-25 अगस्त 2018	चेन्नई ट्रेड सेंटर, चेन्नई
10.	एफ आई और एच आई इंडिया 2018	30 अगस्त - 1 सितम्बर 2018	ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
11.	13वां अन्नपूर्णा वर्ल्ड फूड इण्डिया, 2018	27-29 सितम्बर 2018	मुंबई प्रदर्शनी केंद्र, मुंबई



12.	उपासी औद्योगिक प्रदर्शनी, 2018	28-29 सितम्बर 2018	कूनूर, द नीलगीरीज, ऊटी
13.	केरल कौमुदी मलबार फेस्ट	5-21 अक्टूबर 2018	स्वप्न नगरी, कोषिककोड
14.	बायोफैक इंडिया	25-27 अक्टूबर 2018	प्रगति मैदान, नई दिल्ली
15.	एग्रो वर्ल्ड, 2018	25-27 अक्टूबर 2018	आईएआरआई, पूसा कैंपस, नई दिल्ली
16.	राईज इन जम्मू एंड कश्मीर	1-3 नवम्बर 2018	जम्मू, जम्मू व कश्मीर
17.	आईआईटीएफ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला	14-27 नवम्बर 2018	प्रगति मैदान, नई दिल्ली
18.	10वां पूर्वी हिमालयन एक्सपो	10-17 दिसम्बर 2018	शिलांग, मेघालय
19.	जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सुस्थिर कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आई सी सी बी एस ए)	13-16 दिसम्बर 2018	जोरहट, असम
20.	राष्ट्रीय खाद्य अधिकार मेला (एफएसएसएआई)	14-16 दिसम्बर 2018	ओवल ग्राउंड, आईजीएनसीए, दिल्ली
21.	पोळ्ळाची चैबंर कृषि और व्यापार एक्सपो, 2018	21-24 दिसम्बर 2018	के.के.जी. तिरुमना मंडपम, पोळ्ळाची
22.	कृषक मेला स्पाइस फेस्ट (आई आई एस आर)	22 दिसम्बर 2018	कोषिककोड
23.	वैगा कृषि उन्नति मेला	27-30 दिसम्बर 2018	त्रिशूर
24.	इंडस फूड 2019	14-15 जनवरी 2019	इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट, ग्रेटर नोएडा
25.	माघे मेला 2019	14-16 जनवरी 2019	जोरथांग, सिक्किम
26.	सिक्किम जैव दिवस व कृषि उन्नति मेला	18-19 जनवरी 2019	गान्तोक, सिक्किम
27.	ड्राई चिलीमेला 2019	25-27 जनवरी 2019	हुबली, कर्नाटक
28.	त्रिपुरा मेला	29 जनवरी 2019	अगरतला, त्रिपुरा
29.	वर्ल्ड बैंक कॉन्क्लेव	31 जनवरी - 2 फरवरी 2019	70, लोधी एस्टेट, दिल्ली
30.	आहार इन्टरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर 2019	12-16 मार्च 2019	प्रगति मैदान, नई दिल्ली

अंतर्राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभागिता

बोर्ड, भारतीय निर्यातकों और विदेश में आयातकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मसालों के प्रचार-प्रसार की इसकी पहल के भाग के रूप में, स्पाइसेस-बोर्ड प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता से भारतीय मसाला निर्यातकों के साथ-साथ प्रमुख मसाला आयातकों के साथ बातचीत करने और व्यापारिक संपर्क बनाने का प्रभावी अवसर मिलता है, जिससे भारतीय मसाला उद्योग के व्यापारिक परिवेश का विस्तार होता है। बोर्ड को उपभोक्ता व्यवहार के विभिन्न पक्षों को समझने और आयातक देश की खानपान की आदतों, खुदरा और थोक बाजार का अध्ययन करने, खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी मानकों को

जानने में मदद मिलती है।

कार्यक्रमों के चयन की कार्यनीति ऐसे प्रमुख बाजार क्षेत्रों को चिह्नित करना है जिनकी अभी तक तलाश नहीं हुई है। निर्यातकों को प्रमुख प्रदर्शनियों में भाग लेने में वरीयता दी गई, बोर्ड के तत्वाधान में उनके स्वतंत्र प्रचार-प्रसार कार्यक्रम हेतु पृथक स्लॉट प्रदान किए गए। इन कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त बोर्ड के अधिकारियों ने आगुंतकों से पारस्परिक विचार-विमर्श किया। विभिन्न कार्यक्रमों में उत्पादों सहित विभिन्न मसालों/शाकों के लिए व्यापारिक जानकारियों को भावी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निर्यातकों को प्रदान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में, बोर्ड ने निम्नलिखित 11 अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया:



क्रम सं.	मेले का नाम	स्थल	तारीख
1.	अफ्रीकास बिग सैवन	जोहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका	24-26 जून 2018
2.	मलेशियन इंटरनेशनल फूड एंड बेवरीज ट्रेड फेयर	कुआला लंपूर, मलेशिया	27-29 जून 2018
3.	समर फेंसी फूड शो	न्यूयार्क, अमेरिका	30 जून - 2 जुलाई 2018
4.	स्पेशियलटी एंड फाईन फूड फेयर	सिंगापुर	17-19 जुलाई 2018
5.	फूड इंफ्रिडिंटस साउथ अमेरिका	साओ पाउलो, ब्राज़िल, दक्षिण अमेरिका	21-23 अगस्त 2018
6.	फाईन फूड आस्ट्रेलिया	मैलबर्न, आस्ट्रेलिया	10-13 सितम्बर 2018
7.	वर्ल्ड फूड मोस्को	मास्को, रूस	17-20 सितम्बर 2018
8.	सिआल, पैरिस	पैरिस, फ्रांस	21-25 अक्टूबर 2018
9.	गल्फूड मैन्यूफैक्चरिंग	यूएई	6-8 नवम्बर 2018
10.	बायोफैक जर्मनी	नूरेमबर्ग, जर्मनी	13-16 फरवरी 2019
11.	फूडैक्स जापान	चीबा सिटी, जापान	5-8 मार्च 2019

संवर्धनात्मक अभियान:

ऑनलाइन संवर्धनात्मक अभियान:

ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रचार अभियान चलाया जाता है और मसालों व मसाला उत्पादकों के गूगल विज्ञापन लिंक उपलब्ध कराता है। इसे ऑनलाइन दर्शकों को शिक्षित कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह मसालों पर जागरूकता पैदा करता है जिसमें वानस्पतिक, भौगोलिक, व्यापार, चिकित्सीय और पाककला के पहलू शामिल हैं।

पत्रिकाएं

बोर्ड की पांच भाषाओं-अंग्रेजी, हिंदी, मलायलम, कन्नड और तमिल में प्रकाशित मासिक पत्रिका 'स्पाइस इण्डिया' समय पर

प्रकाशित की गई। अनुसूची के अनुसार त्रैमासिक अंक तेलुगू भाषा में निकाला गया।

फोरिन ट्रेड एंक्वयरीज बुलेटिन (एफटीईबी): मसालों के निर्यातकों को सुविधाजनक बनाने के लिए, विदेशी व्यापार मेलों, ई-मेल और बोर्ड के कार्यालयों से बोर्ड द्वारा सीधे एकत्रित व्यापारिक जानकारी आदि को एफटीईबी के रूप में समेकित और प्रकाशित किया गया।

अन्य प्रकाशन:

वर्ष 2018-19 के दौरान प्रकाशित पुस्तिकाएं और ब्रोशर थे:

1. स्पाइसेस बोर्ड इंडिया (अंग्रेजी) पर सामान्य विवरणिका।
2. अंतर्राष्ट्रीय मेलों के लिए विवरणिका



7. कोडेक्स सेल और हस्तक्षेप

मसालों व पाक शाकों पर कोडेक्स समिति

मसालों व पाक शाकों पर कोडेक्स समिति, जुलाई 2013 के दौरान एफएओ मुख्यालय, रोम में संपन्न कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन के 36 वें सत्र में अनुमोदित की गई। सीसीएससीएच का सचिवालय स्पाइसेस बोर्ड में प्रवृत्त है। सीसीएससीएच का पहला सत्र फरवरी 2014 में केरल के कोच्ची, दूसरा सत्र सितंबर, 2015 में गोवा और तीसरा सत्र फरवरी, 2017 में चेन्नई में संपन्न हुआ।

मसालों और पाक शाकों (CCSCH4) पर कोडेक्स समिति का चौथा सत्र 21 से 25 जनवरी, 2019 को होटल लीला कोवलम, तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित किया गया। सत्र का उद्घाटन केरल के माननीय राज्यपाल श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पी. सदाशिवम ने किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री, श्री सुरेश प्रभु ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से अध्यक्षीय भाषण दिया। सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने मुख्य भाषण दिया। उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथियों में डॉ. एम. षण्मुगा सुंदरम आईएस, सचिव, स्पाइसेस बोर्ड और श्री एम. शरवणन आईएस., निदेशक, बागान भी थे। डॉ. ए. बी. रमाश्री, निदेशक, स्पाइसेस बोर्ड ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

पूरे विश्व के लगभग 28 कोडेक्स सदस्य देशों ने इस सत्र में भाग लिया जिसमें एक पर्यवेक्षक (IOSTA) और एक सदस्य संगठन (यूरोपीय संघ) और भारत सहित लगभग 88 प्रतिनिधि शामिल थे।

सत्र में आठ मसालों और शाकों जैसेकि सूखे या निर्जलित ओरगेनो, लहसुन, अदरक, मिर्च (चिली पेप्पर) और पैप्रिका, लौंग, तुलसी, जायफल और केसर के लिए मानक के मसौदे पर चर्चा की गई।

सूखी जड़ों, प्रकंदों और कन्द के लिए प्रस्तावित मसौदा मानक-सूखे या निर्जलित लहसुन को चरण 5/8 पर अंतिम अंगीकरण के लिए CAC42 को भेज दिया गया। समिति ने निम्नलिखित प्रस्तावित मसौदा मानकों अर्थात् सूखे या निर्जलित ओरगेनो, अदरक, लौंग, तुलसी और केसर को कोडेक्स एलिमेंटारियस

कमीशन (CAC42) के 42वें सत्र में चरण 5 में अंगीकरण के लिए और मिर्च (चिल्ली पेप्पर) के लिए प्रस्तावित मसौदा मानक और पैप्रिका और सूखे जायफल पर 2/3 में विचार करने के लिए लंबित रखा क्योंकि कुछ बकाया मुद्दों पर आगे चर्चा की आवश्यकता है।

CCSCH4 के लिए कोडेक्स सचिवालय द्वारा एक संतोषजनक सर्वेक्षण किया गया था। कुल 50 उत्तरदाताओं ने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण के उत्तर दिए, जिसमें CCSCH4 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर 15 संरचित प्रश्न शामिल थे। लगभग 91 प्रतिशत उत्तरदाता, सत्र की समग्र व्यवस्था से संतुष्ट थे जबकि नौ प्रतिशत ने तटस्थ प्रतिक्रिया दी।

आगामी सत्र (CCSCH5)

मसाले और पाक शाकों पर कोडेक्स समिति का 5वां सत्र 21 से 25 सितंबर, 2020 तक के लिए अस्थायी रूप से निश्चित किया गया है।

अन्य कार्यकलाप

बोर्ड ने, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अध्यक्ष, सुश्री रीता तेवतिया की अध्यक्षता में 12 फरवरी, 2019 को एफडीए भवन, नई दिल्ली में चौथी राष्ट्रीय कोडेक्स समिति की बैठक में भाग लिया।

बोर्ड ने कोडेक्स एशियाई क्षेत्र के लिए 'कोडेक्स में सहभागीदारी के लिए प्रभावी तैयारी' पर नई दिल्ली में 05-06 सितंबर, 2018 को आयोजित कार्यशाला में भी भाग लिया।

आईएसओ /टीसी 34/एससी 7

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की एफएडी 09 की स्पाइसेस, क्यूलिनरी हर्ब्स एंड कोन्डिमेंट्स सेक्शनल कमिटी के अध्यक्ष के रूप में, पदनाम से डॉ. ए. बी. रमाश्री, निदेशक (अनुसंधान), स्पाइसेस बोर्ड को चुना गया है। एफएडी 09, टीसी 34/एससी 7 समिति, जो मसालों व शाकों के लिए मानक विकसित करती है, उसका सचिवालय है।

बोर्ड ने नई दिल्ली के कृषि भवन में 8 मार्च, 2019 को 23वीं



एफएडीसी बैठक में भाग लिया।

मानक व व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ)

स्पाइसेस बोर्ड ने “भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना और क्षमता निर्माण और नए हस्तक्षेपों के माध्यम से अभिगम्यता में सुधार” शीर्षस्थ परियोजना अनुदान के लिए संशोधित आवेदन,

मानक एवं व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ), डबल्यूटीओ के अधीन का एक संगठन, जो खाद्य व्यापार में स्वास्थ्यकर एवं पादपस्वच्छता के मामलों को सुलझाने में विकासशील राष्ट्रों की मदद करता है, को प्रस्तुत किया। यह परियोजना, जो 892.030 यू एस डोलर के कुल बजट पर आकलित है, एस टी डी एफ द्वारा अनुमोदित की गई।



8. गुणवत्ता सुधार

स्पाइसेस बोर्ड ने 1989 में कोच्ची में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना की। 1997 से आईएसओ 9001:2000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत प्रमाणित और 2009 में इसे आईएसओ 9001:2008 अपग्रेड किया गया और 1999 से ब्रिटिश मानक संस्थान, यूके द्वारा आईएसओ 14001:2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और सितंबर 2004 के बाद से राष्ट्रीय प्रमाणीकरण बोर्ड, परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा आईएसओ/आईईसी: 17025 के रूप में प्रमाणित किया गया है।

कोच्ची की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला ने अपनी गुणवत्ता प्रणाली आईएसओ 9001:2005 और आईएसओ 14001:2005 को वर्ष 2018 में आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 14001:2015 में अपग्रेड किया है और एनएबीएल द्वारा क्यूईएल आईएसओ/आईईसी 17025:2005 गुणवत्ता प्रणाली के प्रमाणन को एसओ/आईईसी 17025:2017 में अपग्रेड करने की प्रक्रिया की जा रही है।

प्रयोगशाला, आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुसार विश्लेषण करने के लिए परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित है। प्रयोगशाला की विश्लेषणात्मक सेवाओं के लिए प्रासंगिक दस्तावेज़ क्वाडमास नामक एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन किए गए थे, जिसमें वर्कशीट बनाने और विश्लेषणात्मक परिणाम प्रस्तुत करना शामिल था, जिससे एक दिन में हजारों कागज की बचत होती है।

यह, प्रयोगशाला की विश्लेषणात्मक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, इस कार्यक्रम में नियमित सहभागिता के लिए आयोजित जांच नमूना/प्रमाणन राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों खाद्य विश्लेषण, मूल्यांकन योजना और खाद्य परीक्षण प्रवीणता आकलन योजना (FAPAS) और खाद्य परीक्षा प्रवीणता मूल्यांकन योजना (FEPAS), खाद्य और पर्यावरण रेंजि. एजेंसी (फेरा), यू.के.; अमेरिका स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, अमेरिका, इंटरनेशनल पैपर कम्यूनिटी (आईपीसी), जकार्ता, कैंपडेन BRI, UK और भारत में NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा संचालित प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रमों में भाग लेता है।

प्रयोगशाला, प्रमुख आयातक देशों की प्रयोगशालाओं और भारत

में मसाले/मसाले उत्पादों की विश्लेषण प्रयोगशालाओं में नियमित रूप से अंतरप्रयोगशालाओं के साथ एफ्लाटॉक्सिन, सुडान डाई I-IV, कीटनाशक अवशेषों और सूक्ष्म जैविक मापदंडों जैसे साल्मोनेला, टोटल प्लेट काउंट, यीस्ट एंड मोल्ड, स्टैफोसोकोकस ऑरियस, बेसिलस सेरेस, एंटरोबैक्टीरिया जैसे प्रमुख मापदंडों के लिए नियमित रूप से जांच नमूना कार्यक्रम आयोजित करती है। प्रयोगशाला के सभी तकनीकी कर्मचारियों को समय-समय पर CFTRI, मैसूर, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला अमेरिका, इंस्टिट्यूट ऑफ साईंस ऑफ प्रोडक्शन- नेशनल रिसर्च सेंटर- इटली आदि जैसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उनके विश्लेषणात्मक कौशल के अध्ययन हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।

निर्यातकों को त्वरित विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करने के हिस्से के रूप में, स्पाइसेस बोर्ड ने प्रमुख उत्पादन / निर्यात केंद्रों में क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। बोर्ड की चेन्नई, गुंटूर, मुंबई, दिल्ली, तूतीकोरिन और कांडला में कार्यात्मक प्रयोगशालाएँ हैं। कोच्ची, मुंबई, गुंटूर, चेन्नई और दिल्ली की प्रयोगशालाओं में NABL प्रमाणन है। कोलकाता में प्रयोगशाला के 2019 के अंत तक चालू होने की आशा है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रयोगशाला ने भारतीय मसाला उद्योग को विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करना जारी रखा और देश में उत्पादित और संसाधित मसालों की गुणवत्ता की निगरानी की। यह स्पाइसेस बोर्ड के अनिवार्य निरीक्षण के अंतर्गत खेप के नमूनों का विश्लेषण भी करता है। इसमें विभिन्न भौतिक, रासायनिक और जैविक मापदंडों का विश्लेषण करने की सुविधा है, जिसमें कीटनाशक अवशेष, एफ्लाटॉक्सिन, भारी धातु, दूषित/ मिलावटी कृत्रिम रंजक और मसालों और मसाला उत्पादों में विभिन्न सूक्ष्मजीवविज्ञानी मापदंडों के लिए स्वचालित परीक्षण शामिल हैं। प्रयोगशाला विभिन्न विश्लेषणों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत परीक्षण विधियों का अनुसरण करती है और जब कभी आवश्यक हो, नए तरीकों को मान्य करती है।

अ) विश्लेषणात्मक सेवाएं

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, क्यूईएल ने बोर्ड द्वारा लागू अनिवार्य निरीक्षण और परीक्षण के अंतर्गत सुडान डाई I-IV, एफ्लाटॉक्सिन,



कीटनाशक अवशेषों, माइक्रो विश्लेषणात्मक मापदंडों (जीरा में) और साल्मोनेला की मौजूदगी के लिए चयनित मसालों और मसाला उत्पादों का विश्लेषण जारी रखा। अनिवार्य निरीक्षण और परीक्षण के दायरे के विस्तार की आवश्यकता के लिए यूएसए, यूरोपीय संघ, जापान, सऊदी अरब आदि जैसे विभिन्न आयातक देशों को निर्यात की अस्वीकृति की निगरानी की समीक्षा की जाती है।

प्रयोगशाला अपने ग्राहकों को, वेबसाइट में इसका परीक्षण उपलब्ध कराती है, जिसे संशोधित किया गया जिसमें अधिक सूक्ष्म-जैविक मानदंड है और स्वचालित, त्वरित, अद्यतित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हैं। इसके अलावा प्रपत्र को उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल बनाने के लिए संशोधित किया गया।

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक परीक्षण किया गया नमूना और मानदंड निम्नानुसार है:-

आ) मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

वर्ष 2017-18 के दौरान, प्रयोगशाला कर्मियों की तकनीकी क्षमताओं में सुधार और प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई विभिन्न गुणवत्ता प्रणालियों की आवश्यकताओं को अद्यतन करने के भाग के रूप में, तकनीकी कर्मचारियों ने निम्नलिखित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं में भाग लिया।

प्रयोगशाला कर्मियों की तकनीकी सक्षमता में संवर्धन करने और प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई विभिन्न गुणवत्ता प्रणालियों की आवश्यकताओं पर अद्यतन करने के लिए वर्ष के दौरान तकनीकी कर्मचारियों ने निम्नलिखित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कार्यशालाओं में भाग लिया:-

क्यूईएल	प्राप्त नमूनों की संख्या	परीक्षित मानदंडों की संख्या
कोच्ची	13536	25552
कांडला	7802	15200
दिल्ली	4835	8098
मुंबई	14525	29193
चेन्नई	19723	22411
तूतिकोरिन	3794	7400
गुंटूर	7437	10894
कुल	71652	118748

क्रम सं.	माह	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजक
1.	अप्रैल 2018	सार्वजनिक प्रापण प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईएफएम, फरीदाबाद
2.	अप्रैल और मई 2018	आईएसओ/आईईसी 17025 : 2005 वर्जन के आईएसओ/आईईसी 17025 : 2017 वर्जन में परिवर्तन पर एक दिवसीय प्रयोगशाला पाठ्यक्रम	परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड
3.	मई 2018	“मापन में अनिश्चितता” पर दो दिवसीय परीक्षण कार्यक्रम	फाइन फिनिश ट्रेनिंग स्कूल (फाइन फिनिश आर्गैनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रभाग), तलोजा-410 208, नवी मुंबई



4.	जून 2018	सार्वजनिक प्रापण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईएफएम, फरीदाबाद
5.	अगस्त 2018	संशोधित आईएसओ/आईईसी 17025:2017 प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन और आंतरिक लेखापरिक्षा पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	अनुप्रयुक्त गुणवत्ता प्रबंधन संस्थान, मुंबई
6.	सितम्बर 2018	क्रोमेटोग्राफिक तकनीक (GC, HPLC, UHPLC) और खाद्य विश्लेषण में उनकी विश्लेषणात्मक अवधारणा पर अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	सीएफटीआरआई, मैसूर
7.	सितम्बर 2018, जनवरी 2019 विविध स्लॉट	जैम और जीएफआर 2017 पर दो दिवसीय समेकित प्रबंधन विकास कार्यक्रम	एनआईएफएम, फरीदाबाद
8.	सितम्बर 2018	आईएसओ/आईईसी 17025 : 2005 से आईएसओ/आईईसी 17025 : 2017 में परिवर्तन और कार्यान्वयन पर होटल रेनई, कोचीन में दो दिवसीय गैर-आवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	ग्रीन इकोनमी इनिशिएटिव्स प्राईवेट लिमिटेड, मोहाली, पंजाब द्वारा ग्रीन एंटरप्राइजिज, एसआरएम रोड, कोचीन के सहयोग से आयोजित
9.	सितम्बर 2018	खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मुद्दों को सुनिश्चित करने के लिए सीएफटीआरआई कैंपस, मैसूर में क्रोमेटोग्राफिक आधारित विश्लेषण तकनीकों पर अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	सीएफटीआरआई, मैसूर
10.	अक्तूबर 2018	सूक्ष्म जीव-विज्ञान में उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों पर अल्पावधि कार्यक्रम	सीएफटीआरआई, मैसूर
11.	अक्तूबर 2018	उन्नत सार्वजनिक प्रापण 2018-19 पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम	एनआईएफएम, फरीदाबाद
12.	नवम्बर 2018	आईएसओ 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और सहायक प्रबंधन प्रणालियों के आईएसओ समन्वयकों (प्रबंधन प्रतिनिधियों) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	केरल राज्य उत्पादकता परिषद्, कळमशरी
13.	फरवरी 2019	आईएसओआईईसी 17025:2017 और आंतरिक लेखापरिक्षा के अनुसार प्रयोगशाला प्रबंधन प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	भारतीय रबड़ उत्पाद अनुसंधान एसोसिएशन, डीआईपीपी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली से संबद्ध
14.	फरवरी 2019	आईएसओ 17025:2017 मानकों के प्रमाणन के लिए प्रयोगशाला अपेक्षाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	सीएफटीआरआई, मैसूर

इ. प्रशिक्षण कार्यक्रम

क) मसाला उद्योग से तकनीकी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रयोगशाला ने भौतिक, रासायनिक, अवशिष्ट और सूक्ष्मजैविक मापदंडों के लिए मसालों और मसाला उत्पादों के विश्लेषण पर निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया:-

क्यू ई एल, कोच्ची में विभिन्न मसाला उद्योग से तकनीकी कार्मिकों सहित कुल 16 सदस्यों ने कार्यक्रमों में भाग लिया।

- मसालों और मसाला उत्पादों में माइकोटॉक्सिन और अवैध रंगों के विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम - 3 से 7 दिसंबर 2018 - संख्या 7
- USFDABAM / स्वचालित विधियों का उपयोग करते हुए मसालों / मसाला उत्पादों के सूक्ष्म-जैविक



विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम -4 से 8 फरवरी 2019- संख्या 4

iii. मसाला / मसाला उत्पादों के भौतिक और रासायनिक विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम-10 से 14 दिसंबर 2018- संख्या 5

2. क्यूईएल, मुंबई ने 21/01/2019 से 25/01/2019 के दौरान FSSAI के सहयोग से “श्रेष्ठ खाद्य प्रयोगशाला पद्धति” का प्रशिक्षण आयोजित किया।
3. क्यू ई एल, मुंबई के वैज्ञानिक ने 01.11.2018 को ‘मसालों के रासायनिक और सूक्ष्मजैविक गुणवत्ता’ पर मसाला निर्यातकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया।

ख) अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम विवरण

- वैज्ञानिक ग, क्यूईएल, चेन्नई स्पाइसेस बोर्ड, CII और संयुक्त खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान (यूएसए) द्वारा मसाले और पाक शाकों में खाद्य सुरक्षा पर हैदराबाद में 25.02.2019 को आयोजित प्रशिक्षण में संकाय थे।
- वैज्ञानिक ग, क्यूईएल, दिल्ली, मसालों के निर्यात के लिए, गुणवत्ता नियंत्रण, निर्यात प्रक्रिया, उत्पाद प्रमाणन और अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों पर राज्य सरकार में विशेषज्ञों के विकास पर 13.10.2018 को बागवानी व खाद्य प्रसंस्करण विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड में प्रशिक्षण हेतु संकाय थे।
- सीटीसी सेल, वैज्ञानिक ग, क्यूईएल दिल्ली, मसाले में खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संकाय थे। 70 से अधिक कृषकों, कृषक समूहों और निर्यातकों, जिनका कृषकों के साथ पृष्ठ एकीकरण जुटाव है, ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 21-22 फरवरी, 2019 के दौरान वैज्ञानिक ग, क्यूईएल, नरेला के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

ई. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भागीदारी

प्रयोगशाला, मसालों/ मसाला उत्पादों के लिए गुणवत्ता के मुद्दों, विनिर्देशन आदि के निर्माण से संबंधित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बैठकों

में सक्रिय रूप से भाग लेती है। वर्ष 2018-19 के दौरान प्रयोगशाला के तकनीकी कर्मचारियों ने निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लिया:-

1. मसालों और पाक शाकों पर 21 से 25 जनवरी 2019 के दौरान केरल के कोवलम में कोडेक्स समिति का चौथा सत्र
2. गुणवत्ता पर आईपीसी समिति की 45 सितंबर 2018 के दौरान हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम में हुई 24 वीं बैठक।
3. रत्नगिरी में 27 फरवरी, 2019 को क्षेत्रीय संगोष्ठीक्यूआई टीपी कार्यक्रम।
4. कोडेक्स एलिमेंटारियस आयोग की एफडीए भवन, नई दिल्ली में 41 वें सत्र के लिए 07/05/2018 को हुई दूसरी छाया समिति की बैठक।
5. एग्री कमोडिटीज के लिए मसौदा अधिसूचना के लिए डीएमआई, फरीदाबाद में 07/09/2018 को आयोजित एगमार्क मानक समिति की बैठक।
6. EIC, अपेडा और अन्य कमोडिटी बोर्ड के साथ एकीकृत मूल्यांकन पर 26-06-2018 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में NABL द्वारा आयोजित बैठक।
7. “मानक, विनियमों और डब्ल्यूटीओ एसपीएस और टीबीटी उपायों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम” “मसाले के निर्यात-एसपीएस और गुणवत्ता के मुद्दे” के बारे में आईआईएफटी में 30/11/2018 को 18 देशों के 27 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए प्रस्तुति दी गई।
8. इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में FSSAI द्वारा “नेशनल ईट राइट मेला” का 14-16 दिसंबर, 2018 के दौरान आयोजन किया गया। मसाले में प्रचलित विभिन्न मसालों और मिलावट प्रथाओं को प्रदर्शित करने वाले एक स्टाल का प्रबंध वैज्ञानिक सी, क्यूईएल, नरेला ने किया।

उ. आईएसओ सिस्टम संबंधित कार्यक्रमलाप

1. क्यूईएल, तुतिकोरिन आईएसओ आईईसी 17025:2017 प्रमाणन के प्रलेखन / संबंधित कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया में है। इसकी आईएसओ / आईईसी 17025



गुणवत्ता प्रणाली की आंतरिक लेखापरीक्षा 30-04-2019 और 01-05-2019 के लिए निर्धारित की गई है।

2. क्यूईएल, चेन्नई ने डेस्कटॉप लेखापरीक्षा पूरी कर ली है और एनएबीएल से प्राप्त आईएसओ आईईसी 17025:2005 के अनुसार अनुपालन जारी कर दिया है, (प्रमाणपत्र संख्या: TC 7104 दिनांक 28/3/2018 27/03/2020 तक मान्य)
3. NABL डेस्कटॉप निगरानी लेखापरीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई और क्यूईएल, मुंबई के NABL द्वारा दिनांक 13/03/2019 के पत्र के अनुसार मान्यता जारी रही।
4. क्यूईएल, कोच्ची ने NABL द्वारा 17025:2005 प्रणाली के अंतर्गत डेस्कटॉप निगरानी लेखापरीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की। 23/11/2019 तक मान्यता मान्य है।
5. क्यूईएल, कोच्ची ने अगस्त 2018 में गुणवत्ता और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (QEMS) के रूप में आईएसओ 9001:2005 और आईएसओ 14001:2015 के संयुक्त कार्यान्वयन के लिए ब्रिटिश मानक संस्थान (BSI) द्वारा पुनरावर्तन लेखापरीक्षा भी पूरी की गई। प्रमाणन 7-8-2018 से प्रभावी है और 6-8-2021 तक मान्य है।
6. NABL प्रमाणन के नवीनीकरण के लिए, क्यूईएल, दिल्ली ने NABL लेखापरीक्षकों द्वारा 14-15 जुलाई -2018 को नवीकरण मूल्यांकन किया है। प्रयोगशाला को सफलतापूर्वक रासायनिक और सूक्ष्म-जैविक परीक्षण के लिए 21/09/2020 तक एनएबीएल प्रमाणन का नवीकरण प्राप्त हुआ है।

ऊ. एएसटीए जांच नमूना कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, क्यूईएल चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोच्ची, गुंटूर और कांडला ने एएसटीए श्रृंखला संख्या 13, 14, 15 और 16 में मापदंडों के लिए 16 अध्ययनों में भाग लिया - मैट्रिक्स रेड पेपर में कलर वैल्यू और कैपेसिसिन; मापदंडों के लिए - काली मिर्च में वाष्पशील तेल, नमी और पिपेरिन। सभी अध्ययनों का Z स्कोर स्वीकृति की सीमा में है और जहां भी विचलन देखा गया है वहां सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

ऋ. स्पाइसेस बोर्ड नमूना जांच कार्यक्रम / प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम

- 1) क्यूईएल ने विभिन्न भौतिक, रासायनिक, अवशिष्ट और सूक्ष्मजीवविज्ञानी मापदंडों के लिए अंतर-प्रयोगशाला जांच नमूना कार्यक्रम आयोजित किया और परिणाम "जेड" स्कोर की सीमा के भीतर थे।
- 2) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसेकि एफईआरए, एफएपीएस, यूके व अश्वी पीटी प्रोवाइडर्स द्वारा संचालित प्रवीणता-परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रयोगशालाओं ने विभिन्न मापदंडों जैसे अफ्लाटॉक्सिन और ओक्राटॉक्सिन ए, भारी मात्रा में सीसा और तांबा, नमी, कुल राख, एसिड में सक्रिय रूप से भाग लिया। अघुलनशील राख, क्रूड फाइबर, एनवीईई, स्टार्च, करक्यूमिन और प्राप्त परिणाम संतोषजनक थे, जहां विचलन को सुधारात्मक पाया गया, मूल कारण विश्लेषण के बाद लिया गया।
- 3) गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं के साथ अंतर प्रयोगशाला जांच नमूना कार्यक्रम के चार दौरे आयोजित किए और मापदंडों के लिए अन्य क्यूईएल सूडान I-IV (अवैध रंग), आईएलसी कार्यक्रमों के सभी दौर में क्यूईएल, कोच्ची का प्रदर्शन संतोषजनक था।
- 4) एफएपीएस प्रवीणता-परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, क्यूईएल कोच्ची ने एफ्लाटॉक्सिन और ओक्राटॉक्सिन ए (संख्या-4) के लिए पीटी कार्यक्रम में भाग लिया। प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत सभी परिणाम जेड स्कोर सीमा के भीतर अच्छे पाए गए हैं। साथ ही प्रयोगशाला ने मेसर्स आशवी पी टी द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय पीटी कार्यक्रम में भाग लिया। भारी धातु मापदंडों (Pb, Cu और Cd), नमी, कुल राख, वाष्पशील तेल और गैर वाष्पशील ईथर निकालने (संख्या-2) के लिए अश्वी पीटी और परिणाम जेड स्कोर सीमा के भीतर पाए गए हैं।
- 5) सूक्ष्म-जैविक परीक्षण मापदंडों के लिए प्रयोगशाला ने आईएलटी के साथ पीटी प्रोग्राम में भाग लिया - अंतर प्रयोगशाला परीक्षण एस.ए, अर्जेंटीना के लिए कुल प्लेट काउंट, कुल कोलीफॉर्म काउंट, ई. कोली, पॉजिटिव



स्टैफिलोकोकस ऑरियस कोगुलेज़, क्लॉस्ट्रिडियम पर्फिंगेंस और साल्मोनेला।

- 6) क्यूईएल कोच्ची, मुंबई, चेन्नई, नरेला, तुतिकोरिन और गुंटूर ने साल्मोनेला के विश्लेषण के लिए आयोजित एफएपीएएस प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और परिणाम संतोषजनक रहे।

ए. मसालों के लिए मानकों का सामंजस्य:

प्रयोगशाला के कर्मचारियों ने आईएसओ मानकों और एफएसएसआई के साथ भारतीय मानकों के सामंजस्य के लिए बैठकों में भाग लिया, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), एफएसएसआई और आईएसओ सचिवालय के सहयोग से किया जा रहा है। क्यूईएल के प्रयोगशाला कर्मचारियों ने विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कार्य करने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूहों का नेतृत्व करके मसाले और पाक शाकों (CCSCH4) 21-25 में जनवरी 2019, को तिरुवनंतपुरम में कोडेक्स समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया।

ऐ. परियोजना / मानकीकरण कार्य

- 1) क्यूईएल, चेन्नई में - मिलावट का पता लगाने के लिए बड़ी इलायची में वाष्पशील तेल की रासायनिक रूपरेखा पर परियोजना चल रही है।
- 2) समीक्षा की अवधि के दौरान-पिलॉट अध्ययन "विश्लेषणात्मक कार्यों को आउटसोर्स करने पर" आयोजित किया गया था और स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपी गई थी।
- 3) मसालों में लगभग 100 कीटनाशक अवशेषों के लिए जीसी

एमएस / एमएस विधियों के मानकीकरण और अनुकूलन के लिए, मेसर्स एगिलेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्रयोगशाला ने एक सहयोगी अध्ययन किया है। यह कार्य क्यूईएल द्वारा किया जा रहा है जिसमें एजीलेंट जीसी एमएसएमएस सिस्टम है, अर्थात् QELs - कोच्ची, चेन्नई, गुंटूर, मुंबई और कांडला। परियोजना के अंतर्गत, एजीलेंट आवेदन समर्थन अधिकारी और सेवा इंजीनियर अध्ययन में समन्वय के लिए प्रत्येक प्रतिभागी प्रयोगशाला का दौरा करेंगे। काम दो चरणों में किया जा रहा है। QELs कोच्ची, चेन्नई और गुंटूर में पहला चरण पूरा हो चुका है। QELs कांडला और मुंबई में दूसरा चरण जून 2019 के दूसरे सप्ताह में प्रारंभ किया जाएगा।

- 4) इसके अलावा क्यूईएल, कोच्ची ने भी निम्नलिखित मानकों को मानकीकृत किया है -

1. करक्यूमिन - हल्दी में आईएसओ विधि
2. नमी - केसर में आईएसओ विधि
3. विश्लेषण का विश्लेषण करें

ओ. प्रयोगशाला अवसंरचना को सुदृढ़ करना और उपकरणों का क्रय

क्यूईएल, कोलकता के लिए निर्माण कार्य प्रगति में है, स्थापनापूर्व निर्माण कार्य जून, 2019 तक पूरे किए जाने निर्धारित हैं। इसके अनुसरण में, मसालों में रसायन तत्वों के परीक्षण के लिए उपकरण स्थापित किए जाएंगे। अन्य ऊष्माकार और मानव सूक्ष्म जैव उपकरण जीओएम के जरिए प्राप्त किया जा रहा है, प्रयोगशाला के 2019 में पूर्ण होने की आशा है।



9. निर्यातोन्मुख अनुसंधान

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, ने रिपोर्टाधीन अवधि में मुख्य रूप से फसल सुधार, जैव प्रौद्योगिकी, पोषक प्रबंधन और मृदा विश्लेषण पर आधारित फसल उत्पादन अध्ययन, छोटी और बड़ी इलायची में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन पर आधारित फसल संरक्षण अध्ययन और अन्य मसालों के दौरान अनुकूली परीक्षणों पर शोध कार्यक्रम किया।

अ. फसल सुधार

क) छोटी इलायची

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, छोटी इलायची की 15 अनूठी प्राप्तियाँ एकत्रित की गईं और आईसीआरआई, मैलाडुम्पारा में जीन बैंक में जोड़ने के लिए गुणन के लिए लगाई गईं। सकलेशपुर, कर्नाटक में छोटी इलायची की चार अनूठी प्राप्तियाँ एकत्रित की गईं और कई गुना बढ़ गईं।

आईसीआरआई, राष्ट्रीय जर्मप्लाज्म संरक्षण, मायलाडुम्पारा में वर्तमान में छोटी इलायची के 563 एक्सेशन और 12 सहायक जिनेरा हैं और आईसीआरआई सकलेशपुर में, जीन बैंक में इलायची की 251 प्राप्तियाँ और 10 सहायक जिनेरा हैं।

चालू वर्ष के दौरान, आईसीआरआई, से छोटी इलायची की जारी / सुधरी हुई लाइनों के 6500 अंतर्भूस्तरियों का उत्पादन और आपूर्ति की गई और छोटी इलायची की चयनित लाइनों की 4350 रोपण सामग्रियों का उत्पादन और सकलेशपुर, आईसीआरआई से जरूरतमंद किसानों को आपूर्ति की गई।

जर्मप्लाज्म रिपॉजिटरी में छोटी इलायची की 150 प्राप्तियों का मूल्यांकन मैलाडुम्पारा में प्रारंभिक मूल्यांकन परीक्षण (पीईटी) के रूप में किया गया और सकलेशपुर में जर्मप्लाज्म भंडार में 50 छोटी इलायची का एक्सेशन किया गया। छोटी इलायची पर मैलाडुम्पारा और सकलेशपुर में संकरण कार्यक्रम किए गए। मूल्यांकन के लिए खेत में संकर पौधे लगाए गए।

आईसीएआर स्पाइसेस बोर्ड सहयोजित परियोजना, मसालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपीएस) जारी रही और आंकड़े मैलाडुम्पारा और सकलेशपुर में दर्ज किए गए।

अन्य मसालों के अनुकूल परीक्षणों के अंतर्गत, काली कालीमिर्च की किस्मों का प्रदर्शन मूल्यांकन मैलाडुम्पारा में किया गया था।

ख) बड़ी इलायची

सिक्किम के उत्तरी जिले के दज़ोंगू इलाके में आयोजित सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप बड़ी इलायची के दो अनूठे जर्मप्लाज्म संग्रह किए गए, जो कि वालेंगी की खेती से संबंधित हैं। दोनों परीक्षणों (एससीसी 307 और एससीसी 308) को आगामी परीक्षणों के लिए पांगतांग अनुसंधान फार्म में जर्मप्लाज्म रिपॉजिटरी में जोड़ा गया था।

आ. जैव प्रौद्योगिकी

क) छोटी इलायची

आणविक मार्करों का उपयोग करके छोटी इलायची और कालीमिर्च की लैंड रेस की विविधता का विश्लेषण किया गया था। छोटी इलायची की लैंड रेस में विविधता विश्लेषण से उच्च बहुरूपता का पता चला है जिसे भविष्य में इलायची के प्रजनन कार्यक्रमों में रेस का चिन्हीकरण करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इलायची अषुकल सहिष्णुता में शामिल पुटीय जीन का विश्लेषण किया गया था। संदर्भ जीन / हाउसकीपिंग जीन अनुक्रमों की मौजूदगी के लिए अनुक्रम विश्लेषण किया गया था। छोटी इलायची में आणविक प्रतिलेखन के विश्लेषण से अन्य कृषि फसलों में रोगप्रतिरोधक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण जीनों की प्रचुरता का पता चला। छोटे इलायची में टैक्सोल जैवसंश्लेषण के लिए उत्तरदायी पुटीय जीन की मौजूदगी की भी संभावना है, जो विश्लेषणाधीन है। भारतीय इलायची के डीएनए प्रोफाइल और ग्वाटेमाला इलायची के भौगोलिक मूल के विश्लेषण के हिस्से के रूप में उच्च स्तर की बहुरूपता का पता चला है जो विशिष्ट मार्कर विकास का नेतृत्व करता है। आरएनए अलगाव और कट्टे वायरस के विश्लेषण के साथ-साथ फीलोडी प्रभावित इलायची के नमूने लिए गए। छोटी और बड़ी इलायची, काली मिर्च, वेनिला, अदरक और हर्बल मसालों के उतक संवर्धन शुरू किए गए। इडुक्की जिले के 21 अलग-अलग स्थानों पर इलायची राइजोस्फीयर से एकत्र किए गए फुसैरियम के मॉर्फोलॉजिकल लक्षण वर्णन किए गए और कल्चर उत्पन्न



किए गए और आगामी आणविक लक्षण वर्णन के लिए संसाधित किए गए।

परियोजना, प्रशिक्षुओं को डीएनए प्रोफाइलिंग, जैव सूचना प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म उपग्रह मार्करों का प्रशिक्षण और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। मेडिकल छात्रों को डीएनए प्रोफाइलिंग पर प्रशिक्षण, और स्पाइस प्लांट के टिशू कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर आदि पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षुओं और कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

ख) बड़ी इलायची

बड़ी इलायची में चिरकी वायरस रोग से संबंधित संक्रमण का विश्लेषण किया गया। बड़ी इलायची में सूक्ष्म उपग्रह मार्करों के विभिन्न उपयोगों और खनन की आनुवंशिक विविधता का विश्लेषण किया गया। बड़ी इलायची की प्राकृतिक किस्मों / खेती का विविधता विश्लेषण जारी है। आरएनए अलगाव और चिरकी वायरस से प्रभावित बड़ी इलायची के नमूनों का विश्लेषण किया गया।

इ. कृषि विज्ञान और मृदा विज्ञान

छोटी इलायची

कृषि विज्ञान और मृदा विज्ञान प्रभाग के अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में, केरल और तमिलनाडु में लगातार आधार पर मिट्टी की उर्वरता की स्थिति का आकलन, सलाहकार मिट्टी सेवा, जल प्रबंधन, जैविक खेती, कीटनाशक अवशेषों की निगरानी, जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन और फसल प्रसंस्करण शामिल हैं।

इलायची उत्पादकों से प्राप्त कुल 1649 मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण सभी पोषक तत्वों और पीएच स्तर के लिए किया गया था। मृदा परीक्षण की रिपोर्ट में मिट्टी के बढ़ते ट्रेक्ट्स (70 प्रतिशत) में मिट्टी के संशोधन के लिए एक प्रमुख समस्या के रूप में मिट्टी के अम्लीकरण का पता चला है, जो मिट्टी के संशोधन (लाइम या डोलोमाइट) के अनुप्रयोग की आवश्यकता है। लगभग 50 प्रतिशत मिट्टी में फॉस्फोरिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण अनुप्रयोग के लिए बहुत अधिक फॉस्फोरस सामग्री की आवश्यकता होती है। द्वितीयक पोषक तत्वों में, 87 प्रतिशत मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण में सल्फर की कमी देखी गई। सूक्ष्म पोषक तत्वों में,

बोरान का विश्लेषण किए गए मिट्टी के नमूनों में 69 प्रतिशत की कमी थी। किसानों को मिट्टी में फॉस्फोरस के स्तर के संचय और इलायची की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने में प्राथमिक सल्फर की लाभकारी भूमिका के बारे में बताया।

कर्नाटक की परिस्थितियों में इलायची में अनुशंसित एनपीके उर्वरकों के साथ बराबर उपज पर दर्ज जैव उर्वरक कंसोर्टियम के साथ कॉफी पल्प कम्पोस्ट का अनुप्रयोग किया गया। इलायची उत्पादकता में सुधार करने के लिए आईडब्ल्यू/सीपीई अनुपात 0.75 पर सिंचाई करके इलायची की आपूर्ति की गई। पाँच प्रतिशत से ऊपर एनपी के सीधे उर्वरकों के पत्ते के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप इलायची (मलबार प्रकार) में फाइटो विषाक्तता हो गई। मौसम के आंकड़ों को नियमित रूप से दर्ज किया गया और मसाला उद्योग में विभिन्न हितधारकों को प्रदान किया गया।

सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और भारत के नागालैंड राज्यों से बड़ी इलायची के उच्च और निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्रों से मिट्टी और पौधों के नमूनों के संग्रह के लिए सर्वेक्षण किया गया था। बोरेक्स @ 0.5 प्रतिशत + मृदा बोरेक्स @ 2.5 किग्रा / हेक्टेयर दर्ज की गई उच्चतम शुष्क उपज (5.77 क्विंटल प्रति हेक्टेयर) और अधिकतम बी सी अनुपात (2.51) का नियंत्रण के मुकाबले उपचार किया गया।

बड़ी इलायची में मिट्टी की नमी संरक्षण प्रथाओं से सतह के रूप में काफी उच्च मिट्टी की आर्द्रता बनाए रखने का पता चला। क्लम्प के आधार पर अर्ध-चंद्र के आकार की खाई होने के उपचार में बड़ी इलायची में नियंत्रण की तुलना में अधिकतम सूखी उपज (7.24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर) और उच्चतम बी सी अनुपात (2.70) दर्ज किया गया।

ई. पादप रोगविज्ञान

क) छोटी इलायची

विभिन्न सतह की सफाई करने वाले तत्वों अर्थात् ओजोन, वेज फ्रू वॉश, सिरका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि के उपयोग से छोटी इलायची के ताजे कैप्सूल से कीटनाशक अवशेषों को हटाने के तंत्र पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि ओजोन द्वारा पीछा किया गया था, जिसके बाद वेज फ्रू वॉश द्वारा फोसलोन क्रमशः 46.93 प्रतिशत, और 28.57 प्रतिशत अवशेषों को



हटाने में प्रभावी थे। छोटी इलायची में फाइटोफथोरा पत्ती के संक्रमण को कम करने के लिए फॉसेटिल-अल 80 डब्ल्यूपी प्रभावी पाया गया। छोटी इलायची के दो फफूंद रोगजनकों के कारण पर्णधब्बा (फोडोडेक्टाइलियम अल्पिनिया (सवादा) एमबी एलिस (NFFCI 4487) और संपुटिका सड़न (Phytophthora meadii McRee) (NFFCI 4488) अलग-थलग हो गए और चिह्नित नमूने नेशनल फंगल कल्चर कलेक्शन इंडिया में जमा किए गए। मिट्टी जनित फफूंद रोगजनकों की संख्या को कम करने के लिए डोलोमाइट और इसके संयोजनों का मृदा अनुप्रयोग पाया गया। इडुक्की जिले में छोटी इलायची के रोगों पर समय-समय पर सर्वेक्षण किया गया। विभिन्न स्थानों पर छोटी इलायची में फ्यूजेरियम के संक्रमण दर्ज किए गए। शुद्ध संवर्ध को अलग करके पहचाना और बनाया रखा गया है। इलायची फीलोडी बीमारी (छोटी इलायची पर एक नई बीमारी) अक्टूबर 2018 के दौरान इडुक्की जिले के मावडी से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। पुष्पण के दौरान विकसित होने वाले सबसे अधिक लक्षण पर निचले फूलों की कलियों को वनस्पति टिलर में संशोधित करने के लिए किया गया, जो सामान्य टिलर के समान दिखते थे और ज्यादातर मामलों में, टिलर ने जड़ें उगा दी थीं। कुछ मामलों में, फूलों की कली एक असामान्य टिलर में बदल जाती है, जिसमें पपड़ीदार पत्ते होते हैं जो गहरे हरे और चमड़े के होते हैं। पैंकों की शाखा का भी अवलोकन किया गया। फिलोडी रोगसूचक छोटे इलायची पौधों (जड़, मध्य शिरा और पुष्पगुच्छ के नमूने) से डीएनए अलगाव पूरा हो गया था। तीन आईएसएसआर प्राइमरों अर्थात् आईएसएसआर-8, 5 और 10 का उपयोग करके आणविक लक्षण वर्णन किया गया था। आईटीएस-1 & 2 क्षेत्र के rDNA के 18 पर्णधब्बा रोगजनक आइसोलेट्स किए गए थे और आईटीएस 1 & 4 क्षेत्र को अलग किया गया था और अनुक्रमण के लिए भेजा गया था। पर्ण शीर्णता संक्रमित छोटी इलायची के पौधों से तीन फफूंद कल्चर को अलग कर दिया गया और रोगजनकता का अध्ययन किया गया। छोटी इलायची के सड़ांध को एकत्र किया गया और आगे के मूल्यांकन के लिए आईसीआरआई फार्म की स्थापना की गई।

लघु-सूचीबद्ध इलायची की सड़ांध सहिष्णु प्राप्ति (एसकेपी 189, 136, 229, 110, 158, 165, 166) और (175) और संपुटिका सड़न (एसकेपी 5, 110, 163, 166, 167, 175 और 283) और गुणन के लिए खेत में लगाए गए थे, और

आगामी मूल्यांकन की निगरानी कर्नाटक के सकलेशपुर में की गई। पाइथियम और राइजोक्टोनिया के प्रतिरोध के लिए पहले से सूचीबद्ध छोटी इलायची के पांच ओपी अंकुर गुणन के लिए क्षेत्र में स्थापित किए गए थे। इसके अलावा, प्रकंद रोट रोगजनकों के विरुद्ध स्क्रीनिंग के लिए 32 मूल लाइनों से 3000 ओपी पौध उठाई गई थीं। राइजोम सड़न और संपुटिका सड़न के प्रबंधन के लिए जैव तत्वों के बारह लघु सूचीबद्ध उपभेदों का मूल्यांकन किया गया। पॉली हाउस में प्रारंभिक जांच के बाद चुने गए इलायची के छह परिग्रहण (एसकेपी 80, 81, 182, 116, 134 और 191) के प्रतिरोध के लिए क्षेत्र में मूल्यांकन किए जा रहे हैं और सीजन के दौरान कोई बीमारी नहीं हुई थी।

ख) बड़ी इलायची

पश्चिम बंगाल के सिक्किम और दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों की बड़ी इलायची के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र की गई बड़ी इलायची की पांच धमाकेदार बीमारी से बची लाइनों को गुणा किया गया। मास स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की मातृ संवर्ध को बढ़ाता है और पश्चिम बंगाल के सिक्किम और दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों के प्रगतिशील किसानों को आपूर्ति की जाती है।

उ. कीट विज्ञान

छोटी इलायची

एआईसीआरपी थ्रिप्स प्रबंधन के परीक्षण में नए कीटनाशक अणुओं अर्थात् फिप्रोनिल, इमिडाक्लोप्रिड और स्पिनोसेड को लागू किया गया। कीटनाशक “हंक” को पांच स्थानों अर्थात् मैलाडुंपारा, वेल्लिमला, सकलेशपुर, गुडलोर और अडेलोर में रालिस द्वारा बाह्य वित्त पोषित परियोजना के हिस्से के रूप में लागू किया गया। इलायची क्षेत्र में पीले और नीले रंग के चिपचिपे जाल में फंसे कीटों पर अवलोकन किया गया। थ्रिप्स जनसंख्या अलग-अलग इलायची लाइनों में दर्ज की गई और मूल्यांकन जारी है। कुल 38,224 ईपीएन संक्रमित गैलेरिया कैडर्स, एक जैवएजेंट को प्रभाग में उत्पादित किया गया और केरल के इडुक्की डीएक्स में छोटी इलायची में मूल भूगक प्रबंधन के लिए 21.71 एकड़ जमीन को कवर करते हुए जरूरतमंद किसानों और आईसीआरआई फार्म को आपूर्ति की गई। सकलेशपुर में मैदान में संपुटिका वेधक, थ्रिप्स और प्ररोह मक्खी के लिए



सहिष्णु छोटी इलायची प्राप्तिyaँ स्थापित की गई थीं। प्ररोह और शूट और संपुटिका वेधक, प्ररोह मक्खी और थ्रिप्स के कारण नुकसान दर्ज किया गया।

ऊ. प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण

क) छोटी इलायची

छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिला कृषकों, कृष्णागिरि जिले (तमिलनाडु) के कृषकों, सिक्किम और उत्तर पूर्व क्षेत्र के आदिवासी कृषकों के लिए 2018-19 के दौरान मसालों की फसलों पर श्रेष्ठ कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। जैव तत्वों के उत्पादन पर 72 इलायची कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया। इडुक्की जिले के इलायची और काली-मिर्च के कृषकों के लिए इडुक्की जिले में दस मसाला नैदानिकों का समन्वय और आयोजन किया गया। कार्यक्रम से 278 कृषक लाभान्वित हुए। छोटी इलायची और अन्य मसालों में रोग प्रबंधन पर वैज्ञानिक सलाह छोटी इलायची और काली मिर्च के 217 किसानों को दी गई थी। जैवनियंत्रण इनपुट के लिए इक्कीस लाभार्थियों के लिए सूक्ष्मजैव विश्लेषण किए गए। *ट्राइकोडर्मा हर्रिजनम* (1621.5 लीटर), *स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस* (1890 लीटर) और *अर्बुसकुलर माइकोरिज़ा* (10 किलो) जैसे जैव तत्वों को कल्चर की बहुगुणित और आपूर्ति की गई। एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन (आईपीएम) अभियान और क्षेत्र का दौरा 32 स्थानों के लिए किया गया था, जिससे इडुक्की जिले में 908 इलायची, कालीमिर्च, जायफल और अन्य मसालों के किसानों को लाभ हुआ। कालीमिर्च और छोटी इलायची चूसने वालों की गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री के 6445 नग वितरित किए। आईसीआरआई के 40 मजदूरों के लिए मसालों की खेती में कौशल विकास कार्यक्रम चलाया गया। इलायची, कालीमिर्च, वैनिला, जायफल और शाकीय मसालों की पादप प्रसार तकनीकों; पादप ऊतक संवर्धन पर, ऊतक संवर्धित पौधों को सख्त करना; इलायची, ईपीएन और अन्य जैव एजेंट बड़े पैमाने पर उत्पादन में आईएनएम, आईपीएम और आईडीएम; अच्छी नर्सरी और प्रयोगशाला प्रथाओं सहित फसल उत्पादन गतिविधियाँ पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वैज्ञानिकों ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में विभिन्न क्यूआईटीपी QITP कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने आईपीएम

अभियानों, वैज्ञानिक - किसान इंटरफेस, सेमिनार, सिम्पोजिया और शैक्षिक संस्थानों सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर संबंधित विषयों पर मुख्य वार्ता की है।

हाउसकीपिंग स्टाफ, स्कूली बच्चों और स्थानीय समुदाय के लिए मैलाडुंपारा में स्वच्छ भारत सेवा कार्यक्रम और स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करके हिंदी पखवाड़ा 2018 का आयोजन किया गया।

औद्योगिक भ्रमण, स्नातकोत्तर और स्नातक-पूर्व परियोजनाएं और इंटरशिप कार्यक्रम आईसीआरआई, मैलाडुंपारा में आयोजित किया गया, जिसमें केरल और तमिलनाडु क्षेत्र के विभिन्न महाविद्यालयों के 185 छात्र लाभान्वित हुए। स्नातकोत्तर और स्नातक-पूर्व परियोजनाओं/ इंटरशिप 1-3 महीने की अवधि के थे। वर्तमान में पीएचडी के चार छात्र विभिन्न विषयों में अपने डॉक्टरेट कार्यक्रम कर रहे हैं।

आईसीआरआई के मुख्य स्टेशन से सेवा शुल्क और कृषि उपज (छोटी इलायची), रोपण सामग्री, जैव तत्वों की बिक्री से अनुमानित आय रु. 13.31 लाख के लगभग थी।

ख) बड़ी इलायची

पश्चिम बंगाल के सिक्किम और दार्जिलिंग जिले में चार स्पाइस क्लिनिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों से 125 कृषक लाभान्वित हुए।

नौ कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 460 कृषकों और अधिकारी लाभान्वित हुए। उत्तर पूर्वी भारत में बड़ी इलायची के 67 पौधारोपण का इस अवधि में दौरा किया गया और कृषक समुदाय को सलाहकार सेवाएं दी गईं। स्टेशन के वैज्ञानिकों ने राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित 29 अलग-अलग बैठकों में मसाला बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया और कार्यसूची के आधार पर, आवश्यक इनपुट प्रदान किए। आईसीआरआई-आरआरएस, तादोंग और पांगतांग के अनुसंधान फार्म में भारत और नेपाल के विभिन्न राज्यों से 585 कृषक, अधिकारी और छात्र आए थे।

ऋ. सामान्य

बड़ी इलायची के लिए पौध संरक्षण कोड को अंतिम रूप दिया गया और सचिव एचसी व डीडी, सिक्किम सरकार, बागवानी



आयुक्त सरकार, भारत, निदेशक, आईआईएसआर, निदेशक, डीएसडी और प्रत्यायन समिति के अध्यक्ष सहित विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। बड़ी इलायची में आधुनिक अंतर्भूस्तरी नर्सरी उत्पादन के लिए पैकेज और पद्धतियां भी तैयार की गईं।

वैज्ञानिकों ने विकास विभाग के सहयोग से केरल में हाल ही में बाढ़ के कारण इलायची के पौधे/फसल के नुकसान का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया और वाणिज्य मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए मुख्यालय को एक रिपोर्ट सौंपी गई। इसी प्रकार, कर्नाटक राज्य में आरआरएस और विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा फसल हानि (मसाले) मूल्यांकन सर्वेक्षण किया गया था और रिपोर्ट मुख्यालय को प्रस्तुत की गई। आईसीएआर और आरआरएस के वैज्ञानिकों ने आईसीएआर और राज्य कृषि विभागों द्वारा किए गए फसल नुकसान के आकलन में भाग लिया।

वैज्ञानिकों ने एएससीआई, पीएमकेवीवाई के अंतर्गत आरपीएल (पूर्व शिक्षा के लिए मान्यता) के तेरह कार्यक्रमों को समन्वित किया जो पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए गए और 439 संख्या में कृषि श्रमिकों / कृषकों को कृषि के विभिन्न श्रेणियों के लिए उनके संबंधित कौशल विकास / नौकरी की भूमिकाओं के अंतर्गत प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

इंडो जर्मन जैव विविधता कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित भारत के पश्चिमी घाट में मसालों के लिए जैव विविधता कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिकों ने तीन दिनों के टीओटी कार्यक्रम में भाग लिया। वैज्ञानिकों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया और अपने संबंधित क्षेत्रों में शोधपत्र प्रस्तुत किए। इनमें चिकमंगलूर में आयोजित 23वें प्लान्टेशन क्रॉप्स संगोष्ठी, मसालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट की एक्सएक्सएक्स कार्यशाला, “मृदा, जल और पौध पोषण अनुसंधान (आईएसएसडब्ल्यूपीएनआर -2018) में उन्नति”; “जलवायु स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार और हस्तक्षेप” पर 9वीं राष्ट्रीय विस्तार शिक्षा कांग्रेस -2018, “पूर्वी हिमालय में सदाबहार ओक वन” पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, “चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए हिमालयी औषधीय पौधों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आगे बढ़ने का रास्ता” आदि पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शामिल हैं।

छोटी इलायची के लिए 30वीं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद (एआरसी) का आयोजन फरवरी 2019 के दौरान कोच्ची में किया गया था और बड़ी इलायची के लिए 26वीं एआरसी तादोंग, सिक्किम में आयोजित की गई, जिसके दौरान संबंधित विषयों के बाहरी विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिकों के काम की प्रगति की समीक्षा की गई थी।



10. सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बोर्ड के कार्यकलापों में काफी बदलाव आया है। कई मैन्युअल प्रचालनों को ऑनलाइन प्रणाली से बदल दिया जाता है जो बोर्ड के विभिन्न विभागों के कार्यभार को प्रभावी ढंग से कम करते हैं और उनके संचालन के लिए बदलाव का समय कम करते हैं। ईडीपी विभाग उनके साथ काम करके बोर्ड के विभिन्न विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। वास्तव में, यह पूरी प्रणाली को त्वरित और अधिक उत्पादक बनाता है और बोर्ड को अधिक कुशलता से प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है।

ईडीपी विभाग की मुख्य गतिविधियाँ हैं।

- ❖ सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए बोर्ड के विभिन्न विभागों और कार्यालयों को सलाह, मार्गदर्शन और सहायता करना;
- ❖ मौजूदा अनुप्रयोगों, संदेश समाधान, इंटरनेट और वेब साइट के रखरखाव के लिए डेस्क प्रबंधन में मदद करना
- ❖ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और परिधीय उपकरणों के संगठन के व्यापक आईटी संसाधनों का प्रशासन;
- ❖ प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, एकीकरण, और कार्यान्वयन के लिए तंत्र तैयार करना;
- ❖ आईटी अवसंरचना का उन्नयन;
- ❖ सॉफ्टवेयर आईटी उपकरण और सॉफ्टवेयर के सुचारू संचालन के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करना और उन्हें लागू करना;
- ❖ डाटा प्रोसेसिंग प्रणालियां;
- ❖ नई प्रणालियां (या मौजूदा प्रणाली में संशोधन) की आवश्यकता को पहचानें और उपयोगकर्ताओं से प्रश्नों का उत्तर देना;
- ❖ अनुप्रयोग सूचना प्रणाली और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का डिजाइन, विकास, प्रलेखन, परीक्षण, कार्यान्वयन और रखरखाव।
- ❖ बोर्ड की वेब साइट indianspices.com, spicesboard.in, indianspices.org.in, worldpicecongress.com और ccsch.in का रखरखाव और अद्यतन
- ❖ कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का गठन और संचालन।



11. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 का 22) संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और राष्ट्रपति की सहमति 15 जून 2005 को प्राप्त हुई थी। अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करना है। सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में जानकारी तक पहुंच, ताकि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके। नागरिकों को सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बोर्ड की जानकारी तक पहुँच प्राप्त हो सकती है, सिवाय अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत अधिसूचित कुछ जानकारी के और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बोर्ड ने आरटीआई अधिनियम 2005 को प्रभावी ढंग से लागू किया है और इस संबंध में सरकार के सभी निर्देशों का अनुपालन किया है। बोर्ड ने सीपीआईओ और पीआईओ द्वारा सूचना के प्रसार के समन्वय के लिए उपनिदेशक (लेखापरीक्षा और सतर्कता) को समन्वयक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 और सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत क्षेत्रीय इकाइयों में 21 केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारियों के

अंतर्गत सूचना का प्रसार करने के लिए बोर्ड ने सात केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया है। निदेशक (विपणन), मसाला बोर्ड को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपील सुनने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 और बोर्ड के अपीलीय प्राधिकरण के सक्रिय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। उप निदेशक (ईडीपी) को सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत दायित्वों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड के पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। बोर्ड ने बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवश्यक जानकारी का ऐसे प्रकार और रूप में खुलासा किया है, जो आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) जनता के लिए सुलभ है। वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रत्येक और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल 71 आरटीआई आवेदन और 5 अपीलें आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुईं और सभी मामलों को निर्धारित समय में निपटाया गया। इस दौरान कोई सीआईसी सुनवाई नहीं हुई। आरटीई पंजीकरण शुल्क के रूप में 230/- रु. की राशि प्राप्त की गई थी। केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर त्रैमासिक आरटीआई विवरणी (पहली तिमाही से चौथी तिमाही तक) को अद्यतित किया गया।



परिशिष्ट - I

	सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2017-18 के पैरा	उत्तर /प्रस्तावित कार्रवाई
अ	तुलनपत्र	
1	देनदारियां	
1.1	समग्र/पूंजी निधि व देनदारियाँ चालू देनदारियाँ व प्रावधान 207.04 करोड़ रुपए	
	<p>उपर्युक्त में, वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान किए गए राजस्व व्यय की ओर से गैर प्रावधान के कारण 1.54 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई है और 31 मार्च, 2019 को अदत्त बने रहे। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के लिए आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता की तदनुरूप न्यूनोक्ति हुई है।</p>	<p>जब कभी बीजक प्राप्त किए जाते हैं, बोर्ड सभी विक्रेताओं को भुगतान करता रहा है। बोर्ड के 106 बाहरी कार्यालयों में विभिन्न विक्रेताओं से सेवा ली जाती है। कई मामलों में, बोर्ड को वर्ष पूरा होने के बाद ही पिछली तिमाही के दौरान प्राप्त सेवा का बीजक मिलता है। इसके अलावा, बोर्ड की प्रणाली में अगले वर्ष के भुगतान करते समय स्वचालित अग्रिम निपटान मोड्यूल नहीं है। यदि हम यह मैनुअल तरीके से करते हैं, तो उसका पता लगाने का अवसर बहुत कम हो जाएगा, जिससे जटिलताएं बढ़ जाएंगी। चूंकि बोर्ड के 100 से भी अधिक बाहरी कार्यालय हैं, जहां पर ये खर्च उठाए गए हैं, यह तभी संभव होगा, जब बोर्ड के पास एक एकीकृत 'ऑटोमेटेड एड्वान्स सेटिलिंग मॉड्यूल' हो, जिसमें सभी बाहरी कार्यालयों द्वारा दिते अद्यतन बनाया जा सके।</p> <p>ऊपर को दृष्टि में रखते हुए लेखापरीक्षा जांच छोड़ दी जाए।</p>
1.2	चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान प्रावधान 197.54 करोड़ रुपए	



<p>लेखाकरण नीति 15 के प्रावधानों के विरुद्ध, जैसेकि 31 मार्च, 2019 को है, बोर्ड ने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन नहीं किया है। बोर्ड ने, वर्ष 2015-16 के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन किया है जिसके अनुसार, जैसेकि 31 मार्च 2019 को है, जबकि प्रावधान केवल 197.54 करोड़ रुपए का था, इसके बदले, बीमांकिक देनदारी 226.23 करोड़ रुपयों की थी।</p> <p>वर्ष 2016-17 और 2017-18 वर्षों की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस बात को उठाया गया था, परंतु, बोर्ड द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया।</p>	<p>यह नोट किया जाए कि बीमांकिक मूल्यांकन की धारणा अत्यंत परिकल्पित संभाव्यता है। बोर्ड के प्रारंभ से लेकर बोर्ड के पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभ, सरकार से प्राप्त वार्षिक बजट से चुकाए जाते हैं। बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करनेवाला नियम और विनियम/उप नियम बताते हैं कि सीसीएस पेंशन नियम 1972, इलायची अधिनियम 1965 (1965 का 42) की धारा 33 के अधीन प्रख्यापित इलायची नियम 1966 के नियम 30 के साथ पठित स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम 1986 की धारा 6(1) के नाते स्पाइसेस बोर्ड के कर्मचारियों/पेंशन भोगियों /परिवार पेंशन भोगियों के मामले लागू है।</p> <p>भारतीय जीवन बीमा निगम ने बोर्ड की बीमांकिक देनदारियों, जैसे कि 31-03-2016 को है, उसका आकलन किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमांकिक मूल्यांकन, जैसेकि 31-03-2016 को है, 226.23 करोड़ रुपए (पेंशन केलिए 195.93 करोड़ रुपए, उपदान केलिए 18.1 करोड़ रुपए और छुट्टी नकदीकरण केलिए 12.2 करोड़ रुपए)। इस निष्कर्ष पर, 01-01-2004 के पहले और बाद में कार्यभार ग्रहण किए कर्मचारियों के विवरण पर विचार करने के बाद पहुंचे। 01-01-2004 के पहले कार्यभार ग्रहण किए कर्मचारियों के संबंध में, बीमांकिक मूल्यांकन उपदान, छुट्टी नकदीकरण एवं मासिक पेंशन केलिए किया जाता है। 01-01-2004 के बाद कार्यभार ग्रहण किए कर्मचारियों के संबंध में, बीमांकिक मूल्यांकन उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण केलिए किया जाता है और हम कर्मचारी और नियोक्ता अंशदान एनएसडीएल के माध्यम से नई पेंशन योजना को भेजते हैं।</p>
---	--



		<p>कुल 226.23 करोड़ रुपयों में से, 31-03-2015 तक बोर्ड को 82.76 करोड़ पहले ही प्रदान किए गए हैं। शेष रकम 143.47 करोड़ रुपए हैं। चूंकि यह एक नितांत परिकल्पित संभाव्यता है, यदि हम एकल वित्तीय वर्ष में कुल रकम उपलब्ध कराएं तो, आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता का प्रभाव, मंत्रालय से प्राप्त अनुदान की तुलना में बहुत अधिका होगा। इस को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड ने 143.47 करोड़ रुपए की शेष रकम समान भागों में, 2019-20 के अंत तक पाँच सालों तक, विभाजित रखने का निर्णय लिया। तदनुसार, 28.69 करोड़ रुपए (अधिवर्षिता के लिए 25.71 करोड़ रुपए, उपदान के लिए 1.66 करोड़ रुपए और छुट्टी नकदीकरण के लिए 1.32 करोड़ रुपए) की राशि वर्ष 2015-16 से लेकर उपलब्ध कराई जाती है। बोर्ड द्वारा बीजांकिक मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के दौरान किए जाने का प्रस्ताव है। ऊपर को दृष्टि में रखते हुए लेखापरीक्षा जांच छोड़ दी जाए।</p>
1.3	<p>समग्र/पूंजी निधि व देनदारियाँ उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियाँ 229.77 करोड़ रुपए पेंशन देनदारियाँ 51.19 करोड़ रुपए</p>	
	<p>उपर्युक्त को, 59 निधियों के खाते में किए गए निवेश से आय के शीर्ष के अधीन निधि में जमा करने के बदले, आय एवं व्यय खाते में आय के रूप में निधि पर अर्जित ब्याज (2.94 करोड़ रुपए) और उपचित ब्याज (1.84 करोड़ रुपए) के लेखाकरण के कारण 4.78 करोड़ रुपए कम करके दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियों तथा आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता में 4.78 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई है।</p>	<p>लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणी नोट की गई। उद्दिष्ट पेंशन निधि से प्राप्त व्याज, उद्दिष्ट अनुसूची में अगले साल से लेकर दिखाया जाएगा। ऊपर को दृष्टि में रखते हुए लेखापरीक्षा जांच छोड़ दी जाए।</p>
2	परिसंपत्तियाँ	
2.1	स्थिर परिसंपत्तियाँ कम मूल्यहास 220.86 करोड़ रुपए	
	<p>उपर्युक्त में, एप्रला टेस्ट पी कोलम्स, जो एक उपभोज्य वस्तु है और जिसको आय और व्यय लेखा में लगाया जाना था, की प्राप्ति के लिए किए गए खर्च को शामिल किए जाने के कारण 0.86 करोड़ रुपए की अत्युक्ति हुई है। परिणामस्वरूप आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता की न्यूनोक्ति के साथ स्थिर परिसंपत्तियों में 0.86 करोड़ रुपए की अत्युक्ति हुई है।</p>	<p>लेखापरीक्षा द्वारा किए गए अवलोकन को अच्छी तरह से नोट किया गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान एक अतिरिक्त अवधि समायोजन के रूप में प्रयोगशाला उपकरणों के अतिरिक्त मूल्यहास और अतिरिक्त जोड़ को रद्द करने के लिए आवश्यक सुधार को नोट किया गया है।</p>



2.2	निवेश - अन्य - 2.77 करोड़ रुपए इक्विटी निधि अंशदान - 2.00 करोड़ रुपए	
	उपर्युक्त में, शेयर भागीदारी योजना के अधीन हानि के गैरलेखाकरण और अग्रिम के बदले निवेशों के अधीन उत्तरपूर्वी विकास वित्तीय कोर्पोरेशन लिमिटेड (एनईडीएफआई) के साथ निधि शेष के श्रेणीकरण के कारण 2.00 करोड़ रुपए की अत्युक्ति हुई है। इसके परिणामस्वरूप आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता में 1.33 करोड़ रुपए तथा अग्रिम में 0.67 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई है।	एनईडीएफआई से संबंधित उपलब्ध फाइल लेखापरीक्षा के लिए दी गई। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए अवलोकन को अच्छी तरह से नोट किया गया है। चूंकि उसी की वसूली अनिश्चित है, इसके अलावा शेष राशि को दस वर्ष से अधिक समय तक अग्रणीत किया जाता है, उसको लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए अनुसार अगले अंतिम रूप देने के दौरान नुकसान के हिसाब के लिए आई एंड ई को चार्ज किया जाएगा।
आ	सामान्य	
1.1	ज़मीन : 12.15 करोड़ रुपए	
	लेखाओं के सामान्य प्रारूप के अनुसार, पूर्णस्वामित्व वाली और पट्टेवाली को प्रमुख शीर्ष 60 ज़मीन के अधीन अलग से दिखाया जाना चाहिए। लेकिन बोर्ड द्वारा उसका पालन नहीं किया जा रहा है।	लेखापरीक्षा द्वारा किए गए अवलोकन को अच्छी तरह से नोट किया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित विवरणों के अनुसार पट्टेवाली और पूर्णस्वामित्व वाली ज़मीन से संबंधित आवश्यक विवरण अलग से दिखाया गया है।
1.2	आकस्मिक देयताएं तथा लेखा पर टिप्पणी	
	एस - 18 की अपेक्षाओं के अनुसार, बोर्ड ने, पूर्ण नियंत्रित कंपनी, अर्थात् फ्लेवरिट स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड, का खुलासा नहीं किया था।	यह नोट किया जाए कि, चूंकि एफएसटीएल एक अलग लाभोन्मुख इकाई है और बोर्ड सिर्फ एक नियंत्रण प्राधिकारी है, जिसका 'लाभ और हानि खाता' भी नहीं है। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए निरीक्षण, एफएसटीएल के पैनलबद्ध लेखापरीक्षा के साथ परामर्श करने तथा बोर्ड बैठक की सहमति के बाद ही लागू किया जा सकता है। उपर्युक्त के मद्देनजर लेखापरीक्षा पूछताछ छोड़ दी जाए।
1.3	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां परिसंपत्तियों की हानि	
	बोर्ड ने अनर्जक हानि के लिए परिसंपत्तियों की कोई समीक्षा नहीं चलाई है। यह बयान कि, "आईसीएआई द्वारा जारी एस-28 के अनुसार बोर्ड ने परिसंपत्तियों के वसूलीयोग्य मूल्य का मूल्यांकन किया है" वास्तव में गलत है।	यह नोट किया जाए कि बोर्ड की स्वीकृत स्टाफ संख्या 513 के मुकाबले 350 से कम हैं। ऐसी स्थिति में व्यावहारिक रूप से एक टीम बनाना और सभी बाहरी कार्यालय संपत्ति का निरीक्षण करना और अग्रणीत मूल्य की गणना करना मुश्किल है। फिर भी यह मान लिया जाए कि भूमि सहित बोर्ड के प्लान-परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य इसके किताबी मूल्य से अधिक होगा।
ई	सहायता - अनुदान	



	<p>पिछले वर्ष 2017-18 से अग्रेनीत अप्रयुक्त अनुदान (आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन को छोड़कर) शून्य था। वर्ष के दौरान, भारत सरकार से 90.93 करोड़ रुपए की रकम अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी, जिसमें से 87.97 करोड़ रुपए की राशि का पूर्णतः उपयोग किया गया। अप्रयुक्त अनुदान के रूप में 2.96 करोड़ रुपए की रकम भारत सरकार को वापस किया गया और वर्ष के अंत में शेष शून्य रुपए रहा।</p> <p>(v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में बताए गए तुलनपत्र, आय व व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ और अदायगी लेखा, लेखाबहियों के अनुसार सही हैं।</p> <p>(vi) हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियों एवं लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और ऊपर बताई उल्लेखनीय बातों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक -1 में उल्लिखित अन्य बातों के अधीन, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के साथ अनुरूपता रखते हुए एक सही और निष्कपट चित्रण देते हैं।</p> <p>क) जैसे कि 31 मार्च 2019 को है, यह जहां तक स्पाइसेस बोर्ड के कार्यकलापों के तुलन-पत्र से संबंधित है; तथा</p> <p>ख) यह यहाँ तक उस तारीख को समाप्त वर्ष केलिए घाटे के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है।</p>	
	<p>संलग्नक - 1</p>	
<p>1)</p>	<p>आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता</p>	
	<p>वर्ष 2018-19 के दौरान, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग ने बोर्ड के किसी भी यूनितों (मुख्यालय सहित) की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं चलाई है।</p>	<p>यह नोट किया जाए कि कि बोर्ड के 100 से अधिक बाहरी कार्यालय हैं। इन बाहरी कार्यालयों की गतिविधियों में, संपत्ति का रखरखाव, प्रतिपूर्ति केलिए बिल और बीजक भेजना और रोकड़ बही का रखरखाव शामिल हैं। जब कभी प्रतिपूर्ति केलिए निवेदन प्राप्त होता है तब सभी बाहरी कार्यालयों की प्रतिपूर्ति की जांच की जाती है और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में सुझाव दिया जाता है। सभी बाहरी कार्यालय एक व्यवस्थित तरीके से परिसंपत्ति रजिस्टर और रोकड़ बही बनाए रख रहे हैं। बोर्ड द्वारा अपने कार्यालयों की आन्तरिक लेखा परीक्षा आई पी ए आई को सौंपने का प्रस्ताव है।</p>
<p>2)</p>	<p>आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता</p>	
	<p>क) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है और बोर्ड के आकार और प्रकृति से मेल खाती नहीं है।</p>	<p>कृपया यह नोट किया जाए कि, बोर्ड के 100 से भी अधिक बाहरी कार्यालय हैं। मंजूर संख्या से भी कम स्टाफ की कमी के कारण और प्रमुख पदों से स्टाफ की लगातार मासिक सेवानिवृत्ति और रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण, जिसकेलिए मंत्रालय से अनुमति की आवश्यकता है, आंतरिक नियंत्रण बाधित है। इसको तभी मजबूत बनाया जा सकता है, जब बोर्ड के पास कम से कम मंजूर स्टाफ हो। फिरभी, निदेशक (वित्त) के कार्यभार ग्रहण करने से बोर्ड आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की स्थिति में होगा</p>



	<p>(ख) पिछले लेखाकरण सॉफ्टवेयर से डाटा का स्थानांतरण न किए जाने के परिणामस्वरूप आईडेंपेयर में अथशेष विवरण की अनुपलब्धता ने खातों को अविश्वसनीय बनाया है।</p>	<p>यह नोट किया जाए कि 2015-16 के दौरान जब बोर्ड आइडेंपायर अमल में लाया था, तब डेवलपर्स द्वारा जर्नल एंट्री के रूप में 2014-15 का बचत पत्र के अनुसार इतिशेष को शामिल किया था। आइडेंपायर को किसी भी अवधि के कच्चा-मिलान बनाने का विकल्प है। सभी चालू प्रविष्टियाँ, योजना/कार्यक्रम वार एक्सेल फॉर्मेट में सिस्टम में उपलब्ध है। अनुसूचियों की तैयारी के लिए, उसके बाद, अंतिम वर्ष के अथशेष को मैनुअल तरीके से जोड़ा जाता है। यह नोट किया जाए कि, सिस्टम, बोर्ड को आबंटित सीमित बजट के साथ विकसित किया गया है। बोर्ड एसएपी/ओरेकील आधारित ईआरपी के लिए वित्तीय रूप से सक्षम नहीं है, जिसके कार्यान्वयन के लिए करोड़ों की रकम का खर्च रहता है और वार्षिक लाइसेंस शुल्क के लिए बहुत भारी वित्तीय प्रभाव रहता है। यहाँ नहीं, आइडेंपायर आय, व्यय, परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ कोड आदि सहित सभी लेखा शीर्षों के अथशेष को अगले साल के लिए अग्रणीत करेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स द्वारा स्पष्ट किए अनुसार, सभी आय एवं व्यय कोडों के इतिशेष को अग्रणीत करने से सिस्टम को ब्लॉक करना संभाव नहीं है। इससे छुटकारा पाने का तरीका, वित्तीय वर्ष के पूरा करने के बाद सभी आय एवं व्यय कोडों को, जर्नल एंट्री में पास करना है। यदि ऐसा किया गया तो, जैसेकि उन लोगों ने कहा है कि और एक मामला है-पिछले साल की व्यय रिपोर्ट, जिसके लिए हम ने एंट्री की सेट पास की है, शून्य होगी। चूंकि हमें मंत्रालय/लेखापरीक्षा के भविष्य की अपेक्षा के लिए पिछले सालों का व्यय विवरण बनाए रखना है, हम यह भी नहीं कर सकते।</p>
3)	स्थिर परिसंपत्तियों के वस्तुगत सत्यापन की प्रणाली	



	<p>वर्ष 2018-19 के दौरान परिसंपत्तियों का वस्तुगत सत्यापन कार्य नहीं चलाया गया।</p>	<p>लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर, एक टीम की नियुक्ति करके परिसंपत्तियों के वस्तुगत सत्यापन को अद्यतन बनाने हेतु प्रयास किया गया। लेकिन, बढ़ते क्रियाकलापों, घटती श्रमशक्ति एवं सीमित बजट को दृष्टि में रखते हुए, उस चरण में, 106 बाहरी कार्यालयों से संबंधित सभी परिसंपत्तियों का वस्तुगत सत्यापन व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है। इसके अलावा, बोर्ड ने फिलहाल एक Asset Management System विकसित किया है और एक स्टाफ को बोर्ड के प्रारंभ से लेकर सभी परिसंपत्ति खरीद को दर्ज करने का काम सौंपा। जब हमने सभी खरीदों की प्रविष्टि शुरू की, तब हमने पाया कि इस चरण में, सभी खरीद बीजक प्राप्त करना मुश्किल है। इन सबसे परे, Asset Management System में मूल्यहास दिखाने की सुविधा नहीं है और लेखाकरण सॉफ्टवेयर के साथ सीधा लिंक नहीं है। लेकिन अनुसूची का शेष अंतिम के रूप में लिया जा सकता है, चूंकि वह सभी कारोबार दर्ज करता है जब कभी खरीदा गया हो। तदनुसार, मूल्यहास का भी हिसाब रखा जाता है। यह नोट किया जाए कि मंजूर किए गए पदों की 513 संख्या के स्थान पर बोर्ड के स्टाफ की संख्या 350 से भी कम है। एक टीम गठित करते हुए वस्तुगत सत्यापन करने में व्यावहारिक तौर पर बोर्ड कठिनाई का सामना कर रहा है।</p>
4)	<p>माल सूची के वस्तुगत सत्यापन की प्रणाली</p>	
	<p>वर्ष 2018-19 के दौरान मालसूची का वस्तुगत सत्यापन नहीं चलाया गया।</p>	<p>बोर्ड की मुख्य माल-सूची अनुसंधान फार्म और प्रयोगशाला उपभोज्यों की मालसूची हैं। जैसेकि 31-03-2019 को है, मालसूची का इतिशेष स्टेटस लेखापरीक्षा को दिया गया है। लेकिन लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए अनुसार वस्तुगत सत्यापन प्रमाणपत्र की आवश्यकता के बारे में क्यूईएल, कोच्ची को सूचित किया गया है।</p>
5)	<p>सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता</p>	
	<p>बोर्ड द्वारा जी एस टी का भुगतान देरी से किया गया और 2.90 लाख रुपए के विलंब शुल्क का भुगतान किया गया।</p>	<p>यह नोट किया जाए कि बोर्ड को 21 राज्यों के लिए अलग से जीएसटी रजिस्ट्रीकरण लेना पड़ा। स्टाफ की कमी के कारण विभिन्न स्थानों से दित्तों का विवरण प्राप्त होने में हुई देरी की वजह से उक्त देरी हुई है। देरी से बचने के लिए जहां तक हो सके, अधिकतम ध्यान दिया जाएगा।</p>



The Hon'ble Minister of Commerce & Industry and Civil Aviation, Shri Suresh Prabhu addressing the gathering at the Cardamom Productivity and Spices Export Award function held at Kochi, Kerala on 8th December 2018



Shri Suresh Prabhu, Hon'ble CIM presenting the Trophy, Certificate and Cash award to Shri C M Mathew who bagged First Prize in Cardamom Productivity for the year 2015-16



A view of the stakeholders during the Buyer Seller Meet (BSM) organised by the Board at Ratnagiri, Maharashtra on 2nd March 2019



Spice growers of Rajasthan, interacting with buyers during the Buyer Seller Meet (BSM) organised by the Board at Kota, Rajasthan on 26th April, 2018



Dr. Balraj Singh, Hon'ble Vice Chancellor of Agriculture University Jodhpur, addressing the stakeholders during the Buyer Seller Meet organised at Nagaur, Rajasthan on 24th January, 2019



Justice (Retd) Shri P Sathasivam, the Hon'ble Governor of Kerala inaugurating the 4th session of Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH4) held from 21st - 25th January 2019 at Thiruvananthapuram, Kerala



Shri Subhash Vasu, assumed the charge of Chairman Spices Board on 14th June, 2018



The dignitaries in the inaugural session of Codex Committee - Justice (Retd) Shri P Sathasivam, the Hon'ble Governor of Kerala, Ms Rita Teotia, Chairperson, FSSAI, Shri M Saravanan IAS, Director Plantation, MoC and Dr. MK Shanmuga Sundaram IAS, Secretary, Spices Board



Shri Subhash Vasu, Chairman, Spices Board inaugurating the interactive programme with farmers at ICRI Myladumpara, Kerala



Participants in the 4th session of Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH4) held from 21st - 25th January 2019 at Thiruvananthapuram, Kerala



Mr. Sanjay Kumar Verma, Indian Ambassador to Japan inaugurating the Indian pavilion at Foodex Japan held at Chiba City, Japan held during 5th - 8th March 2019



Shri D Sathiyam IFS assumed the charge of Secretary Spices Board on 18th March 2019



Spices Board's officials with exporters at Speciality and Fine Food Fair, Singapore held at Singapore during 17th -19th July 2018



Inauguration of Indian Pavilion at Africa's Big Seven 2018, Johannesburg, Africa held during 24th - 26th June 2018 at Johannesburg by Hon'ble Minister for Food Processing Mrs. Harsimrat Kaur Badal



Dr. Varun Jeff, Foreign Secretary (Commerce), Indian Embassy, Malaysia inaugurating Spices Board stall at Malaysian International Food & Beverage Trade Fair (MIFB), Kuala Lumpur, Malaysia held during 27th - 29th June 2018



Dr. M K Shanmuga Sundaram IAS, Secretary, Spices Board with officials at Board's stall in Fine Food Australia, Melbourne, Australia held during 10th -13th September 2018



Mr. Sanjay Kumar Verma, Indian Ambassador to Japan being received by Dr M K Shanmuga Sundaram IAS, Secretary Spices Board during Foodex Japan



Spices Board's stall at SIAL, Paris-2018 held at Paris, France during 21st - 25th October 2018



Visitors at Spices Board stall in Fi & Hi India at Greater Noida, Uttar Pradesh during September 2018



Spice Board's officials with visitors at World Food Moscow, Russia held during 17th - 20th September 2018



Shri Vipul, Consul General of India, United Arab Emirates, inaugurating the Spices Board's stall at Gulf Food Manufacturing 2018, Dubai, UAE held during 6th -8th November 2018



A session on Quality Improvement Training Programme at Masauli, Barabanki district, Uttar Pradesh



Japanese Spice Exporters with Mr. PM Sureshkumar, Director (Mktg), Spices Board during Foodex Japan



Shri Subhash Vasu, Chairman, Spices Board addressing the farmers at Spice Park, Puttady



Board's officials with farmers during Growers Training Programme on Chilli at Old Tesson Village, Nagaland



Boards official interacting with visitors at the Board's Stall in Annapurna 2018 held at Bombay Exhibition Centre, Mumbai, Maharashtra during 27th- 29th September 2018



Dr. MK Shanmuga Sundaram IAS, Secretary, Spices Board inaugurating the Board's stall at AAHAR Chennai 2018 held at Chennai Trade Centre, Chennai, Tamil Nadu on 23rd August 2018



Spices Board stall in India International Trade Fair 2018 held at Pragati Maidan, New Delhi during 14th - 27th Nov 2018



Inauguration of Spice Park at Harchandpur, Rae Bareli on 22nd February 2019 through video conferencing by Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Union Minister for Commerce & Industry and Civil Aviation



Inauguration of Spices Park, Ramganjmandi, Kota through video conferencing on 22nd February, 2019 by Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Minister of Commerce & Industry and Civil Aviation



Market linkage Programme on Spices at Sonoro Village, Meghalaya



Growers Training Programme on Ginger in December 2018 at Lakhamai Village, Manipur



Growers Training Programme on Ginger at Horupahar Village at Roing, Arunachal Pradesh



Group photo of Growers Training Programme conducted at Kadamtam, Tadong, Sikkim in October 2018



Stakeholders at Market Linkage Programme in Warangal, Telangana



A view of RPL training programme at Maharipura, Assam in February, 2019



Quality Improvement Training Programme at Amethi, Uttar Pradesh for Women mint growers



Regional Seminar on Spices at Velgatur village, Nizamabad, Telangana in December, 2018



Regional Seminar on spices at Damparengpui Village, Aizawl, Mizoram in January 2019



Growers Training Programme under RKVY on Black pepper at Santhipur, Assam in January 2019



Meeting of Spice Development Agency (SDA) Warangal, Telangana in July 2018



Quality Improvement Training Programme at Masauli, Barabanki district, Uttar Pradesh



Quality Improvement Training programme on Ginger at Mirik Village, Gangtok, Sikkim in February 2019



Training for General Public on Zero waste management at Myladumpara, Kerala in November, 2018



Preparation of vermicompost by farmers at Balipara, Assam in February 2019



Board's participation in 23rd PLACROSYM conducted at Chikmagalur, Karnataka



Spice Clinic and Field Visit by Scientists of Sikkim



International Yoga Day Celebration on 21st June 2018 at Spices Board, Kochi, Kerala



Hon'ble Member of Parliament, Telangana interacting with the Officials and Stakeholders during Turmeric Workshop in Hyderabad, Telangana on 18th June 2018



Shri PM Sureshkumar, Director (Mktg) Spices Board welcoming the dignitaries for the Turmeric Workshop held at Hyderabad, Telangana on 18th June 2019



Shri PM Sureshkumar, Director (Mktg), Spices Board during the inauguration of the Swachh Bharat Campaign 2018



Capt. Sanjay Jaiswal presenting the Rajabhasha Rolling Trophy to Establishment Section



Dr. A B Remashree, Director (Res & Fin), Spices Board, receives the Rajabhasha Shield (Third Prize) from Shri C R Chaudhary, Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry, Govt. of India



Inauguration of Hindi Fortnight Celebrations 2018 at Kochi



त्पाइसेस बोर्ड
भारत

SPICES BOARD

ANNUAL REPORT 2018-19

SPICES BOARD

Ministry of Commerce & Industry
Government of India
Sugandha Bhavan
P B No: 2277
Kochi – 682 025

Tel. : 0484-2333610-616, 2347965
E-mail : mail.sboard@gov.in
Website : www.indianspices.com



Compiled and Edited by

1. **Shri Roy Joseph**
Deputy Director (P&C)
2. **Dr. G Usharani**
Assistant Director (OL)
3. **Shri Prathyush T P**
Assistant Director (MKTG)

Technical Support

1. **Smt M N Geetha**
Personal Assistant
2. **Shri Biju D Shenoy**
Junior Hindi Translator
3. **Shri R Jayachandran**
EDP Assistant



Contents

Executive Summary	:	5
1. Constitution and Functions	:	8
2. Administration	:	10
3. Finance and Accounts	:	16
4. Export Oriented Production	:	18
5. Export Development and Promotion	:	27
6. Publicity and Promotion	:	39
7. Codex Cell and Interventions	:	42
8. Quality Improvement	:	44
9. Export Oriented Research	:	50
10. Information Technology & Electronic Data Processing	:	55
11. Implementation of Right to Information Act 2005	:	56
Appendix I	:	57



Executive Summary

The Spices Board is the flagship organization for the development and worldwide promotion of Indian spices. The Board has been spearheading activities for the excellence of Indian spices, so as to help the Indian Spices Industry in attaining the vision of becoming the international processing hub and premier supplier of clean and value added spices and herbs to the industrial, retail and food service segments of the global spices market. The quality and hygiene are the corner stones for development and promotional strategies of the Board.

During 2018-19, Indian spices exports continued its increasing trend. During 2018-19, a total of 10,63,020 tonnes of spices and spice products valued Rs.18845.00 crores (US\$ 2710.44Million) has been exported from the country as against 10,28,060 tonnes valued Rs.17980.16 crores (US\$ 2789.35 Million) in 2017-18, registering an increase of three per cent in volume and five per cent in rupee terms of value. However, there is a decline of three per cent in dollar terms of value which is due to the depreciation of Indian currency.

As compared to the total export target of spices fixed for the year 2018-19, the total export of spices has exceeded the target in terms of both volume and value. Compared to the target of 10,50,000 MT valued at Rs.18,000 crores (US \$ 2656.87 million), the achievement is 101 per cent in terms of volume and 105 per cent in rupee and 101 per cent in dollar terms of value.

During 2018-19, the export of cardamom (large), chilli, turmeric, coriander, cumin, and other seeds like ajwansseed, mustard etc have shown increasing trend both in volume and value as compared to 2017-18. The export of celery, fenugreek and mint products have shown increase in terms of value only. In the case of value added products, the export of curry powder/paste has shown increase in both volume and value as compared to last year.

The "Integrated Scheme for Export Promotion and Quality Improvement in Spices & Research and Development of Cardamom" submitted by the Board has been approved under the Medium Term Framework (MTF) Plan (2017-18 to 2019-20) by the Standing Finance Committee (SFC) for a total outlay of Rs.491.78 crores. In 2018-19, against the approved outlay of Rs.151.00 crores under MTF, the Board was granted a total amount of Rs.90.93 crores and the expenditure was Rs.99.19 crores.

The Spices Board established crop specific Spices Parks in major production/market centers to empower the stakeholders of the spice industry, especially the farming community, by providing the common infrastructure and processing facilities. The Board has established Spices Parks at Chhindwara and Guna in Madhya Pradesh; Puttady in Kerala; Jodhpur in Rajasthan; Guntur in Andhra Pradesh and Sivaganga in Tamil Nadu. The Spices Parks at Rae Bareilly, Uttar Pradesh and Ramganj Mandi, Kota, Rajasthan were inaugurated by Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Union Minister of Commerce & Industry and Civil Aviation during the year 2018-19.

The Quality Evaluation Laboratories of the Board at Kochi, Mumbai, Delhi, Chennai, Guntur, Tuticorin and Kandla continued providing analytical services and mandatory testing and certification of export consignments of select spices during the year. Establishment of Quality Evaluation Lab at Kolkata is nearing completion. All the Regional Quality Evaluation Laboratories of the Board are established under the ASIDE scheme. During 2018-19, the Quality Evaluation Laboratories tested 1,18,748 parameters of spice samples, including Aflatoxin, Illegal dyes, Pesticide residues, Salmonella etc.

The Spices Board has been conducting Buyer Seller Meets (BSM) across the major spice producing regions so as to provide a platform for interaction



between the spice growers and exporters for establishing direct market linkages. During the financial year 2018-19, the Board had conducted three BSMs, the first one at Kota, Rajasthan on 26th April, 2018 for garlic, the second one at Nagaur, Rajasthan on 24th January, 2019 for Nagauri Pan Methi & Seed Spices and the third one at Ratnagiri, Maharashtra on 2nd March, 2019 for Turmeric, Black Pepper, Cinnamon, Nutmeg, Kokum and Clove.

The project formulated by the Board titled "*Development of Integrated Value Chain of Spices in Konkan Region of Maharashtra*" for comprehensive development of spices in Konkan region was submitted to Principal Secretary, Agriculture, Govt of Maharashtra with copy to Commissioner (Agriculture), Govt of Maharashtra in May 2018 for approval and implementation of the project under the MIDH.

The Spice Farmers Producer Company (SFPC) at Namsai, Arunachal Pradesh has been registered under the name 'Namsai Organic Spices and Agricultural Products Producer Company Limited' and the certificate of incorporation under the Companies act 2013 has been issued by the Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India on 17th April 2018. The Chairman, Spices Board on 31st May 2018 had officially launched the value added products of 'Namsai Organic Spices and Agricultural Products Producer Company Limited', the first Spice Farmers Producing Company (SFPC) of NE region.

The Spices Board instituted awards for excellence in exports of spices and productivity in cardamom (small) to honour outstanding export performers of spices & spice products and the cardamom growers who have achieved high levels of productivity. During the year 2018-19, the Board had distributed the Awards for Excellence in Export of Spices for the year 2014-15 and Productivity of Small Cardamom for the years 2015-16 and 2016-17 at Kochi on 8.12.2018.

The 4th session of Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH4) was held at Thiruvananthapuram during the period from 21st to 25th January, 2019. Shri P Sathasivam, Hon'ble Governor of Kerala inaugurated the session and Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Union Minister of Commerce & Industry and Civil Aviation delivered his presidential address through media message and Ms. Rita Teatota, Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) delivered keynote address. Delegates from 28 countries participated in the session.

A Geographical Indication (GI) store at Goa International Airport was inaugurated by Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Union Minister of Commerce & Industry and Civil Aviation on 28th January, 2019 and the Spices Board has displayed spices with GI registration like Alleppey Green Cardamom, Malabar Pepper etc. in the store.

The Spices Board had organized participation of Farmer Producers Organisations/ Spice Producer Societies/Growers' Groups etc in the interaction by Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Union Minister of Commerce & Industry and Civil Aviation through video conferencing on 26th February, 2019 regarding Agri Export Policy. The stakeholders of spices sector attended the video conferencing from Idukki in Kerala, Gangtok in Sikkim and Namsai in Arunachal Pradesh.

Annual Research Council Meeting for Small cardamom and other spices was conducted during 4th and 5th February 2019 at the Spices Board Head Office, Kochi and the research and allied activities undertaken by the Indian Cardamom Research Institute (ICRI) were reviewed by an expert panel.

The Spices Board has been implementing Recognition of Prior Learning (RPL), under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) for the empowerment of farmers engaged in spices cultivation and processing. During 2018-19, eleven programs benefiting a total number of 418



stakeholders were conducted at Uttar Pradesh (2Nos), Kerala (3Nos), Assam (4Nos), Tamil Nadu and Bihar (1 No.each)

The Board organised exposure visit of 53 farmers (SC and ST) from the NE Region, 49 farmers of SC and ST from Sikkim, Darjeeling and Kalimpong Districts of West Bengal to South India during the year. Exposure visit of 28 farmers from Karnataka has also been arranged during the period under report. The farmers were taken to Spice processing units, cardamom auction center and Research institute in Kerala. They were imparted training on spices nursery management and Good Agricultural Practices (GAP).

The Official Language section in the Spices Board HO is the nodal point responsible to assist the Board to formulate and carry out programmes to promote use of Hindi as official language and also to monitor and guideline implementation of OL policy in the offices of the Board. In line with the Annual Programme as well as the orders issued by the Dept. of Official Language, M/o

Home Affairs in regard to use of Hindi as Official Language, the OL section, with concurrence and approval of the Secretary and the Official Language Implementation Committee of the Board, kept its efforts continued to make the OL policy implementation more fruitful and effective during 2018-19 also.

The Board has effectively implemented the RTI Act, 2005 and complied with all the directions of the Government in this regard. As per the RTI Act 2005, the Board has designated Deputy Director (Audit & Vigilance) as the Co-ordinating Central Public Information Officer (CCPIO), Seven Central Public Information Officers (CPIOs) and 21 Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) under Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005 for coordinating and disseminating the information. During 2018-19, a total of 71 RTI applications and five appeals were received through physical and online portal under the RTI Act and information disseminated to all the cases within the stipulated time.



1. CONSTITUTION AND FUNCTIONS

A. Constitution of Spices Board

The Spices Board Act 1986, (No.10 of 1986) enacted by Parliament provide for the constitution of a Board for the development of export of spices and for the control of cardamom industry including control of cultivation of cardamom and matters connected therewith. The Central Government by notification in the official gazette constituted the Spices Board, which came into being on 26.2.1987.

B. The Spices Board consists of:

- (a) a Chairman shall be appointed by the Central Government
- (b) Three members of Parliament of whom two shall be elected by the House of the People and one by the Council of States;
- (c) Three members to represent the Ministries of the Central Government dealing with:
 - (i) Commerce;
 - (ii) Agriculture; and
 - (iii) Finance;
- (d) Six members to represent the growers of spices*;
- (e) Ten members to represent the exporters of spices;
- (f) Three members to represent major spice producing States;
- (g) Four members one each to represent:
 - (i) The Planning Commission (now NITI Aayog);
 - (ii) The Indian Institute of Packaging, Mumbai;
 - (iii) The Central Food Technological Research Institute, Mysuru;
 - (iv) Indian Institute of Spices Research, Kozhikode;

- (h) One member to represent spices labour interests.

* Amended as per Ministry of Commerce & Industry, Government of India, Gazette Notification(Extraordinary) No. G.S.R. 157 (E) dated 2nd February, 2018.

C. Functions of the Board

The Spices Board Act, 1986, has assigned the following functions to the Board.

a) The Board may -

- (i) Develop, promote and regulate export of spices;
- (ii) Grant certificate for export of spices;
- (iii) Undertake programmes and projects for promotion of export of spices;
- (iv) Assist and encourage studies and research, for improvement of processing, quality techniques of grading and packaging of spices;
- (v) Strive towards stabilization of prices of spices for export;
- (vi) Evolve suitable quality standards and introduce certification of quality through "Quality marking" of spices for export;
- (vii) Control quality of spices for export;
- (viii) Give licences, subject to such terms and conditions as may be prescribed, to the manufacturers of spices for export;
- (ix) Market any spice, if it considers necessary in the interest of promotion of export;
- (x) Provide warehousing facilities abroad for spices;
- (xi) Collect statistics with regard to spices for compilation and publication;
- (xii) Import with prior approval of the Central Government any spice for sale; and
- (xiii) Advise the Central Government on



matters relating to import and export of spices

b) The Board may also –

- (i) Promote co-operative efforts among growers of cardamom;
- (ii) Ensure remunerative returns to growers of cardamom;
- (iii) Provide financial or other assistance for improved methods of cultivation and processing of cardamom, for replanting cardamom and for extension of cardamom growing areas;
- (iv) Regulate the sale of cardamom and stabilization of the prices of cardamom;
- (v) Provide training in cardamom testing and fixing grade standards of cardamom;

- (vi) Increase the consumption of cardamom and carry on propaganda for that purpose;
- (vii) Register and license brokers (including auctioneers) of cardamom and persons engaged in the business of cardamom;
- (viii) Improve the marketing of cardamom;
- (ix) Collect statistics from growers, dealers and such other persons as may be prescribed on any matter relating to the cardamom industry, publish statistics so collected or portions thereof, extracts therefrom;
- (x) Secure better working conditions and the provision and improvement of amenities and incentives for workers; and
- (xi) Undertake, assist or encourage scientific, technological and economic research.

D. Spices under the purview of the Board

The following 52 spices are listed in the Schedule of the Spices Board Act:

1	Cardamom	19	Kokkam	37	Juniper berry
2	Pepper	20	Mint	38	Bayleaf
3	Chilli	21	Mustard	39	Lovage
4	Ginger	22	Parsley	40	Marjoram
5	Turmeric	23	Pomegranate seed	41	Nutmeg
6	Coriander	24	Saffron	42	Mace
7	Cumin	25	Vanilla	43	Basil
8	Fennel	26	Tejpat	44	Poppy seed
9	Fenugreek	27	Pepper long	45	All-Spice
10	Celery	28	Star anise	46	Rosemary
11	Aniseed	29	Sweet flag	47	Sage
12	Bishops weed	30	Greater Galanga	48	Savory
13	Caraway	31	Horse-radish	49	Thyme
14	Dill	32	Caper	50	Oregano
15	Cinnamon	33	Clove	51	Tarragon
16	Cassia	34	Asafoetida	52	Tamarind
17	Garlic	35	Cambodge		
18	Curry leaf	36	Hyssop		

[In any form including curry powders, spice oils, oleoresins and other mixtures where spice content is predominant]



2. ADMINISTRATION

A) Administration

Dr. A Jayathilak IAS, Chairman, MPEDA held the additional charge of Chairman, Spices Board upto 13.06.2018. As per the Gazette notification of the "Ministry of Commerce & Industry, Government of India, Secretary (Spices Board) Recruitment Rules, 2018", dated 02.02.2018, the post of Secretary, Spices Board is filled up by the Government of India with officers in the grade of Joint Secretary to the Government of India. Dr. A Jayathilak IAS, Chairman held the additional Charge of Secretary, Spices Board also from 13.03.2018 to 4.7.2018.

As per the Office Order No.A12022/32/2016-E.IV dated 12.06.2018, Shri Subhash Vasu has taken over the charge of the Office of Chairman, Spices Board w.e.f 14.06.2018. Dr. M K Shanmuga Sundaram IAS, Development Commissioner, MEPZ, Chennai had taken over the additional charge of Secretary, Spices Board w.e.f 18.07.2018 and held the post upto 17.03.2019. Shri D Sathiyam IFS has taken over the charge of Secretary, Spices Board w.e.f 18.03.2019 and continuing since then.

Shri S. Siddaramappa, held the charge of Secretary till 13.3.2018 and additional charge of Director (Fin) till 30.6.2018. Dr. Remashree A.B, Director (Res) held the additional charge of Director (Dev) upto 30.6.2018 and Director (Fin) for the period from 01.07.2018 to 14.03.2019. Thereafter Shri P M Suresh Kumar, Director held the charge of Director (Finance).

Shri P. M. Sureshkumar, functioned as Director (Marketing) during the period under report and held the additional charge of Director (Dev) for the period from 1.7.2018 to 14.3.2019. Thereafter Dr. Remashree A B, Director (Res) held the additional charge of Director (Dev).

As on 31st March 2019, the staff strength of the Spices Board was 373 consisting of 82 Group

A, 117 Group B, and 174 Group C including six Departmental Canteen Employees.

a) Reservation for SC/ST/OBC in appointments and promotions

The Board is properly implementing the post-based reservation roster for SC/ST/OBC. The instructions issued by the Government from time to time in this regard are also strictly adhered to. As on 31st March 2019, employees belonging to SC, ST and OBC categories were 51, 38 and 114 respectively. Neither promotion to the employees nor appointments were made during the period under report as per the direction from the Department of Commerce due to austerity measures.

b) Welfare of Women

As on 31st March 2019, the total strength of women employees in the Board in Group A, B, and C categories were 107. The grievances of women employees are timely and properly attended. A group-A level woman officer of the Board has been appointed as "Women Welfare Officer" to sort out the difficulties/problems, if any, or to bring them to the notice of the higher authorities along with suggestions for possible solutions.

c) SC/ST/OBC Welfare

The Board had constituted SC/ST & OBC Committees for looking after the welfare of the employees and to sort out their problems. The Board had nominated Liaison Officers for reservation matters relating to SC/ST and OBC.

d) Welfare of Persons with Disabilities

The Board had nominated a Liaison Officer for reservation matters relating to Persons with Disabilities. The Board is maintaining reservation roster for persons with disabilities.



e) Internal Audit

Institute of Public Auditors of India (IPAI) continued as Internal Auditors of the Board during the period under report.

f) Meetings of the Board

Board meeting could not be convened during the period under report as the tenure of the Board expired in February, 2017 and was not reconstituted. The draft list of members of the Board has been submitted to the Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India, for which finalization/approval is awaited.

g) Offices of the Board

The Head Office of the Board is located at Kochi in Kerala. Further, the Board has 105 offices across the country which includes 31 Export Promotion Offices, 59 Research & Development Offices for Small and large cardamom, seven Quality Evaluation Laboratories (QEL) and eight Spices parks. The following offices of the Board functioned during 2018-19.

i) Export Promotion Offices:

Sl.No	Location	State/UT
1	Paderu	Andhra Pradesh
2	Khammam	Andhra Pradesh
3	Warangal	Andhra Pradesh
4	Guwahati	Assam
5	Patna	Bihar
6	Jagdarpur	Chhattisgarh
7	Ponda	Goa
8	Ahmedabad	Gujarat
9	Surendra Nagar	Gujarat
10	Unjha	Gujarat
11	Jamnagar	Gujarat
12	Una	Himachal Pradesh
13	Srinagar	Jammu & Kashmir
14	Bengaluru	Karnataka
15	Nagpur	Maharashtra
16	Sangli	Maharashtra
17	Churachandpur	Manipur

18	Imphal	Manipur
19	Shillong	Meghalaya
20	Aizawl	Mizoram
21	New Delhi	New Delhi
22	Koraput	Odisha
23	Chandigarh	Punjab/Haryana
24	Nagercoil	Tamil Nadu
25	Nizamabad	Telangana
26	Hyderabad	Telangana
27	Agartala	Tripura
28	Barabanki	Uttar Pradesh
29	Sambal	Uttar Pradesh
30	Dehradun	Uttarkhand
31	Kolkata	West Bengal

(ii) Research & Development Offices/Farms

Research and Development of Small Cardamom		
Sl.No	Location	State
1	Adimali	Kerala
2	Elapara	Kerala
3	Kalpetta	Kerala
4	Kattappana	Kerala
5	Kumily	Kerala
6	Myladumpara	Kerala
7	Nedumkandam	Kerala
8	Pampadumpara	Kerala
9	Peermade	Kerala
10	Puttady	Kerala
11	Rajakkad	Kerala
12	Rajakumari	Kerala
13	Santhanpara	Kerala
14	Udumbanchola	Kerala
15	Bodinayakanur	Tamil Nadu
16	Erode	Tamil Nadu
17	Salem	Tamil Nadu
18	Thadiyankudissai	Tamil Nadu
19	Batlagundu	Tamil Nadu
20	Aigoor (farm)	Karnataka
21	Bagamandala	Karnataka
22	Belagola (farm)	Karnataka
23	Beligeri (farm)	Karnataka
24	Bettadamane (farm)	Karnataka



25	Chikmagalur	Karnataka
26	Donigal	Karnataka
27	Haveri	Karnataka
28	Koppa	Karnataka
29	Madikeri	Karnataka
30	Mudigere	Karnataka
31	Saklespur	Karnataka
32	Shivamogga	Karnataka
33	Sirsi	Karnataka
34	Somwarpet	Karnataka
35	Vanagur	Karnataka
36	Virajpet	Karnataka
37	Yeslur	Karnataka

Research and Development of Large Cardamom

Sl.No	Location	State
1	Aalo	Arunachal Pradesh
2	Bomdila	Arunachal Pradesh
3	Changlang	Arunachal Pradesh
4	Itanagar	Arunachal Pradesh
5	Namsai	Arunachal Pradesh
6	Pasighat	Arunachal Pradesh
7	Roing	Arunachal Pradesh
8	Tezu	Arunachal Pradesh
9	Ziro	Arunachal Pradesh
10	Tinsukia	Assam
11	Dimapur	Nagaland
12	Kohima	Nagaland
13	Mokokchung	Nagaland
14	Gangtok	Sikkim
15	Geyzing	Sikkim
16	Jorethang	Sikkim
17	Kabi	Sikkim
18	Mangan	Sikkim
19	Pangthang	Sikkim
20	Tadong	Sikkim
21	Kalimpong	West Bengal
22	Sukhiapokri	West Bengal

(iii) Quality Evaluation Laboratories (QEL)

1	Guntur	Andhra Pradesh
2	Kandla	Gujarat
3	Kochi	Kerala
4	Mumbai	Maharashtra

5	Narela	New Delhi
6	Chennai	Tamil Nadu
7	Tuticorin	Tamil Nadu

(iv) Spices Parks

1	Guntur	Andhra Pradesh
2	Puttady	Kerala
3	Chhindwara	Madhya Pradesh
4	Guna	Madhya Pradesh
5	Jodhpur	Rajasthan
6	Ramganj Mandi (Kota)	Rajasthan
7	Sivaganga	Tamil Nadu
8	Raebareli	Uttar Pradesh

h) Visit of Department Related Parliamentary Standing Committees

During the year 2018-19, the following three Parliamentary Committees conducted study visit and had meetings with the Spices Board.

- Parliamentary Standing Committee on Subordinate Legislation of Lok Sabha visited Thiruvananthapuram on 14th May 2018 and had discussions on rules/regulations framed under the Spices Board Act 1986.
- The Parliament Committee on Official Language of the Central Govt offices visited Kochi on 26.5.2018
- Department Related Parliamentary Standing Committee on Commerce visited Gangtok and Guwahati during the period from 19th to 23rd November, 2018 to carry out the study on the subject "Export of Organic Products: Challenges and Opportunities".

B. Implementation of Official Language Policy

Major activities and achievements:

i) Translation

Major translation work [English to Hindi and Vice versa] undertaken were of the;



- Documents coming under section 3(3) of OL Act, like General Orders [Circulars], Tender Documents, Advertisements, Press Release, Notifications, VIP references, etc.
- Annual Report & Audit Report 2017-18 and other administrative reports of the Board placed before the Parliament.
- Background notes, filled in questionnaire and other materials for various Committees of Parliament visiting/ inspecting the Board.
- Letters received in Hindi and replies thereof.
- Material for visiting cards, rubber stamps for the officials in service and mementos for the officials retiring from the service of the Board.
- Materials [banner, backdrop, invitation card, programme sheets etc.] for various official functions arranged by the Board.

ii) Implementation of OL policy

a) OLIC meetings

Arranged four meetings, in the tune of one in each quarter, were convened on 25-06-2018 (April-June 2018), 18-09-2018 (July-September 2018), 31-12-2018 (October-December 2018) and 25-03-2019 (January-March 2019) respectively. The Secretary or in his absence Director (Fin) presided over these meetings.

b) Hindi workshop

Three Hindi workshops were arranged in HO for the staff members on 27 June, 2018, 29 September, 2018, and 13 March, 2019 respectively and 54 staff members were imparted Hindi training. They were made aware of the OL policy as well as the Board's activities to implement the OL policy.

A one-day Regional Hindi workshop was organized in the Regional Office, Spices Board, Gangtok, Sikkim on 22 November, 2018 for the

staff members of the Board working in Sikkim and Darjiling District of West-Bengal. Shri Mahesh Kumar Singh, Hindi Pradhyapak, Hindi Teaching Scheme, Gangtok was the Guest Faculty for the workshop. 18 staff members from the region were imparted training in this workshop. It was decided to nominate the officials, working in Northern parts of the country, for the five day intensive workshop organized by Central Hindi Training Institute, New Delhi commencing from 07-01-2019. Accordingly, one Official from Regional office, New Delhi attended the workshop during March, 2019.

c) In-service Hindi training

Four staff members from HO were nominated for in-service training in Hindi [Prabodh-1 & Praveen-3] through correspondence course under the Central Hindi Training Institute, New Delhi. Also, Eight Officials from NE Region and One Official from Regional Office, New Delhi have been nominated and undergoing in-service Hindi [Prabodh-5 and Pragya-4] training.

d) Subscription for Hindi News paper/ Magazines

The Board continued its subscription for Hindi News Paper "Daily Hindi Milap" and Hindi magazines namely *Sarita* and *Vanita*.

e) Official Language Inspection

The Third Sub-committee of Committee of Parliament on Official Language visited/inspected the Board's Head Office 26-05-2018.

The Dy. Director (Impl.), Regional Implementation Office (South-West), MoHA, Govt of India, Kochi visited the Board's Head Office on 28 November, 2018 and inspected the activities of the Board with respect to implementation of OL policy. Necessary steps have been taken to ward off the shortcomings found out during inspection and a detailed report has been forwarded to RIO, Kochi for their information and necessary action.



f) Hindi Day/Fortnight celebrations 2018

The Board observed 'Hindi Day' on 14th September, 2018. Dr. A.B. Remashree, Director (Res & Fin) inaugurated the Hindi Fortnight Celebrations 2018 in HO on 14th September, 2018. Shri P M Sureshkumar, Director (Marketing & Development) made the key note address. Dr. G. Usharani, Asst. Director (OL) gave a brief report on the activities of OL Section during the period. Shri N. Anilkumar, Senior Hindi Translator welcomed the gathering and Shri Biju D Shenoy, Junior Hindi Translator proposed a vote of thanks.

Hindi Day and Hindi Fortnight Celebrations were organized in the Subordinate offices also; viz, Jodhpur, Guntur, Guwahati, Gangtok, New Delhi and ICRI, Myladumpara. Various Competitions were conducted for the Staff members in HO and Subordinate Offices. Winners of the competitions were awarded with Cash Prizes and Certificates.

The Board arranged Valedictory function of the HFC 2018 in HO on 07 February, 2019. Capt. Sanjay Jayaswal, Commanding Officer, 7 Kerala Naval NCC Battalion, Ernakulam was the Chief Guest of the function. Trophies/cash awards/ certificates for the prize winners of the various Hindi competitions conducted for the staff members of the Head Office, Commendable work done by the staff in Hindi, Rajbhasha Pratibha Puraskar, Rajbhasha Rolling/Runner up trophy for sections, Award for the Special Effort in implementing OL Policy for the year 2018, Certificates for the staff members for successfully completing in-service Hindi training etc. were given away by the Chief Guest during the function.

g) Participation in the programmes arranged by Kochi TOLIC

- Arranged share contribution to Kochi TOLIC to meet the expenditure in connection with the Joint OL Celebrations 2018.
- Assistant Director (OL) and Senior Hindi

Translator attended the Hindi Staff Meeting of Kochi TOLIC held on 20-04-2018.

- Director (Marketing) and Asst. Director (OL) attended the TOLIC meeting convened on 19-06-2018.
- Director (Res & Fin) and Junior Hindi Translator attended the Award Function of TOLIC held on 15-03-2019.
- Director (Marketing) and Junior Hindi Translator attended the Meeting of TOLIC conducted on 26-03-2019.
- Assistant Director (OL) and Junior Hindi Translator attended the Seminar on Official Language Implementation – Progressive Efforts, organized by ICAR-CIFT on 23-07-2018.

iii) Spice India (Hindi)

The OL wing attended to proof reading, payment of printing charges, etc. of the Hindi magazine of the Board during the period under report.

iv) Achievements/Awards

a) Rajbhasha Trophy from the Dept. of Commerce

The Spices Board was awarded the Rajbhasha Shield (Third Prize) instituted by the Dept of Commerce for the Last year. Director (Res) received the shield from Shri C R Chaudhary, the Hon'ble Minister of State for Commerce & Industry, Govt of India.

b) Rajbhasha Trophy from Kochi TOLIC

The Spices Board was awarded the Rajbhasha Trophy (Third Prize) instituted by the Kochi Town Official Language Committee [Kochi TOLIC] for the Last year. Director (R&D) received the trophy.

C. Library and Documentation Service

The Board's Library has a good collection of books and periodicals with computerised bibliographic



data base. The process of strengthening the library and documentation unit has been continued by addition of new books and periodicals. During 2018-19, 98 New books have been added and continued the subscription of about 120 periodicals. Library continued the regular services like issue and return of books and periodicals, Current awareness services, daily information services, E-paper reading and accessing open

access journals and commenced the 'spice news service'. Reference facilities including guidelines were provided to about 20 students and research scholars from various institutions. Besides the regular activities, information were compiled on organic farming, climatic change, Indian agriculture, black pepper, cardamom, ginger, turmeric, chilli, garlic, mint, seed spices, tree spices, oils and oleoresins.



3. FINANCE AND ACCOUNTS

The schemes, projects and programmes of the Board are financed through grants and subsidies from the Government of India. The expenditure on Administration is met mainly through Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) generated from various activities of the Board.

The budget approved for the Board during 2018-19 was Rs.9093.00 lakh. An amount of Rs.4403.00 lakh against grants, Rs.2900.00 lakh against subsidies, Rs.790.00 lakh towards provision for North Eastern Region, Rs.500.00 lakh towards provision for SC sub plan and Rs.500.00 lakh towards provision for Tribal sub plan have been received by the Board from the Govt. of India during 2018-19. Rs.296.00 lakh

has been refunded to the Government towards the unspent balance against Grant received for SC sub plan and hence the net amount of Grants received is Rs.8797.00 lakh. The Board generated IEBR of Rs.1906.78 lakh from analytical charges for quality testing services rendered by the quality evaluation laboratory, sale of seedlings from nurseries and farm products of Research farms, subscription and advertisement charges, exporters' registration fee, refund of advances to employees, interest on advance, interest on short term deposit etc. in 2018-19. The total expenditure of the Board during 2018-19 was Rs. 9919.10 lakh, the break-up of which is given below:

Head of Account	Budget Grants (Rs.Lakh)	Expenditure (Rs.Lakh)
Export Oriented Production	2597.00	3140.77
Export Development & Promotion	2000.00	2320.96
Export Oriented Research	600.00	704.35
Quality Improvement	1000.00	1055.85
HRD & Works	50.00	37.66
Establishment	2550.00	2659.51
Total	8797.00	9919.10

The Board has also been implementing certain ongoing projects and programmes with grants received from other Government Departments and National agencies such as ICAR, ASIDE

and others. The details of grants received and expenditure incurred for such projects during 2018-19 are given below:-



Programmes	Grants (Rs. lakh)	Expenditure (Rs. lakh)(*)
MIDH Haryana	27.50	0.00
MIDH	0.00	29.20
ASIDE	0.00	286.56
ASIDE IIPM	25.12	90.53
RKVY - Andhra pradesh	0.19	13.67
ICAR - AICRPS	3.99	11.11
RKVY - Assam	0.00	8.40
Quality Standard in Medicinal Plants	0.00	3.00
Areawide IPM Black Pepper	7.29	0.00
E – Spice Bazaar Project	416.92	126.79
Study of Evaluation of Hunk	7.70	0.00
NHM Pepper Planting Material	0.00	37.26
RPL - PMKVY	0.00	1.52
Total	488.71	608.04

(*) Expenditure includes grants received in the previous years and utilized in FY 2018-19, as well
The paras in the statutory Audit Report 2018-19 on Spices Board are placed as Appendix I.



4. EXPORT ORIENTED PRODUCTION

The Spices Board is responsible for the overall development of cardamom (small & large) in terms of improving production, productivity and quality. The Board is also implementing post-harvest improvement programmes for production of quality spices for export. The various development programmes and post-harvest quality improvement programmes of the Board are included under the Head 'Export Oriented Production'.

The development programmes are implemented through the extension network of the Board consisting of Regional Offices, Divisional Offices and Field Offices. The Board is maintaining five Departmental Nurseries in the major cardamom growing areas in Karnataka to cater to the requirements of quality planting materials for the spice growers.

As per the Govt. of India Gazette notification, the Spices Board established the following 11 Spice Development Agencies (SDA) to promote development and marketing of spices and to enable better co-ordination with various state, central and allied agencies/institutions for implementing programmes for research, production, marketing, quality improvement and export of spices grown in the state.

- Guwahati SDA
- Gangtok SDA
- Uttar Pradesh SDA
- Guna SDA
- Unjha SDA
- Jodhpur SDA
- Mumbai SDA
- Guntur SDA
- Haveri SDA
- Erode SDA
- Warangal SDA

The Chief Secretary of the concerned state is the Chairperson of SDA with 17 members representing spice growers, exporters, traders, State Horticulture/ Agriculture Dept, State Agriculture University, Joint Director General of Foreign Trade (JDGFT), Ministry of Agriculture, Ministry of Commerce, etc. The respective regional officer of the Board functions as the Member Secretary of the SDA. The SDAs have conducted meetings and actions are being taken as per the decisions in SDA.

The Spices Board has established Saffron Production & Export Development Agency (SPEDA) at Srinagar for promoting development, marketing, quality, export and domestic consumption of saffron in Jammu & Kashmir. The SPEDA is co-chaired by the Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry and Chief Secretary, Govt of Jammu & Kashmir.

Export Oriented Production of Spices

The various programmes implemented under the scheme 'export oriented production of spices' during the year 2018-19 are detailed below:

A. Cardamom (Small)

Small cardamom is grown mainly in the Western Ghats of Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu. Majority of the cardamom holdings are small and marginal. The total area under small cardamom during 2018-19 was 69,132 hectares (ha) with an estimated production of 12940 metric tonnes. The programmes implemented for the development of small cardamom are given below;

(a) Replanting

The objective of this programme is to address the issue of old, senile and uneconomic plantations of small cardamom in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. This programme is intended



to encourage small and marginal growers to take up re-plantation of the old, senile and uneconomic plantations by providing them financial assistance. The growers are offered a subsidy of Rs.70,000/- for General and Rs.1,57,500/- for SC and ST farmers per ha in Kerala & Tamil Nadu and Rs.50,000/- for General and Rs.1,12,500/- for SC and ST farmers per ha in Karnataka towards 33.33 per cent and 75 per cent respectively for the cost of replanting and maintenance during gestation period, payable in two equal annual instalments. Registered small and marginal cardamom growers owning up to eight hectare are eligible for availing the benefit under the scheme.

During 2018-19, the Board provided financial assistance for replanting 913.52 ha of small cardamom (which includes 1st instalment - 500.85 ha and backlog cases i.e., I & II instalment of 2017-18 - 412.67 ha) with the subsidy amounting to Rs.299.76 lakh (which includes 1st instalment 169.18 lakh and backlog payments i.e., I & II instalment of 2017-18 -130.58 lakh) benefiting 2217 growers (Female: 76; SC: 47; ST:3).

b) Production and distribution of quality planting materials

Production and distribution of disease free, healthy and quality planting materials were taken up by the Board's departmental nurseries. The planting materials produced in the five departmental nurseries were distributed at a nominal rate to growers. During 2018 - 19, 1,31,991 cardamom planting material, 1,74,676 rooted pepper cuttings, 25,779 pepper nucleus planting materials, 945 bush pepper planting materials and 1,774 vanilla planting materials were produced and distributed to 790 growers (SC: 30; ST: 18) from five departmental nurseries in the Karnataka region.

c) Irrigation and Land Development

Irrigation during summer months is very much essential in cardamom plantations for getting

higher yield. This programme aims at promoting irrigation in cardamom plantations by augmenting water resources in cardamom plantations by constructing irrigation structures like farm ponds, tanks, wells, rainwater harvesting devices, installation of irrigation equipment and soil conservation works. The Board is implementing the programme in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka.

i) Construction of Storage structures

Registered cardamom growers having land holding of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail benefit under the scheme. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the subsidy to an individual is restricted for only one construction i.e. Farm pond/well/storage tank. The minimum capacity of irrigation structure should be 25 cubic metre for availing maximum subsidy under the programme. The subsidy offered under the scheme is 50 per cent of the actual cost or Rs.20,000/- to general category and 75 per cent of the actual cost or Rs.30,000/- to SC and ST category whichever is less.

ii) Installation of Irrigation equipment

Registered cardamom growers having land holding of 0.10 Ha to 8.00 ha are eligible to avail the subsidy under the scheme under IP set/Gravity irrigation equipments. In the case of sprinkler/drip/micro irrigation, registered cardamom growers having land holding of 1.00 ha to 8.00 ha are eligible to avail the subsidy. The scale of assistance offered is 25 per cent of the actual cost or Rs.2500/- for Gravity Irrigation; Rs.10,000/- for Irrigation pump set; Rs.21,175/- for sprinkler/drip/micro irrigation whichever is less to General category and 75 per cent of the actual cost or Rs.7500/- for Gravity Irrigation; Rs.30,000/- for Irrigation pump set; Rs.63,525/- for sprinkler/drip/micro irrigation whichever is less to SC and ST category.



iii) Construction of Rainwater Harvesting structure

Registered cardamom growers having a land holding of 0.10 ha to 8 ha are eligible to avail the benefits under the scheme. Any farmer who has availed this benefit earlier is not eligible to avail the benefit. Subsidy at the rate of 33.33 per cent of the actual cost limited to Rs.12,000/- to general category and 75 per cent of the actual cost limited to Rs.27,000/- to SC and ST category whichever is less is extended for the construction of 200 cu. metre capacity tank.

During 2018-19, a total number of 23 water storage structures and 30 rainwater harvesting structures were constructed and 43 irrigation pump sets and two micro irrigation systems were installed benefiting 98 farmers with the financial assistance of Rs.11.35 lakh (Female: 2; SC: 2)

B. Development Programmes for North East Cardamom (Large)

Large cardamom is mainly grown in the sub-Himalayan tracts of Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Darjeeling & Kalimpong districts of West Bengal. The total area under large cardamom in Darjeeling & Kalimpong districts of West Bengal and Sikkim during 2018-19 was 26617 ha with an estimated production of 6100 tonnes. The total large cardamom area under Arunachal Pradesh and Nagaland in 2018-19, as per the estimate received from the respective State Governments is 16209 ha with the production of 2569 tonnes. Non availability of quality planting materials, presence of senile, old and uneconomic plants and incidence of blight diseases are the major challenges affecting large cardamom production. Keeping this in view, the Board is implementing the following programmes for large cardamom:

a) Large cardamom – Replanting/New Planting

Large cardamom is mainly grown by small and

marginal farmers belonging to weaker sections of the society. The objective of the scheme is to motivate the growers to adopt replanting in a systematic way to increase the productivity. The cardamom farmers are not in a position to meet the cost of replanting/new planting due to higher investment. Subsidy was at the rate of 33.33 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of new planting in non-traditional areas and replanting in traditional areas as well as maintenance during gestation period (ie. 1st and 2nd years) subject to a maximum of Rs. 28000/- for General category and Rs. 63000/- for SC and ST category per hectare respectively payable in two equal annual instalments.

During 2018-19, the Board provided financial assistance for replanting/new planting 2572.87 ha (which includes I instalment-1270.28 ha and backlog cases i.e., I & II instalment of 2017-18-1302.59 ha) of large cardamom with subsidy amounting to Rs.414.43 lakh (which includes I instalment-232.08 lakh and backlog payments i.e., I & II instalment of 2017-18 - 182.35 lakh) benefiting 5909 growers (Female: 52; SC: 31; ST: 4494)

b) Irrigation schemes

Large cardamom is mainly grown as rain fed crop. Vagaries of climate often affects the production. The long dry spell from the month of November to March coincides with severe winter resulting in retardation of growth and adversely effecting production. In order to increase water resources as well as to install irrigation equipments in large cardamom plantations for enabling irrigation to combat long dry spells during winter months to increase the productivity and quality, the Board is implementing the programmes in the North Eastern Region and Darjeeling District of West Bengal.

i) Construction of Storage structures

Registered cardamom growers having land



holding of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail benefit under the scheme. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the subsidy to an individual is restricted for only one construction i.e. Farm pond/well/storage tank. The minimum capacity of irrigation structure should be 25 cubic metre for availing maximum subsidy under the programme. The subsidy offered under the scheme is 50 per cent of the actual cost or Rs.20,000/- to general category and 75 per cent of the actual cost or Rs.30,000/- to SC and ST category whichever is less.

ii) Installation of Irrigation equipment

Registered cardamom growers having land holding of 0.10 Ha to 8.00 Ha are eligible to avail the subsidy under the scheme under IP set/Gravity irrigation equipments. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the subsidy to an individual is restricted for only one unit. The Scale of assistance under Irrigation equipments / Gravity irrigation equipments is 50 per cent of actual cost or Rs.10,000/- to general category and 75 per cent of actual cost or Rs.15,000/- to SC and ST category whichever is less.

iii) Construction of Rainwater Harvesting structures

Registered cardamom growers having a land holding of 0.10 ha to 8 ha are eligible to avail the benefits under the scheme. Any farmer who has availed this benefit earlier is not eligible to avail the benefit. Subsidy at the rate of 33.33 per cent of the actual cost, limited to Rs.12,000/- for general category and 75 per cent of actual cost or Rs.27,000/- to SC and ST category is allowed for the construction of 200 cu. metre capacity tank.

During 2018-19, the Board provided financial assistance for 11 water storage structures, one rainwater harvesting structure and 35 irrigation pump sets benefiting 47 farmers with the subsidy amounting to Rs.6.25 lakh (ST: 20).

C. Post harvest improvement of Spices

a) Supply of Seed Spice Threshers

The harvesting and post harvest practices followed by some of the seed spice growers are generally unhygienic which result in contamination of the products with foreign matters like stalks, dirt, sand, stem bits etc. The seeds are separated by beating the harvested and dried plants with bamboo sticks, rubbing the plants manually by hand etc. In order to separate the seeds from the dried plants and to produce clean spices, the Board popularizes the use of threshers which are operated manually or by using power.

The Board is providing 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the thresher as subsidy subject to a maximum of Rs.60,000/- for General and Rs.90,000/- for SC and ST farmers.

During 2018-19, the Board provided assistance for installing eight power operated threshers in the farmers' fields and a total subsidy of Rs. 4.07 lakh was given, benefiting eight growers.

b) Supply of Turmeric Steam Boiling units

The programme is intended to assist the turmeric growers to adopt improved scientific methods for processing turmeric using steam boiling units. This provides better colour and quality to the final produce. The Spices Board popularizes the use of large scale turmeric boiling units among growers for production of quality turmeric, suitable for exports. The subsidy provided under this programme is 50 per cent for General and 75 per cent for NE, SC and ST farmers for the actual cost of the boiling unit or Rs. 1,50,000 for General and Rs. 2,25,000 for SC and ST farmers respectively whichever is less.

During 2018-19, twenty three turmeric steam boiling units were supplied with a total financial assistance of Rs. 38.99 lakh, benefiting 23 growers (SC: 1; ST: 2).



c) Supply of Turmeric Polisher

The programme aims at motivating and assisting the turmeric growers/growers group/spice producer societies/spice farmer producer company etc., to adopt polishing of turmeric by supplying improved polishers at subsidized rates to produce quality turmeric suitable for exports. The subsidy provided under this programme is 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the actual cost of the boiling unit or Rs.75,000 for General and Rs.1,12,500 for NE, SC and ST farmers respectively whichever is less.

During 2018-19, sixteen turmeric polishing units were supplied with total financial assistance of Rs. 9.46 lakh, benefiting 16 growers (Female: 1).

d) Construction of Modified Bhatti for drying Large Cardamom

The objective of the scheme is to motivate farming community to adopt scientific curing methods for improving the quality of large cardamom. The total cost of construction for a Modified Bhatti (ICRI model) 200kg and 400kg capacity are Rs.27,000/- and Rs.37,500/-, respectively. Also the total cost of sawo drier/ equivalent drier is estimated at Rs. 25,000/-. Subsidy is at the rate of 75 per cent of total cost or Rs.22,500/-, which ever is less for construction of Modified Bhatti (ICRI model) or for purchase of sawo/equivalent drier.

During 2018-19, fiftyfive Modified Bhatti units were constructed with total financial assistance of Rs.11.26 lakh, benefiting 55 growers (Female: 2; ST: 25).

e) Nutmeg Drier

Traditionally, Nutmeg and Mace are dried by sun drying method. As the harvesting of nutmeg coincides with the monsoon season, it is very difficult to dry the nutmeg and mace by sun light. This can cause, improper drying which in turn can open up chances for development of fungal infection in the produce, leading to aflatoxin

growth. Presence of Aflatoxin in nutmeg is a major challenge in the export of nutmeg. Uniform and hygienic drying of nutmeg will help to ensure address the quality concerns in nutmeg. A few innovative farmers have introduced nutmeg driers using alternate fuels viz. firewood, electricity, etc. which help to produce hygienic and good quality nutmeg, besides resulting in considerable reduction in the drying time. These driers are eco-friendly, labour saving and easy to operate. The objective of the scheme is to popularize the mechanical driers among the growers to produce quality nutmeg and mace. Subsidy was provided at the rate of 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the drier subject to a maximum of Rs.30,000/- for General and Rs.45,000/- for SC and ST farmers respectively.

During 2018-19, the Board assisted in setting up of eight Nutmeg dryers, for which a total subsidy of Rs.1.83 lakh was provided, benefiting eight growers.

f) Supply of Pepper Threshers

The objective of the scheme is to motivate the pepper growers to produce good quality pepper for export by promoting installation of pepper threshers for hygienic separation of pepper berries from the spikes. Subsidy was provided at the rate of 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the drier subject to a maximum of Rs.15,000/- for General and Rs.22,500/- for SC and ST farmers.

During 2018-19, Two hundred and six threshers were set up with a total subsidy of Rs.28.06 lakh, benefiting 206 growers. (Female: 2; ST: 15)

g) Supply of Improved Cardamom Curing Device

The objective of the scheme is to motivate the growers to adopt improved cardamom curing devices for drying cardamom to produce



good quality cardamom for export. Subsidy was provided at the rate of 33.33 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the drier subject to a maximum of Rs.1,00,000/- for General and Rs.2,25,000/- for SC and ST farmers respectively.

During 2018-19, twelve improved cardamom curing devices were set up at a total subsidy of Rs.10.26 lakh, benefiting 12 growers. (Female: 1)

h) Supply of Mint Distillation Unit

The objective of the scheme is to motivate the Mint growers to set up modern field distillation units lined with Stainless steel in their fields to improve the efficiency of distillation unit as well as to improve the quality of oil for exports. Subsidy was provided at the rate of 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers as the cost of the drier subject to a maximum of Rs.1,50,000/- for General and Rs.2,25,000/- for SC and ST farmers respectively.

During 2018-19, twentyone mint distillation units were set up with a total subsidy of Rs.13.27 lakh, benefiting 21 growers. (Female: 1)

D. Organic Farming

Internationally, the niche market for organic spices is growing at a fast rate. Early entry into this segment will improve the exportability and demand for Indian spices. In addition, availability of organically grown spices will help the country to face competition from other countries. The major bottlenecks in promoting organic farming are non-availability of organic inputs and high cost of organic certification of farms and processing units. In order to promote organic production of spices, support for setting up vermi-compost units, promoting organic seed bank of spices were implemented in 2018-19.

a) Setting up of Vermicompost Units

There is a necessity to produce organic inputs in the farm itself to maintain soil fertility in organic

production. In order to enable the growers to produce organic farm inputs, particularly vermi-compost, Rs.3000/- as subsidy at the rate of 33.33 per cent to the general growers and Rs.6750/- at the rate of 75 per cent as subsidy to the SC and ST farmers is offered to set up a unit having a capacity of one ton output of vermi-compost.

During 2018-19, one hundred and sixty six vermi-compost units were set up benefiting 95 growers (Female: 6; SC: 8; ST: 51) with a total subsidy of Rs.8.99 lakh.

b.) Establishing Organic seed banks for spices

Indigenous varieties viz., Cochin ginger in Kerala, Nadia Ginger in NE states, Alleppey finger turmeric in Kerala, Rajapori turmeric in Maharashtra, Lakadong/ Megha Turmeric in Meghalaya and herbal spices in Tamil Nadu are identified for covering under organic seed bank. Individual growers of any of these varieties of spices having holding size from 0.10 ha to 8 ha who are under organic certification are eligible to avail benefits under the scheme. A grower can avail subsidy under the scheme for a maximum of three years.

During 2018-19 one Organic Seed Bank was established for Ginger and Turmeric in Kerala with a financial assistance of Rs.0.25 lakh.

E. Training programme for quality improvement of spices (QITP)

The Board is regularly conducting quality improvement training programmes for farmers, officials of State Agri./Horti. Department, traders, members of NGOs, etc. for educating them on scientific methods of pre and post harvest & storage technologies and updated quality requirements for major spices.

A total of 9852 personnel were trained under 171 training programmes during 2018-19 at a total expenditure of Rs.17.174 lakh. (Female: 2391; SC: 917; ST: 3732) The expenditure was met under the HRD head.



F. Extension Advisory Service

Training on transfer of technical know-how to growers on production and post harvest improvement of spices is an important factor in increasing productivity and improving quality of spices. This programme envisages technical/extension support to growers on the scientific aspects of cultivation and post harvest management through personal contact, field visits, group meetings and through distribution of literature for small cardamom (in the states of Kerala, Tamil Nadu & Karnataka) and for Large cardamom (in the states of Sikkim and West Bengal).

Besides extension advisory service, the production and post-harvest programmes of the Board under the scheme 'Export Oriented Production' are implemented through the extension network.

During 2018-19, a total of 27,082 extension visits were conducted and 2334 group meetings/campaigns were organized for cardamom small and large in the states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland and Kalimpong & Darjeeling districts of West Bengal and for other spices in the respective growing areas. The total expenditure under extension advisory service was Rs.2098 lakh during 2018-19.

G. Exposure Visit exclusively for SC and ST Farmers

Exposure Visit exclusively for SC and ST farmers had been organized and conducted by the Board. A total of 53 farmers from Guwahati Region, 28 farmers of Karnataka Region and 49 farmers of Gangtok Region have participated in the exposure

visit from 06.03.2019 to 30.03.2019 in three different batches with the financial assistance of Rs.42.74 lakh. The farmers were taken to the various spice plantations, Indian Cardamom Research Institute (ICRI), Myladumpara, Idukki District, Indian Institute of Spices Research (IISR), Calicut, Kerala.

H. Small Cardamom Productivity Award

The Cardamom (Small) Productivity Award was instituted by the Spices Board in 1993 to recognize and encourage growers who achieved high level of productivity. The award consists of one First prize and two Second prizes. The first prize carries a cash award of Rs.1,00,000/-, a citation and a certificate. Each second prize carries a cash award of Rs.50,000/-, a citation and a certificate. Out of two second prizes, one second prize is exclusively reserved for a woman grower. The small cardamom productivity award winners for the years 2015-16 and 2016-17 were selected on the basis of nominations filed and verified during 2015 and 2016 harvesting season. The presentation of trophies, citation and cash award was given in a grand ceremonial function held at Ernakulam on 8th December 2018 in the august presence of Hon'ble Minister of Commerce & Industry and Civil Aviation, Shri Suresh Prabhu. The award function was presided by Prof. K.V. Thomas, Hon'ble Member of Parliament, Ernakulam and was felicitated by the Hon'ble Member of Legislative Assembly, Thrikkakkara, Shri P.T. Thomas. Dr. M.K. Shanmuga Sundaram, IAS, the Secretary, Spices Board welcomed the gathering and delivered the keynote address in the award function.

The following are the details of award winners



2015-16	Shri C M Mathew Chengathadathil Estate, Idukki, Kerala	6800 kg/ha	First Prize
	Shri Vasantha Kumar Lumbini, Chikmagalur, Karnataka	2877.5 kg/ha	Second Prize
	Smt Sonia Menuvin Mundaplackal, Idukki, Kerala	2300 kg/ha	Second Prize (Women Category)
2016-17	Mrs. Deepa Mathew Vadakkemuriyil House, Idukki, Kerala	4750 kg/ha	First Prize
	Mrs. Thresiamma Joseph Karadiala Estate, Nedumkandam, Kerala	4250 kg/ha	Second Prize (Women Category)
	Mr. Jose Joseph Greenvally Estate, Nedumkandam, Kerala	4000 kg/ha	Second Prize

I. Recognition Prior Learning: Agriculture Skill Council of India

The Spices Board is implementing Recognition of Prior Learning (RPL), under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), Skill Council of India (ASCI) for the empowerment of farmers engaged in spices cultivation and processing. During 2018-19, eleven programs benefiting a total number of 418 stakeholders were conducted at Uttar Pradesh (2Nos), Kerala (3Nos), Assam (4Nos), Tamil Nadu and Bihar (1 No.each) and the certificates were distributed to the participants.

J. Externally funded projects

a) RKVY Project of Govt. of Andhra Pradesh

The Govt. of Andhra Pradesh has approved the following projects submitted by the Board with a total financial outlay of Rs.21.5 lakh and the projects are being implemented in the state:

1. Global GAP Certification for farmers: The project envisages to bring production and processing of curry leaves & chillies with global GAP certification and export linkage
2. Demonstration/Training cum Production centre for making cow based organic inputs for farming – A showcase model harnessing local resources is developed at the Goshala in Nehru Nagar, New Guntur, Andhra Pradesh

3. Sustainable Post Harvest techniques in Tamarind for enhanced income and direct linkages in Kalyandurg Mandal, Anantapur District, Andhra Pradesh
4. Training on Export Oriented Cultivation and Production of Coriander & Ajwain in Prakasam, Guntur and Kurnool Districts with Market Linkage
5. Setting up of master nursery in Kunchanapalli Horticulture Farm, Vishakapatnam District, Andhra Pradesh
6. Demonstration plots for Japanese Mint in Prakasam and Guntur Districts in Andhra Pradesh

b) RKVY Project of Govt. of Telangana

The Govt. of Telangana has approved the integrated project on development of spices submitted by the Spices Board and has released Rs.110 lakh under RKVY for implementing the projects in the Telangana region, during 2015-16.

Under this project one farmer beneficiary was extended a financial assistance of Rs.1.50 lakh to install a turmeric boiler (ST: 1)

c) RKVY Project of Govt. of Assam

The Govt. of Assam has approved the Integrated Projects submitted by the Board for development



of Ginger, Turmeric and Pepper in Assam under RKVY and an amount of Rs.8,48,400/-was released to the Board for implementing the Human Resource Development component of the program including the implementation cost of Rs.8,400/-.

The achievement during 2017-18 (which was not included under the last year report) of the project were as follows:

1. Growers Training Programmes – 15 nos. - 525 (Female: 123; SC: 15; ST: 176)
2. Master Training Programmes – 6 nos. - 226 (Female: 26; SC: 25; ST: 45)
3. Publishing Literature on Black Pepper, Ginger and Turmeric cultivation in local language (Assamese)

A total expenditure of Rs.6.40,727/- was incurred under RKVY Assam project during 2017-18.

In continuation to that another Nine more programmes were implemented during 2018-19 and the details are as follows:

1. Growers Training Programmes on Ginger - 2 nos. with 80 beneficiary farmers (Female: 20; SC: 3; ST: 55)
2. Growers Training Programmes on Turmeric - 2 nos. with 91 beneficiary farmers (Female: 39; SC: 2; ST: 38)
3. Growers Training Programmes on Black Pepper - 5 nos. with 224 beneficiary farmers (Female: 52; SC: 16; ST: 151)

A total expenditure of Rs.1,99,273/- was incurred under RKVY Assam during 2018-19. The project was completed by 2018-19 with the total expenditure of Rs.8,40,000/- on the Human Resource Training with reference to the development of Ginger, Turmeric and Pepper in Assam.



5. EXPORT DEVELOPMENT AND PROMOTION

The various programmes being implemented under the scheme 'Export Development and Promotion' intend to support exporters to promote exports and to meet the changing food safety standards in the importing countries. Besides encouraging adoption of scientific practices and process upgradation, the Board focuses on quality and food safety in the whole supply chain of spices. The major thrust areas are Trade Promotion, Product Development & Research, Infrastructure Development, Promotion of Indian spice brands abroad, Setting up of infrastructure for common cleaning, grading, processing, packing and storing (Spices Park) in major spice growing/marketing centres, Promotion of Organic spices/GI spices, organizing Buyer Seller Meets etc. Special programmes are also undertaken for spice sector of the North Eastern Region.

A. Infrastructure Development

a) Interest Equalization Scheme for Infrastructure Development

The Board proposes to assist exporters in adoption of Hi-Tech in Spice Processing, Technology and Process Upgradation, Setting-up/up-gradation of in-house quality control laboratory, Quality certification etc. by providing three per cent interest subsidy on a term loan up to Rs.10.00 crore from Nationalized or Scheduled Banks subject to a maximum of Rs.30.00 lakh per year for three years, irrespective of the rate of commercial lending. The assistance will be provided for cost of supply & installation, testing and commissioning of machinery/ equipments for spice processing, including accessories. Exporters can avail the Interest Equalization assistance for a single project, subject to a maximum of Rs.30 lakh per year or for multiple projects, subject to a maximum of Rs.90 lakh for three years. Ministry of Commerce & Industry has accorded in principle

approval for implementing the scheme during the Medium Term Frame Work Plan period and the detailed scheme guidelines are being considered by the Ministry for approval.

b) Grant in aid for Adoption of Hi-Tech, Technology & Process Up-gradation, Setting up of in-house lab & Quality certification

The Board had implemented the scheme for Adoption of Hi-Tech, Technology & Process Upgradation, Setting up of in-house lab, Quality certification etc. by providing grant in aid during the XII plan period by providing 33 per cent of the cost, subject to a maximum of Rs.1.00 crore per exporter for general areas. Consequent to the inclusion of the new proposal of Interest Equalization scheme for infrastructure development, the Board discontinued the scheme for Adoption of Hi-Tech, Technology & Process Upgradation, Setting up of in-house lab, Quality certification etc in the Medium Term Frame Work Plan. However the Board has processed the pending cases under the scheme during 2018-19.

c) Establishment of Spices Parks

The Board proposes to assist Farmer Producer Companies/Entrepreneurs having valid Certificate of Registration as Exporter of Spices, Trade Associations etc. in establishing spice parks in the major spices growing, exporting and marketing regions. The Board will provide 20 per cent of the total cost of the project for establishing the Spice Park as equity in the form of grant subject to a maximum of Rs.400 lakh. Ministry of Commerce & Industry has approved the scheme for implementing during the Medium Term Frame Work Plan period and the detailed scheme guidelines are being considered by the Ministry for approval.



d) Setting up Spices Processing Units in NE Region

The Board proposes to assist in establishing primary processing facilities for spices in the NE region. The grant in aid offered under the scheme will be 33 per cent of the cost of processing facilities/equipments subject to a maximum of Rs.50 lakh for exporters and 50 per cent of the cost of type of processing facilities subject to a maximum of Rs.50 lakhs for Farmers' groups/Farmer Producer Companies having valid CRES. For SC/ST exporters, Farmers' groups and Farmer Producer Companies (for groups/FPCs the members should be from SC/ST Community) having valid CRES, the assistance will be 75 per cent of the cost of processing facilities/equipments subject to a maximum of Rs.112.50 lakh. The Board is creating awareness among the exporters to establish primary processing facilities in the NE region.

e) Setting up and Maintenance of Infrastructure for Common Processing

Spices Board, with a view to empower the

farmers to get better price realization and wider markets for their produce, has established eight crop specific Spices Parks in major production/market centres. The objective of the park is to have an integrated operation for cultivation, post harvesting, processing, value-addition, packaging and storage of spices and spice products. The common processing facilities for cleaning, grading, packing, steam sterilization etc will help the farmers to improve the quality of the produce and thus result in a higher price realization.

All the Spices Parks have been designated as Food Parks/Mega Food Parks by Ministry of Food Processing Industries so as to enable the stakeholders to avail assistance under Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) operated by the Ministry of Food Processing Industries.

The crop specific Spices Parks established by the Board in the major production/market centres, are as below:

Sl No	Location/State	Spices Covered	Status
1	Chhindwara, Madhya Pradesh	Garlic & Chilly	Functioning
2	Puttady, Kerala	Pepper & Cardamom	Functioning
3	Jodhpur, Rajasthan	Cumin & Coriander	Functioning
4	Guna, Madhya Pradesh	Coriander	Functioning
5	Guntur, Andhra Pradesh	Chilly	Functioning
6	Sivaganga, Tamil Nadu	Turmeric & Chilly	Functioning
7	Ramganj Mandi (Kota), Rajasthan	Coriander & Cumin	Functioning
8	Rae Bareli, Uttar Pradesh	Mint	Inaugurated

The Parks at Rae Bareli, Uttar Pradesh & Ramganj Mandi (Kota), Rajasthan were inaugurated by Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Union Minister of Commerce & Industry and Civil Aviation, on 22nd February, 2019. Spices Park Rae Bareli, established in 11.60 acres of land at Harchandpur, Rae Bareli is envisaged to develop as a full-fledged infrastructure facility for primary processing and higher end value addition of Mint. The park at

Ramganj Mandi, Rajasthan- Asia's largest market centre for Coriander- is established in 30 acres of land with full-fledged facilities for processing, value addition and storage of Coriander.

The maintenance of Spices Parks/Common processing facilities is covered under this component, for which an amount of Rs.227 lakh has been incurred during 2018-19.



B. Trade Promotion

a) Sending Business Samples Abroad

The Board assists exporters who wish to finalize business transactions on the basis of samples requested by buyers and reimburses courier charges for sending business samples abroad. Sending samples enable better and speedy conversion of prospects to customers in the spice export scenario. Registered exporters are eligible for availing benefit under this programme and during 2018-19, the assistance provided under the scheme was Rs.0.4 lakh.

b) Packaging Development & Bar coding

The programme envisages improvement and modernization of export packaging for increasing shelf life and reducing storage space, establishing traceability and better presentation of Indian spices in markets abroad. Registered exporters can avail assistance to the tune of 50 per cent of the cost of packaging development and bar coding registration subject to a ceiling of Rs.1.00 lakh per exporter.

The Board has entrusted a Research and Development project on packaging Development for spices to Indian Institute of Packaging (IIP), Mumbai. Based on the stakeholders meeting conducted as part of the Stage I of the project, Indian Institute of Packaging, Mumbai has submitted a revised project proposal, for packaging Development for ground spices at a total cost of Rs.30 lakh. The Board has approved the project and a Memorandum of Understanding (MoU) is being executed with IIP.

c) Product Development & Research

There is ample scope for deriving new end uses and applications from the spices produced in the country. The scheme aims at scientific validation of nutritional, nutraceutical, cosmeceutical, medicinal and intrinsic properties of the spices and further development of new products. The

value realization in the exports of these products and formulations would be phenomenally higher, when compared to the value realized when exported as condiments. Development of new end products from spices involve scientific research on unconventional applications, which can further lead to creation of patentable products with maximum value realization. The scheme offers financial assistance for product research & development, clinical trials, validation of properties and patenting & test marketing. Registered exporters and R&D institutions having required facilities will be eligible to avail assistance under the scheme. It is proposed to provide 50 per cent of the cost of project subject to a maximum of Rs.25.00 lakh as grant-in-aid per beneficiary. If clinical trials and patenting are involved, the ceiling will be Rs.100 lakh. During 2018-19, the Board has processed two proposals for providing assistance to Exporters/Research Institutions under the component for Product Development & Research.

d) Promotion of Indian Spice Brands Abroad

The objective of the programme is to assist penetration of Indian brands in the identified overseas markets, through a series of measures leading to the positioning of quality Indian spice brands within the reach of the foreign consumers with a clear mark of traceability and food safety. Under this programme, exporters who have registered their brand will be provided financial assistance towards interest free loan of upto Rs.100 lakh per brand. With an objective to position specified brands in the identified outlets in selected cities abroad, 100 per cent of slotting / listing fee and promotional expenditures and 50 per cent of the cost of product development will be considered under the project.

e) Market Study by the Board

The Board proposes to undertake market study through professional agencies for Indian spices in order to identify competitors and to evolve



suitable strategies for boosting export of Indian spices. Also, other critical aspects are to be studied in depth to formulate an appropriate pricing, promotional and marketing strategy. Market survey by the Board would help to find out the strengths, weaknesses, opportunities and threats for Indian spices. The study assumes significance especially to small scale exporters and new entrants who are required to be advised appropriately with the changing market situations and other regulations for efficient handling of their export operations. Based on this study, the exporters can pursue brand promotion efforts. The Board will execute an agreement with the professional agency for undertaking the market study and will meet 100 per cent of the cost.

The Spices Board, has entrusted Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), New Delhi to conduct a study on export promotion of spices and to suggest short term and long term strategies for increasing the export share of Indian spices. The study has been completed and the report is being finalized.

f) Participation in International Trade Fairs/ Exhibitions/Meetings and Trainings

The Board is an international link between the Indian exporters and the importers abroad. As part of its initiatives for promotion of Indian spices in international markets and to provide opportunities for exporters, the Board is regularly participating in international fairs, exhibitions etc to showcase the capabilities of Indian spices to the international buyers. The Board also arranges cooking demonstrations in select exhibitions, food festivals etc to popularize the uses and applications of spices, in collaboration with leading restaurants and food chains, so as to promote Indian cuisine. Besides, the Board participates in annual meetings, conferences of International Pepper Community (IPC), Codex Committees etc. During 2018-19, the Board has participated in 11 international fairs and exhibitions at a total expenditure of Rs.393 lakh.

The Board also encourages exporters to participate in international fairs/exhibitions to generate/develop business. All registered exporters of the Board are eligible to avail the grant-in-aid for participation in international trade fairs/exhibitions, on a reimbursement basis, against production of required documents. During 2018-19, an assistance of Rs.3.05 lakh was provided to exporters for participation in international trade fairs, exhibitions etc.

C. Marketing and Auxiliary Services

a) Marketing Services

The Spices Board is implementing a series of programmes to develop and promote the export of spices and spice products from India and for domestic marketing of cardamom. The Board assists stakeholders on a day to day basis to sort out various problems cropping up in the course of post-harvest management, marketing, processing, quality improvement etc of spices and provides advice and technical support to exporters, farmers and State Governments.

i) Registration & Licensing

Licensing and Registration is a part of the regulatory function of the Board. The Board issues Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) and also the Auctioneer and Dealer license for trading in Cardamom (Small & Large). During 2018-19, the Spices Board issued 3648 Certificates of Registration as Exporter of Spices (CRES) of which 3230 certificates were in merchant category and 418 certificates in manufacturer category. Also, 431 dealer licenses were issued during the year (405 for cardamom small and 26 for cardamom large).

ii) Registration of Brand name

The objective of the programme viz. registration of brand name is to support export of spices/spice products in consumer packs under Indian brand names and gain market share in the fast growing



market of branded consumer packs. The Board has specified packing standards for different spices for different unit weights in consultation with Indian Institute of Packaging (IIP) and the registration is offered to exporters for a period of three years.

iii) Auction for Cardamom

During 2018-19, the Board continued to facilitate conduct of E-auction of cardamom (small) at Spices Park, Puttady in Idukki district in Kerala and at Bodinayakanur in Tamil Nadu. A total of 12 Auctioneer Licenses has been issued for conducting auctions in the E-auction Centre at Puttady and Bodinayakanur for the block period 2017-20. Manual auctions were conducted in other states viz Karnataka & Maharashtra for Cardamom (small) and at Singtam in Sikkim for Cardamom (large).

iv) Testing of Customs Samples of Spices

During 2018-19, the Board has tested 777 samples of import consignments of spices, received from Customs Dept. and test reports were issued with respect to the import of 9635 MT of Pepper from Sri Lanka, Vietnam, Indonesia and Ecuador through Kochi port. The results were issued with regard to imports under Advance Authorization Scheme, after testing oleoresin/piperine content, for extraction of oils and oleoresins.

v) GI Registration of Spices

The Spices Board has obtained GI registrations for Malabar Pepper, Alleppey Green Cardamom, Coorg Green Cardamom, Guntur Sannam Chilly and Byadagi Chilly. The Board is popularizing the GI registered spices in the international markets.

vi) Seminars and Training Programs

A National Conclave on Food Safety was organized by the Spices Board at New Delhi on 11th February, 2019. Further, the Collaborative Training Centre (CTC), jointly established by the Spices Board, United States Food & Drug Administration (USFDA) & Joint Institute for Food

Safety and Applied Nutrition (JIFSAN) conducted four Food Safety Training Programs at Mandsaur, Madhya Pradesh; Jodhpur, Rajasthan; Mehsana, Gujarat and Hyderabad, Telangana during 2018-19. The training programs provided collaborative training to farmers and farm workers on food safety and personal hygiene.

During 2018-19, the Board has conducted 8 training programs for development of local experts on export procedures, quality control and product certification in the states of Punjab, Haryana, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Assam and Tripura and trained a total of 146 officials, belonging to State Agriculture, Horticulture, Food Safety Depts. etc.

vii) Awards for Excellence in Exports of Spices

The Spices Board has instituted awards for excellence in exports of spices to honour outstanding export performers of spices and spice products. The awards and trophies are part of the Board's continued endeavor to promote the exports of spices and spice products. The 28th set of exporter awards, which include trophies- for top most exporters, awards- for category wise leading exporters and certificate of merit- for remarkable growth in exports over the previous year, were presented to the exporters who had attained commendable performance during 2014-15, by Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Union Minister of Commerce & Industry and Civil Aviation at Kochi, Kerala on 8th December, 2018.

b) Buyer Seller Meets (BSM)

The Spices Board has been conducting Buyer Seller Meets (BSM) across the major spice producing regions so as to provide a platform for interaction between the spice growers and exporters, for establishing direct market linkages. The BSMs offer a win-win situation to both the growers and exporters wherein the growers get a market for their produce along with remunerative returns, whereas the exporters find it beneficial in terms of establishing long term backward linkages and



competitive sourcing of quality spices. During FY 2018-19, three BSMs were conducted by the Board, the details of which are given in the table below:-

Sl.No	Location	Date
1	Kota, Rajasthan	26 th April, 2018
2	Nagaur, Rajasthan	24 th January, 2019
3	Ratnagiri, Maharashtra	2 nd March, 2019

The stakeholders of the spice industry have shown keen interest and have actively participated in the BSMs, across the country, so as to make the best use of the platform, to build market linkages. A total of around 500 farmers/farmers groups and over 150 spice exporters had actively participated in the BSMs. During 2018-19, the total expenditure for conducting BSMs was Rs.8.55 lakhs.

D. Trade Information Service

Trade Information Service of the Marketing Department is responsible for the collection, compilation, analysis and dissemination of statistics relating to Exports, Imports, Area, Production and Auction and Domestic & International prices of spices.

The major source of information for compiling the estimated export of Spices from India is the Daily List of Exports (DLE) released by the Customs and the export data provided by Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata. Similarly, the Daily List of Imports (DLI) released by the Customs and the import data provided by Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata are the sources for estimating the import of Spices into India. The Board is compiling the export & import details of Spices on a quarterly basis and is disseminating the data to stakeholders and Ministry/Departments, through website, on a regular basis. For this purpose the Board is regularly collecting both the DLE and DLI from all major ports like Kochi, JNPT, Chennai, Tuticorin, Mundra, Kolkata, Petrapole, Mohadhipur,

Raxual, Amritsar etc./ DGCI&S, Kolkata and the information is also collected through the Regional Offices of the Board for this purpose.

The Board is compiling both the domestic and international prices of Spices from major markets on regular basis and disseminating to stakeholders through website and publications. The major source for collecting the price details are agencies like India Pepper and Spice Trade Association, Agricultural Produce Marketing Committees, Merchants Associations, International Trade Centre, Geneva, International Pepper Community, Indonesia, AA Sayia & Co, USA etc. All these information is collected through the regional offices of the Board and through subscription from the international agencies.

Since the Board is responsible for the production development of Cardamom (Small & Large), the area, production and productivity of these spices are estimated by Trade Information Service with the support of the field sample study conducted through the field set up of the Board . Area and production of other spices are collected from the State Economics and Statistics/Agriculture/Horticulture Departments/DASD for compilation. Information on area, production of all spices has been disseminated through the Board's publications as well as through the website to the stake holders and policy makers.

As per the Registration of exporters (Regulations), all the Registered Exporters of Spices has to submit their quarterly export return to the Board. During 2017-20 block period, around 4847 exporters are registered with the Board and the Trade Information Service is compiling the Quarterly Export Returns of these exporters and maintaining the database of exporter wise performance for spices. By using this database, the details of leading exporters of each spice are compiled and published through the Board's website.



The Spices Board is conducting e-auction for trading of Cardamom through e-auction centres developed by the Board at Bodinayakanur and Puttady. The details on daily auction quantity and price of cardamom is compiled and published on a daily basis through the Board’s website and the consolidated details are disseminated through publications.

The weekly domestic price of major spices for different market centres, including major overseas markets are collected, compiled and published

through the publication of the Board namely Spices Market on a weekly basis (in website) and Spice India on a monthly basis, for the benefit of stakeholders of the spice sector.

i) Area and Production of Spices

The area, production and productivity of Cardamom (Small) and Cardamom (Large) for 2018-19 compared to 2017-18 is given in Table I, II & II A. Area and production of other spices is given in Table-III.

Table - I

State wise Area and Production of Cardamom (Small)

(Area in Hect., Prodn in Tonnes., Yield in Kg/Hect)

State	2018-19				2017-18			
	Total Area	Yielding Area	Prodn.	Yield	Total Area	Yielding Area	Prodn.	Yield
Kerala	38882	29364	11535	392.83	39080	31577	18350	581.13
Karnataka	25135	14725	690	46.86	25135	17628	1450	82.26
Tamil Nadu	5115	3503	715	204.11	5115	3565	850	238.43
Total	69132	47592	12940	271.89	69330	52770	20650	391.32

Source:- Estimate based on field sample study

Table - II

State wise Area and Production of Cardamom (Large)

(Area in Hect., Prodn. in Tonnes., Yield in Kg/Hect)

State	2018-19				2017-18			
	Total Area	Yielding Area	Prodn.	Yield	Total Area	Yielding Area	Prodn.	Yield
Sikkim	23312	17605	5030	285.71	23312	18232	4860	266.67
West Bengal	3305	3159	1070	338.71	3305	3159	1045	330.48
Total	26617	20764	6100	293.78	26617	21391	5905	276.10

source : Estimate by Spices Board

In 2018-19, the Board has estimated the area and production details of cardamom (large) in

Arunachal Pradesh and Nagaland which is given in Table IIA



Table - IIA

State	Area and production of cardamom (large) 2018-19			
	Total Area(Hect)	Yielding Area (Hect)	Prodn. (TONS)	Yield (Kg/Hect)
Arunachal Pradesh	9901	6419	1545	240.76
Nagaland	6308	4194	1024	244.09
Total	16209	10613	2569	242.08

source : Estimate by Spices Board

Table - III

Area and Production of Major Spices

(Area in Hect., Production in Tonnes)

Spice	2017-18 (P)		2016-17	
	Area	Production	Area	Production
Pepper	133790	64000	134280	57000
Chilli	791725	2163803	864730	2394320
Ginger	159460	1043130	160480	1047190
Turmeric	237710	1134340	248050	1215520
Garlic	317080	1611340	302980	1722750
Coriander	532420	710120	662350	609350
Cumin	966140	688660	780920	500360
Fennel	65980	103890	89540	148560
Fenugreek	148990	202450	220670	310070

Source: State Directorate of Eco. & Stat. /Agri./Horti. Departments

Directorate of Arecanut & Spices Development, Kozhikkode

(P): Provisional - Pepper Production - Trade Estimate

ii) Auction Sales and Price of Cardamom (Small)

The state-wise auction sales and weighted average

price of Cardamom (Small) for 2018-19 (August 2018-July 2019) and 2017-18 (August 2017-July 2018) are given in Table-IV.



Table - IV

Auction Sales & Prices of Cardamom (Small)

(Qty. in Tonnes, Price in Rs./kg.)

State	2018-19 (August-July) (P)		2017-18 (August-July)	
	Quantity auctioned	Weighted average auction price	Quantity auctioned	Weighted average auction price
Kerala and Tamil Nadu (e-auction)	20810	1528.96	27721	955.29
Karnataka	9	1068.94	14	845.29
Maharashtra	46	1442.11	65	1033.82
Total	20865	1528.58	27800	955.41

(P): Provisional

Source: Reports received from licenced auctioneers

iii) Price of Cardamom (Large)

at Gangtok and Siliguri markets for 2018-19 and 2017-18 are given in Table V.

The average wholesale price of cardamom (large)

Table - V

Average Wholesale Price of Cardamom (Large)

(Price in Rs./kg.)

Centre	Grade	2018-19	2017-18
Gangtok	Badadana	527.31	599.70
Siliguri	Badadana	646.39	763.44

Source: Regional Office of the Board

iv) Prices of other major spices

The average prices of major spices are given below. These prices have been collected from secondary sources like Chamber of Commerce,

Indian Pepper and Spice Trade Association, Market reviews prepared by the Merchants Associations, etc. Prices of major spices in important market centers are given in Table VI.



Table - VI

Prices of Major Spices in Important Market Centers (Price in Rs./Kg.)

SPICE	MARKET	2017-18	2018-19
Black Pepper (Mg-1)	KOCHI	473.73	378.21
Chillies	GUNTUR	56.39	77.16
Ginger	KOCHI	129.72	184.39
Turmeric	CHENNAI	118.60	119.63
Coriander	CHENNAI	73.32	70.74
Cumin	CHENNAI	199.88	188.83
Fennel	CHENNAI	94.19	106.01
Fenugreek	CHENNAI	42.06	50.67
Garlic	CHENNAI	44.74	33.85
Poppy Seed	CHENNAI	466.58	450.59
Ajwan Seed	CHENNAI	99.46	120.12
Mustard	CHENNAI	54.95	51.07
Tamarind	CHENNAI	131.42	161.26
Saffron	DELHI	143146.00	105604.50
Clove	KOCHI	671.10	711.45
Nutmeg (without Shell)	KOCHI	329.63	389.60
Mace	KOCHI	441.09	599.50

v) Export Performance of Spices from India

Indian spices exports could continue its increasing trend during 2018-19 also. During 2018-19 a total of 10,63,020 tonnes of spices and spice products valued Rs.18845.00 crores (US\$ 2710.44 Million) has been exported from the country as against 10,28,060 tonnes valued Rs.17980.16 crores (US\$ 2789.35 Million) in 2017-18 registering an increase of 3 per cent in volume and 5 per cent in rupee terms of value. In dollar terms of value there is a decline of 3 per cent which is mainly due to the depreciation of Indian currency.

During 2018-19, the export of cardamom (large), chilli, turmeric, coriander, cumin, and other seeds like ajwainseed, mustard etc. have shown an increase both in volume and value as compared to 2017-18. The export of celery, fenugreek and mint products had shown increase in terms of value only. In the case of value added products, the export of curry powder/paste have shown

increase in both volume and value as compared to the last year. The exports of other spices have shown a decline both in volume and value as compared to last year.

During 2018-19, a total volume of 4,52,000 tonnes of chilli valued Rs.5191.30 crores have been exported as against 4,43,900 tonnes valued Rs.4256.33 crores of last year registering an increase of 2 per cent in volume and 22 per cent in value. During 2018-19, a total volume of 1040 tonnes of cardamom (large) valued at Rs.75.05 crores have been exported as against 760 tonnes valued at Rs.56.47 crores of last year registering an increase of 37 per cent in volume and 33 per cent in value. During 2018-19, a total volume of 1,29,100 tonnes of turmeric valued at Rs.1256.66 crores was exported as against 107,300 tonnes valued at Rs.1035.68 crores of last year, registering an increase of 20 per cent in volume and 21 per cent in value.



During 2018-19, a total volume of, 48,550 tonnes of coriander valued at Rs.350.78 crores was exported as against 35,185 tonnes valued at Rs.272.75 crores of the previous year registering an increase of 38 per cent in volume and 29 per cent in value. During 2018-19 a total volume of 1,70,750 tonnes of cumin valued at Rs.2735.90 crores was exported as against 143,670 tonnes valued at Rs.2417.99 crores of last year registering an increase of 19 per cent in volume and 13 per cent in value. During 2018-19, a total volume of

33,500 tonnes of curry powder/paste valued at Rs.744.40 crores was exported as against 30,150 tonnes valued at Rs. 616.20 crores of last year registering an increase of 11 per cent in volume and 21 per cent in value.

The estimated item-wise export of spices from India during April-March 2019 compared with April-March 2018, percentage change in 2018-19 etc and Achievement of Export target are given in Table VII and Table VIII.

Table – VII

Export of Spices from India during 2018-19 compared with 2017-18

ITEM	APRIL - MARCH 2018-19(*)		APRIL - MARCH 2017-18		% CHANGE IN	
	QTY (TONNES)	VALUE (Rs.LAKH)	QTY (TONNES)	VALUE (Rs.LAKH)	2018-19	
					QTY	VALUE
Pepper	13,730	57,165.50	16,840	82,078.48	-18%	-30%
Cardamom (s)	3,320	39,052.43	5,680	60,908.15	-42%	-36%
Cardamom (l)	1,040	7,505.15	760	5,646.60	37%	33%
Chilli	452,000	519,130.00	443,900	425,632.74	2%	22%
Ginger	17,550	18,583.00	22,605	21,607.49	-22%	-14%
Turmeric	129,100	125,666.00	107,300	103,567.63	20%	21%
Coriander	48,550	35,078.50	35,185	27,274.96	38%	29%
Cumin	170,750	273,590.00	143,670	241,798.78	19%	13%
Celery	6,020	6,568.90	6,480	5,950.30	-7%	10%
Fennel	25,850	24,230.00	34,550	25,906.35	-25%	-6%
Fenugreek	26,720	12,809.40	29,280	12,688.57	-9%	1%
Other Seeds (1)	29,590	18,567.30	22,175	16,045.55	33%	16%
Garlic	25,840	14,146.10	46,980	30,936.38	-45%	-54%
Nutmeg & Mace	3,270	14,613.60	5,500	22,094.31	-41%	-34%
Other Spices (2)	40,850	60,345.00	38,305	65,253.17	7%	-8%
Curry Powders/Paste	33,500	74,440.00	30,150	61,619.55	11%	21%
Mint Products (3)	20,750	353,875.00	21,500	322,834.86	-3%	10%
Spice Oils & Oleoresins	14,590	229,135.00	17,200	266,172.39	-15%	-14%
Total	1,063,020	1,884,500.88	1,028,060	1,798,016.24	3%	5%
Value In Million Us \$		2710.44		2,789.35		-3%

(1) Include Mustard, Aniseed, Ajwainseed, Dill Seed, Poppy Seed etc.

(2) Include Tamarind, Asafoetida, Cassia, Saffron etc.

(3) Include Mint Oils, Menthol & Menthol Crystal

(*) Include Late Reports of previous months

SOURCE : Estimate based on DLE from Customs, Report from ROs and last year's Export trend etc.



Table - VIII

Export of Spices from India during 2018-19 Target & Achievement

ITEM	TARGET FOR 2018-19(*)		APRIL - MARCH 2018-19 (*)		% ACHIEVEMENT OF TARGET	
	QTY (TONNES)	VALUE (Rs.LAKH)	QTY (TONNES)	VALUE (Rs.LAKH)	QTY	VALUE
Pepper	15,000	69,000.00	13,730	57,165.50	92%	83%
Cardamom (s)	4,000	40,000.00	3,320	39,052.43	83%	98%
Cardamom (l)	1,000	6,100.00	1,040	7,505.15	104%	123%
Chilli	415,000	435,750.00	452,000	519,130.00	109%	119%
Ginger	25,000	25,000.00	17,550	18,583.00	70%	74%
Turmeric	125,000	131,250.00	129,100	125,666.00	103%	96%
Coriander	46,000	32,200.00	48,550	35,078.50	106%	109%
Cumin	180,000	279,000.00	170,750	273,590.00	95%	98%
Celery	7,000	7,350.00	6,020	6,568.90	86%	89%
Fennel	35,000	31,500.00	25,850	24,230.00	74%	77%
Fenugreek	30,000	15,000.00	26,720	12,809.40	89%	85%
Other Seeds (1)	25,000	18,750.00	29,590	18,567.30	118%	99%
Garlic	25,000	13,750.00	25,840	14,146.10	103%	103%
Nutmeg & Mace	4,000	16,600.00	3,270	14,613.60	82%	88%
Other Spices (2)	40,000	60,000.00	40,850	60,345.00	102%	101%
Curry Powders / Paste	35,000	77,000.00	33,500	74,440.00	96%	97%
Mint Products (3)	23,000	339,250.00	20,750	353,875.00	90%	104%
Spice Oils & Oleoresins	15,000	202,500.00	14,590	229,135.00	97%	113%
Total	1,050,000	1,800,000.00	1,063,020	1,884,500.88	101%	105%
Value in Million US \$		2686.57		2710.44		101%

(1) Include Mustard, Aniseed, Ajwainseed, Dill Seed, Poppy Seed etc.

(2) Include Tamarind, Asafoetida, Cassia, Saffron etc.

(3) Include Mint Oils, Menthol & Menthol Crystal

(*) Include Late Reports of previous months

SOURCE : Estimate based on DLE from Customs, Report from ROs and last year's Export trend etc.



6. PUBLICITY AND PROMOTION

Designing a good promotional strategy is vital for enhancing the reputation of the Spices Board and for promotion of spices export. During the financial year 2018-19, the Board continued to popularize its schemes and activities for the branding of Indian spices across the globe. The strategies were designed for publicizing and promoting Indian spices, spice industry and the activities of the Board.

The major highlights during FY 2018-19 were, participation in established International and Domestic fairs, advertisement campaigns, online promotional campaigns, printing and publication of magazines, brochures and showcasing video spots on spices.

The multi-disciplinary promotional activities has lend support to the Board and spice industry, boosting the demand of Indian spices both Nationally and Internationally.

A. Participation in Domestic Fairs

One of the best means to outreach the various stakeholders of spice industry is participation in Domestic fairs. During the financial year, the Board ensured to cover the important domestic fairs with focus to cover main spice growing and marketing centers and internationally re-known fairs. The participation in fairs provides a platform to the Board to interact with various level of spice industry like farmers, traders, exporters, scientists, other export promotional agency/ organizations, which shall help in designing competent projects/ activities to promote the Indian spice industry as well as Indian spices. The participation in fairs during FY 2018-19 helped in tapping both domestic and international spice demands and generate an awareness on the activities of the Board on a pan Indian level.

During FY 2018-19, the Spices Board participated in 30 exhibitions, which occurred in prime locations of India.

SI.No	Name of fair	Date	Place
1.	Mathrubhumi Karshikamela 2018	4 -10 April 2018	Govt. Boys HSS Ground, Perumbavoor
2.	Yogshala Expo 2018	4 - 6 May 2018	Pragati Maidan, New Delhi
3.	7 th National seminar on Spices & Herbs	23 June 2018	Andaz Aerocity, New Delhi
4.	Alluring Rajasthan	18 - 20 July 2018	Udaypur
5.	Food & Technology Expo 2018	27 - 29 July 2018	Pragati Maidan, New Delhi
6.	15 th Agro Food & Bev. Expo 2018	2 - 4 August 2018	Dr. Shyama Prasad Mukherjee AC Stadium, Panaji, Goa.
7.	Vision Maharashtra Mega Exhibition	3 - 5 August	Pimpri, Pune
8.	Maharashtra State Mango Growers Association	8 August 2018	K.R Cama Hall Mumbai
9.	Aahar Chennai 2018	23 - 25 August 2018	Chennai Trade Centre, Chennai.
10.	FI & HI India 2018	30 Aug - 1 Sept 2018	Greater Noida, U.P
11.	13 th Annapoorna- World Food India 2018	27 - 29 Sept 2018	Bombay Exhibition Centre, Mumbai.



12.	UPASI Industrial Exhibition 2018	28 - 29 Sept 2018	Coonor, The Nilgris, Ooty
13.	Kerala Kaumudi Malabar Fest 2018	5 - 21 Oct 2018	Swapnanagiri, Kozhikode.
14.	Biofach India	25 -27 Oct 2018	Pragati Maidan, New Delhi
15.	Agro World 2018	25 - 27 Oct 2018	IARI Pusa Campus, New Delhi
16.	Rise in Jammu & Kashmir	1 - 3 Nov 2018	Jammu, Jammu & Kashmir
17.	IITF- India International Trade Fair	14 - 27 Nov 2018	Pragati Maidan, New Delhi
18.	10 th East Himalayan Expo	10 - 17 Dec 2018	Shillong, Meghalaya
19.	International Conference on Climate Change, Bio Diversity & Sustainable Agriculture (ICCBSA)	13 - 16 Dec 2018	Jorhat, Assam
20.	National Eat Right Mela (FSSAI)	14 - 16 Dec 2018	Oval Ground, IGNC, Delhi
21.	Pollachi Chamber Agri & Trade Expo 2018	21 - 24 Dec 2018	K.K.G Thirumana Mandapam, Pollachi
22.	Farmer's Mela-Spice Fest (IISR)	22 Dec 2018	Kozhikode
23.	VAIGA- Krishi Unnathi Mela	27 - 30 Dec 2018	Thrissur
24.	Indus Food 2019	14 - 15 Jan 2019	India Exposition Mart, Greater Noida
25.	Maghey Mela 2019	14 - 16 Jan 2019	Jorethang, Sikkim
26.	Sikkim Organic Day Cum Krishi Unnathi Mela	18 - 19 Jan 2019	Gangtok, Sikkim
27.	Dry Chilli Mela 2019	25 - 27 Jan 2019	Hubballi, Karnataka
28.	Tripura Fair	29 Jan 2019	Agarthala, Tripura
29.	World Bank Conclave	31 Jan - 2 Feb 2019	70 Lodhi Estate, Delhi
30.	Aahar International Food & Hospitality Fair 2019	12 - 16 March 2019	Pragati Maidan, New Delhi

B. Participation in International Fairs

The Board is an international link between the Indian exporters and the importers abroad. As part of its initiatives for promotion of Indian spices in international markets, the Spices Board participates in major international trade fairs. The participation in International exhibitions helps in creating cost effective opportunity to the Indian Spice exporters to interact and develop trade contacts with the existing as well as potential spice importers, thereby expanding the business horizon of the Indian Spice Industry. It also helps the Board to understand the various aspects of consumer behavior and food habits, retail and wholesale market study, the food safety and

security related norms of the importing country.

The selection of events were based on strategy of tapping unexplored potential market regions. Exporters were given priority in participation in major shows, separate slots were provided for their independent promotional activity under the Board's banner. Officers of the Board deputed for these events communicated and interacted with the visitors. Trade enquiries for various spices, herbs and formulations including products received at various events were disseminated to exporters for further follow up deals.

During FY 2018-19, the Board participated in the following 11 International fairs.



Sl No	Name of the Fair	Venue	Date
1.	Africa's Big Seven	Johannesburg, South Africa	24 - 26 June 2018
2.	Malaysian International Food & Beverage Trade Fair (MIFB)	Kuala Lumpur, Malaysia	27 - 29 June 2018
3.	Summer Fancy Food Show	New York, USA	30 June- 2 July 2018
4.	Specialty and Fine Food Fair	Singapore	17 -19 July 2018
5.	Food Ingredients South America (FISA)	Sao Paulo, Brazil, South America	21 - 23 August 2018
6.	Fine Food Australia	Melbourne, Australia	10 - 13 September 2018
7.	World Food Moscow	Moscow, Russia	17 - 20 September 2018
8.	SIAL Paris	Paris, France	21 - 25 October 2018
9.	Gulfood Manufacturing	UAE	6 - 8 November 2018
10.	BIOFACH Germany	Nuremberg, Germany	13 - 16 February 2019
11.	Foodex Japan	Chiba City, Japan	5 - 8 March 2019

C. Promotional Campaigns:

a) Online Promotional Campaigns:

The campaign is run on social media platforms like Twitter, Facebook, Instagram, and also provides Google ads link to spices and spice products. Designed to educate the online viewers, it creates awareness on spices including its botanical, geographical, trade data, therapeutic and culinary aspects etc.

b) Periodicals

The periodical publication, Spice India (monthly) published in five different languages, English, Hindi, Malayalam, Kannada and Tamil were released on time. The quarterly issues in Telugu

was also released as per the schedule.

Foreign Trade Enquiries Bulletin: Trade enquiries received by the Board directly from overseas trade fairs, e-mail and direct enquires to the Board's offices were consolidated and published as FTEB, to facilitate export of spices. The publication was sent to the subscribers through e-mail on time.

c) Other Publications:

Booklets and brochures printed during 2018-19 were:

- i) General Brochure on the Spices Board India (English).
- ii) Brochure for International fairs



7. CODEX CELL & INTERVENTIONS

A. Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)

The Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) was approved at the 36th Session of the Codex Alimentarius Commission held at the FAO Headquarters, Rome during July 2013. The Secretariat of the CCSCH is functioning in the Spices Board. The first Session of the CCSCH was held in February 2014 at Kochi, Kerala, the second session in September 2015 at Goa and the third session is in February 2017 at Chennai.

The 4th session of Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH4) was held from 21st to 25th January 2019 at Hotel Leela Kovalam, Thiruvananthapuram, Kerala. The session was inaugurated by Justice Shri P. Sathasivam, the Hon'ble Governor of Kerala. Union Minister of Commerce and Industry, Shri Suresh Prabhu delivered the presidential address via a video message. Ms Rita Teatota, Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) delivered the keynote address. Dr M. K. Shanmuga Sundaram IAS, Secretary, Spices Board and Shri M Saravanan IAS, Director Plantation were among the dignitaries who addressed the inaugural session. Dr. A B Rema Shree, Director, Spices Board delivered the vote of thanks.

Nearly 28 Codex member countries from all over the globe participated in the session constituting about 88 delegates including India along with one observer (IOSTA) and one member organization (European Union).

The session discussed draft standard for 8 spices and herbs viz, Dried or dehydrated Oregano, Garlic, Ginger, Chilli pepper and paprika, Cloves, Basil, Nutmeg and Saffron.

Proposed draft standard for dried roots, rhizomes and bulbs - Dried or dehydrated Garlic was forwarded to CAC42 for final adoption at Step

5/8. The committee decided to forward the following proposed draft standards viz, Dried or dehydrated oregano, Ginger, Cloves, Basil and Saffron to the 42nd session of Codex Alimentarius Commission (CAC42) for adoption at Step 5 and to retain the proposed draft standard for Chilli pepper and Paprika and Dried Nutmeg at Step 2/3 for further consideration since a few outstanding issues required further discussions.

A satisfaction survey had been conducted by the Codex Secretariat for CCSCH4. Total of 50 respondents provided answers to the electronic survey that consisted of 15 structured questions on the various aspects related to CCSCH4. Approximately 91 per cent respondents were satisfied with the overall arrangements of the session whereas 9 per cent responded neutral.

B. Upcoming session (CCSCH5)

5th Session of Codex Committee on Spices and Culinary Herbs has been tentatively fixed as 21st - 25th September 2020 at Kochi.

C. Other activities

The Board also participated in the 4th National Codex Committee meeting held on 12th February, 2019 at FDA Bhawan, New Delhi, under the Chairmanship of Ms. Rita Teatota, Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India.

The Board also participated in the Workshop for Codex Asian Region on 'Effective preparation for participation in Codex' on 5th - 6th September 2018 in New Delhi.

a) ISO/TC 34/SC 7

Dr. A. B. Rema Shree, Director of Research, Spices Board, by designation has been selected as the Chairperson of Spices, Culinary Herbs and Condiments Sectional Committee, FAD 09 of



the Bureau of Indian Standards (BIS). FAD9 is the Secretariat for the ISO TC34/SC7 committee which develops standards for spices and herbs.

The Board participated in the 23rd FADC meeting held on 8th March 2019 at Krishi Bhawan, New Delhi.

b) Standards and Trade Development Facility (STDF)

The Spices Board had submitted the revised

application for the project grant entitled "*Strengthening spice value chain in India and Improving access through capacity building and innovative interventions*" to the Standards and Trade Development Facility (STDF), an organization under WTO that helps developing countries in addressing sanitary and phytosanitary issues in food trade. This project, with a total budget estimated at US \$ 892.030 was approved by STDF.



8. QUALITY IMPROVEMENT

The Quality Evaluation Laboratory of the Board was established in 1989. It is certified under ISO 9001:2000 Quality Management System in 1997 and upgraded to ISO 9001:2008 in 2009 and ISO 14001:2004 Environmental Management System in 1999 by the British Standards Institution, U.K. and accredited under ISO/IEC: 17025 in September 2004 by the National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories (NABL), Department of Science & Technology, and Govt. of India.

Quality Evaluation laboratory in Kochi has upgraded its Quality system ISO 9001:2005 and ISO 14001:2005 to ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 respectively during 2018 and QELs accredited by NABL are in the process of upgrading the ISO/IEC 17025 :2005 quality system to SO/IEC 17025 :2017.

The laboratory is equipped with sophisticated equipment to undertake the analysis as per the requirements of importing countries. The documents pertinent to analytical services of the laboratory were made online through a software called "QUADMAS" including the generation of worksheets and submission of analytical results, which saves thousands of paper a day.

To ensure the analytical credibility of the laboratory, it regularly participates in check samples/validation programs organized by National/International agencies like Food Analysis Proficiency Assessment Scheme (FAPAS) and Food Examination Proficiency Assessment Scheme (FEPAS) by Food and Environment Res. Agency (FERA), U.K, American Spice Trade Association (ASTA), USA, International Pepper Community (IPC), Jakarta, Campden BRI, UK and proficiency testing programs conducted by the NABL accredited Laboratories in India.

The Laboratory also conducts regular inter laboratory check sample programs for the major parameters like Aflatoxin, Sudan dye I-IV,

Pesticide residues and Microbiological parameters like Salmonella, Total plate count, Yeast and Mould, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Enterobacteriaceae with the laboratories in major importing countries and major spice/spice products analyzing Laboratories in India. All the technical staff in the laboratory are periodically trained in reputed National/International laboratories like CFTRI, Mysore, International Food Safety Training Laboratory, USA, Institute of Science of Food Production - National Research Centre, Italy etc to update their analytical skill on par with the International Standards.

As part of providing speedy analytical services to exporters, the Spices Board has established Regional Quality Evaluation laboratories at major producing/ exporting centers. The Board has functional laboratories at Chennai, Guntur, Mumbai, Delhi, Tuticorin and Kandla. The laboratories at Kochi, Mumbai, Guntur, Chennai and Delhi has NABL Accreditation. The laboratory at Kolkata is expected to be operational by the end of 2019.

During the year 2018-19, the Laboratory continued to provide analytical services to the Indian Spice Industry and monitoring of the quality of spices produced and processed in the country. It also undertakes analysis of consignment samples under the mandatory inspection of the Spices Board. It has facilities to analyze various physical, chemical and microbial parameters including pesticide residues, aflatoxin, heavy metals, contaminants/adulterant artificial dyes and automated testing for various microbiological parameters in spices and spice products. The Laboratory follows internationally accepted testing methods for various analyses and validates new methods as and when necessary.

A) Analytical Services

During the reported period, QEL continued analysis of selected spices and spice products for



the presence of Sudan dye I-IV, Aflatoxin, Pesticide residues, Macro analytical parameters (in cumin) and Salmonella under mandatory inspection and testing implemented by the Board. Monitoring of rejections of export to various importing countries like USA, EU, Japan, Saudi Arabia etc is reviewed for the need for expansion of scope of mandatory inspection and testing.

Laboratory makes available to its customers, scope of its testing in the website, the same was revised including more Microbiological parameters which are automated, fast, validated and internationally accepted. Moreover the form was revised to make it more user friendly.

Sample and parameter tested from 01.04.2018 to 31.03.2019 is as given below:

B) Human Resources Development Program

As part of improving the technical capabilities of the laboratory personnel and getting update on requirement of various quality systems adopted by the laboratories the following national/international training programs/workshop were attended by the laboratory staff members during the period 2017-2018.

During the period, as a part of improving the technical capabilities of the laboratory personnel and update on requirements of various Quality system adopted by the laboratory, the following National/International training programs/workshops were attended by the technical staff:-

QEL	No. of sample received	No. of parameters tested
Kochi	13536	25552
Kandla	7802	15200
Delhi	4835	8098
Mumbai	14525	29193
Chennai	19723	22411
Tuticorin	3794	7400
Guntur	7437	10894
Total	71652	118748

Sl.No.	Month	Training Program	Organized by
1.	April 2018	Public Procurement Training Program	NIFM, Faridabad
2.	April & May 2018	One day Laboratory Course on Changes in ISO/IEC 17025 : 2005 Version to ISO/IEC 17025 : 2017 Version	National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories (NABL), Gurgaon-122 002.
3.	May 2018	Two days Training Program on "Uncertainty of Measurement"	Fine Finish Training School, (A Division of Fine Finish Organics Pvt.Ltd.), Taloja-410 208, Navi Mumbai.



4.	June 2018	Training Program on Public Procurement	NIFM, Faridabad
5.	August 2018	Two days training program on Revised ISO/IEC 17025 : 2017 Laboratory Quality Management System & Internal Audit	Institute of Applied Quality Management, Mumbai.
6.	September 2018	Short Term Training Program on Chromatographic Techniques (GC, HPLC, UHPLC) and their Analytical Approaches in Food Analysis	CFTRI, Mysore
7.	September 2018 January 2019 (different slots)	Two days Comprehensive Management Development Program on GeM & GFRs 2017 organized by NIFM, Faridabad	NIFM, Faridabad.
8.	September 2018	Two days Non- Residential Type Training Programme on Transition & Implementation from ISO/IEC 17025 : 2005 to 17025 : 2017 at Hotel Renai, Kochi.	Organized by Green Economy Initiatives Pvt.Ltd., Mohali, Punjab in collaboration with the Green Enterprises, SRM Road, Kochi.
9.	September 2018	Short Term Training Course on "Chromatographic Based Analytical Techniques to ensure Food Quality and Safety issues at CFTRI Campus, Mysore.	CFTRI, Mysore.
10	October 2018	Short Term Program. On Advanced Analytical Tools in Microbiology	CFTRI, Mysore.
11	October 2018.	Management Development Program on Advanced Public Procurement 2018-19	NIFM, Faridabad
12	November, 2018	Two days Training Programme for ISO Coordinators (Management Representatives (MRs) of ISO 9001 Quality Management Systems and Allied Management Systems.	Kerala State Productivity Council, Kalamassery.
13.	February 2019	Training Programme on Laboratory Management System as per ISO-IEC 17025 : 2017 & Internal Audit	Indian Rubber Manufacturers Research Association, Affiliated to DIPP, MoC & I, New Delhi.
14	February 2019	Training Program on Laboratory Requirements towards Accreditation to ISO 17025:2017 Standards	CFTRI, Mysore.

C Training Programmes

a) Training Programmes for the Technical Personnel from Spice Industry

During the year 2018-19, the laboratory

conducted following training programs on the analysis of spices and spice products for Physical, Chemical, Residual and Microbiological parameters. At QEL, Kochi a total of 16 members including technical peronnel from various Spice



Industries participated in the programs.

- i. Training programme on analysis of Mycotoxins and Illegal dyes in spices and spice products-3rd to 7th December 2018 - 7 Nos
- ii. Training programme on Microbiological analysis of spices/spice products using USFDABAM/Automated methods- 4th to 8th February 2019 - 4 Nos
- iii. Training programme on Physical & Chemical analysis of Spice/spice products-10th to 14th December 2018- 5 Nos
- iv. QEL, Mumbai conducted training of "Good Food Laboratory Practice" in collaboration with FSSAI during 21/01/2019 to 25/01/2019.
- v. Scientist from QEL, Mumbai conducted training for spice exporters on 'Chemical and microbial quality of spices' on 01.11.2018.

b) Other training program details

- Scientist C, QEL, Chennai was a faculty for training for 'Farm Workers on Food Safety in spices and Culinary Herbs' conducted by the Spices Board, CII & Joint Institute of Food Safety and Applied Nutrition (USA) at Hyderabad on 25.02.2019.
- Scientist C, QEL, Delhi was a faculty for training on Development of experts in State Govt. on Quality Control, export procedure, product certification and other certifications deemed necessary for the export of spices at Dept of Horticulture & food processing, Dehradun, Uttarakhand on 13/10/2018
- As part of CTC Cell, Scientist C, QEL, Delhi was a faculty for Master Training program on Food Safety and Supply Chain management in Spices. More than 70 farmers, farmer

groups and Exporters who have backward Integration /linkage with farmers attended this training programme at Mehsana, Gujarat during 21-22, February, 2019 by Scientist C, QEL, Narela

D) Participation in National and international meetings:

The laboratory actively participates in National/ International meetings related to the Quality issues, formulation of specification etc. for Spice /Spices products. During the year 2018-19 technical staff from the laboratory attended the following events:-

- 4th session of Codex Committee on Spices and Culinary Herbs at Kovalam, Kerala, during 21st to 25th January 2019.
- 24th Meeting of IPC Committee on Quality" at Ho Chi Minh City, Vietnam, during 4th-5th September 2018.
- Regional Seminar - QITP programme at Ratnagiri on 27th Feb 2019.
- Second Shadow Committee Meeting for 41st Session of Codex Alimentarius Commission at FDA Bhawan, New Delhi on 07/05/2018.
- Agmark Standard committee Meeting for draft notification for Agri commodities held at DMI, Faridabad on 07/09/2018.
- Integrated Assessment with EIC, APEDA and other Commodity Boards organized by NABL at India Habitat centre, Lodhi road, New Delhi on 26-06-2018.
- Made presentation about "Export of Spices - SPS and Quality Issues" at "Specialized Training Programme on Standards, Regulations and WTO SPS and TBT Measures" at IIFT on 30/11/2018 to 27 international delegates from 18 countries.
- "National Eat Right Mela" organized by



FSAI at Indira Gandhi National Centre for the Arts during 14-16 December, 2018. One stall displaying different spices & adulteration practices prevailed in spices was arranged by Scientist C, QEL, Narela.

E) ISO systems related activities

- QEL, Tuticorin is in the process of completing documentation/related works towards ISO / IEC 17025:2017 Accreditation. Internal audit of its ISO / IEC 17025 Quality system has been scheduled for 30-04-2019 and 01-05-2019
- QEL, Chennai has completed desktop audit and intimation on continued compliance as per ISO:IEC 17025:2005 received from NABL (Certificate No: TC 7104 dated 28/3/2018 valid up to 27/03/2020)
- NABL desktop surveillance audit was conducted successfully and accreditation continued as per letter from NABL dated 13/03/2019 at QEL, Mumbai
- QEL Kochi successfully completed the Desktop Surveillance Audit under 17025:2005 system by NABL on 27/09/2018. The accreditation is valid until 23/11/2019.
- QEL Kochi also completed the recertification audit by British Standard Institution (BSI) for the combined implementation of ISO 9001:2005 & ISO 14001:2015 as a Quality and Environmental Management system (QEMS) in August 2018. The certification is effective from 7-8-2018 and is valid until 6-8-2021.
- For renewal of NABL accreditation, QEL, Delhi has undergone renewal assessment by NABL auditors on 14th -15th July-2018. The lab has successfully got renewal of NABL accreditation till 21/09/2020 for Chemical & Microbiological testing.

F) ASTA Check Sample Programme

During the year QEL Chennai, Mumbai, Delhi,

Kochi, Guntur and Kandla participated in ASTA series no 13, 14, 15 and 16 studies for the parameters - Colour value & Capsaicin in the matrix Red Pepper; for the parameters - volatile oil, moisture & piperine in Black Pepper. Z score of all studies is in acceptance limit and corrective action taken wherever deviation was observed.

G) Spices Board check samples programme/ proficiency testing programme

- QELs conducted Inter-Laboratory Check Sample Program for various physical, chemical, residual and microbiological parameters and the results were well within the limit of "Z" score.
- Under the proficiency-testing program conducted by various International agencies like FERA, FAPAS, UK & Ashvi PT Providers all the laboratories actively participated in various parameters like Aflatoxin, Ochratoxin-A, Heavy Metal lead and copper, Moisture, Total Ash, Acid Insoluble ash, Crude fibre, NVEE, Starch, Curcumin and the results obtained were satisfactory, where deviations were found corrective actions were taken after root cause analysis.
- Quality Evaluation Laboratory, Kochi conducted four rounds of Inter laboratory check sample program with private testing labs and other QEL'S for the parameters Sudan I-IV (Illegal Dyes). The performance of QEL, Kochi was satisfactory in all the rounds of the ILC programs.
- Under the FAPAS proficiency-testing program, QEL Kochi participated in PT programme for Aflatoxin and Ochratoxin A (4 No.s) All the results submitted by the laboratory are found well within the Z score limit. Also the laboratory participated in a national PT program conducted by the M/S. Ashvi P T for the parameters heavy metal (Pb, Cu and Cd), Moisture, Total Ash, Volatile Oil and Non



Volatile Ether Extract (2 No.s) and the results are found to be well within the the Z score limit.

- For microbiology test parameters the laboratory participated in PT Program with ILT - Inter laboratory Test S.A, Argentina for Total Plate Count, Total Coliform Count, E. coli, Positive Staphylococcus aureus coagulase, Clostridium Perfringens and Salmonella.
- QEL-Kochi, Mumbai, Chennai, Narela, Tuticorin and Guntur participated in FAPAS Proficiency test program conducted for the analysis of Salmonella for analysis of Salmonella and the results were satisfactory

H) Harmonization of standards for Spices:

The staff from the laboratory participated in meetings for the Harmonization of Indian standards with ISO standards and FSSAI, which is being carried out in collaboration with the Bureau of Indian standards (BIS), FSSAI and ISO Secretariat. The laboratory staffs from QEL actively participated in the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH 4) 21-25 January 2019, Thiruvananthapuram by heading the various electronic working groups to formulate specifications.

I) Projects/standardization work undertaken

- a) At QEL, Chennai - Project on Chemical profiling of volatile oil in large cardamom for the detection of adulteration is in progress.
- b) During the period of review -Pilot Study

“on outsourcing the analytical works” was conducted and report was submitted to the Spices Board, HO.

- c) The laboratory has entered into a collaborative study with M/s Agilent Instruments, for standardizing and optimizing GC MS/MS methods for around 100 pesticide residues in spices. The work is being taken up by the QELs that have Agilent GC MSMS systems, viz. QELs- Kochi, Chennai, Guntur, Mumbai and Kandla. Under the project, Agilent application support officials and service engineers will visit each participating laboratory to coordinate the study. The work is being taken up in two phases. The first phase, in QELs Kochi, Chennai and Guntur, have already been completed. The second phase in QELs Kandla and Mumbai will be taken up in second week of June 2019.
- d) Additionally QEL, Kochi also standardized following parameters -
 - Curcumin- ISO Method in Turmeric
 - Moisture- ISO Method in Saffron
 - Sludge Analysis

J) Strengthening of Labs Infrastructure & Purchase of Equipments

Construction works for QEL, Kolkata is in process. Pre installation works are scheduled to be completed by June 2019. Subsequent to the same, equipment will be installed for testing chemical contaminants in spices. Purchase of other heating and standard microbiological equipment is being done through GeM. The lab is expected to be operational in 2019.



9. EXPORT ORIENTED RESEARCH

Indian Cardamom Research Institute undertook research programmes mainly on Crop Improvement, Biotechnology, Crop Production studies based on Nutrient Management and soil analysis, Crop Protection studies based on Integrated Pest and Disease Management, in small and large cardamoms as well as adaptive trials on other spices during the reporting period.

A. CROP IMPROVEMENT

a) Small cardamom

During the reporting period, 15 unique accessions of Small Cardamom were collected and were planted for multiplication for adding to the gene bank at ICRI, Myladumpara. At Sakleshpur, Karnataka 4 unique accessions of small cardamom were collected and multiplied.

The National germplasm conservatory at ICRI, Myladumpara presently holds 563 accessions of Small Cardamom and 12 allied genera and in ICRI Sakleshpur, the gene bank holds 251 accessions of Cardamom and 10 allied genera.

During the current year, produced and supplied 6500 suckers of released/improved lines of Small Cardamom from ICRI, Myladumpara and 4350 planting materials of selected lines of small cardamom were produced and supplied from ICRI, Sakleshpur to the needy farmers.

Evaluation of 150 accessions of small cardamom in the germplasm repository was carried out as part of Preliminary Evaluation Trials (PET) at Myladumpara and 50 small cardamom accessions in the germplasm repository was carried out in Sakleshpur. Hybridization programme on small cardamom was undertaken at Myladumpara and Sakleshpur. Hybrid seedlings were planted in the field for evaluation.

Experiments under the ICAR-Spices Board collaborated project, All India Coordinated

Research Project on Spices (AICRPS) were continued and data were recorded at Myladumpara & Sakleshpur.

Under adaptive trials of other spices, performance evaluation of Black Pepper varieties was carried out at Myladumpara.

b) Large cardamom

Surveys conducted at Dzongu area of North district of Sikkim resulted in collection of two unique germplasm of large cardamom belonging to Varlangey cultivar. The two accessions (SCC 307 and SCC 308) were added to germplasm repository at Pangthang research farm for further trials.

B. BIOTECHNOLOGY

a) Small Cardamom

Diversity analysis of land races of small cardamom and black pepper was carried out using molecular markers. Diversity analysis in land races of Small Cardamom revealed high polymorphism that could be further utilized for identifying races in future breeding programmes of cardamom. Analysis of putative genes involved in cardamom Azhukal tolerance was carried out. Sequence analysis for the presence of reference gene/ housekeeping gene sequences was done. Analysis of molecular transcripts in small cardamom revealed abundance of important genes homologous to disease resistance in other agricultural crops. The transcripts also revealed possibility of presence of putative genes responsible for Taxol biosynthesis in small cardamom which is under analysis. DNA profiles of Indian cardamom and those of Guatemalan cardamom as part of analysis of Geographic origin revealed high levels of polymorphism which is a lead to specific marker development. RNA isolation and analysis of katte virus as well as phyllody affected cardamom samples was carried out. Tissue Cultures of



small & large cardamoms, pepper, vanilla, ginger and herbal spices were initiated. Morphological characterization of *Fusarium* collected from cardamom rhizosphere at 21 different locations in Idukki district was carried out and cultures were generated and processed for further molecular characterization.

Demonstration and hands on training on DNA Profiling, Bioinformatic techniques and mining of micro-satellite markers was imparted to project trainees. Hands on Training on DNA Profiling to Medical students, and Tissue Culture, Meristem Culture etc. of Spice plants was imparted to PG trainees and students from Agri Varsities.

b) Large Cardamom

Analysis of chirkey virus disease related transcripts was carried out in large cardamom. Genetic diversity analysis of different accessions and mining of micro satellite markers was carried out in large cardamom. Diversity analysis of natural varieties/cultivars of large cardamom is in progress. RNA isolation and analysis of chirkey virus affected large cardamom samples was carried out.

C. AGRONOMY AND SOIL SCIENCE

Small Cardamom

Focal areas of research of Agronomy and Soil Science Division include assessment of soil fertility status of cardamom tracts on continuous basis in Kerala and Tamilnadu through advisory soil services, water management, organic farming, monitoring of pesticide residues, studies on climate change and post harvest processing.

A total of 1649 soil samples received from cardamom planters were analyzed for all nutrients and pH levels. The soil test reports revealed soil acidification as a major problem in cardamom growing tracts (70 per cent) necessitating the application of soil amendments (Lime or Dolomite). Around 50 percent of the soils were

found to have very high phosphorus content necessitating judicious application of phosphatic fertilizers. Among secondary nutrients, the deficiency of sulphur was observed to the tune of 87 per cent of soil samples analyzed. Among micro nutrients, boron was deficient in 69 per cent of the soil samples analysed. Educated the farmers about accumulation of phosphorus levels in soil and beneficial role of elemental sulphur in increasing productivity and quality of cardamom.

Application of coffee pulp compost along with bio fertilizer consortium recorded on par yield with recommended NPK fertilizers in cardamom under Karnataka conditions. Supplementing cardamom by irrigating at IW/CPE ratio 0.75 was found to improve cardamom productivity. Foliar application of NPK straight fertilizers above 5 per cent resulted in phyto toxicity in cardamom (Malabar type). Weather data was recorded regularly and provided to different stake holders in spice industry.

Survey was carried out for collection of soil and plant samples from high and low productivity areas of large cardamom plantations from Sikkim, West Bengal, Arunachal Pradesh and Nagaland states of India. Treatment of foliar application of Borax @0.5%+ soil Borax @2.5 kg /ha recorded highest dry yield (5.77 q/ha) and maximum B: C ratio (2.51) as compared to control.

In large cardamom *in-situ* soil moisture conservation practices revealed, surface mulching as retaining significantly higher soil moisture content. Treatment having half-moon shape trench at base of clump found maximum dry yield (7.24 q/ha) and recorded highest B:C ratio (2.70) as compared to control in large cardamom.

D. PLANT PATHOLOGY

a) Small Cardamom

Study conducted on pesticide residue removal mechanism, from fresh capsules of small



cardamom using different surface cleaning agents viz., Ozone, Veg Fru Wash, Vinegar, Hydrogen Peroxide etc revealed that, Ozone followed by veg fru wash were effective in removing the Phosalone residue at 46.93 per cent, and 28.57 per cent respectively. Fosetyl-Al 80WP was found to be effective in reducing the incidence of *Phytophthora* leaf infection in small cardamom. Two fungal pathogens of small cardamom causing leaf blotch (*Phaeodactylum alpiniae* (Sawada) M.B. Ellis (NFFCI 4487) and capsule rot (*Phytophthora meadii* McRae (NFFCI 4488) were isolated and identified. The type specimens were deposited with National Fungal Culture Collection of India (NFCCI). Soil application of dolomite and its combinations were found to reduce the population of soil borne fungal pathogens. Periodical survey on diseases of small cardamom was carried out in Idukki District. Fusarium infections in small cardamom at various locations were recorded, the pathogens were isolated, identified and maintained the pure culture. Cardamom phyllody disease (a new disease on small cardamom) was reported from Mavady in Idukki district during October 2018. The most characteristic symptoms developed during flowering where the lower most floral buds on the panicle were observed to be modified into vegetative tillers that looked similar to normal tillers and in most cases, the tillers generated roots. In some cases, the floral bud turned into an abnormal tiller with scaly leaves that were dark green and leathery. Branching of the panicles was also observed. DNA isolation from phyllody symptomatic small cardamom plants (samples of root, mid rib and panicle) was completed. Molecular characterization using three ISSR primers viz., ISSR-8, 5 & 10 was done. ITS-1 & 2 region of rDNA of 18 leaf blotch pathogen isolates were undertaken and the ITS 1 & 4 region was eluted and sent for sequencing. Three fungal cultures were isolated from Leaf blight infected small cardamom plants and pathogenicity studies were conducted. Rot escapes of small cardamom

were collected and established the ICRI farm for further evaluation.

Short-listed cardamom accessions tolerant to rhizome rot (SKP 189, 136, 229, 110, 158, 165, 166 and 175) and capsule rot (SKP 5, 110, 163, 166, 167, 175 and 283) and were planted in the field for multiplication, and further evaluations were monitored in Saklespur in Karnataka. Five OP seedlings of cardamom previously short listed for resistance to *Pythium* and *Rhizoctonia* were established in the field for multiplication. In addition, 3000 OP seedlings were raised from 32 parent lines for screening against the rhizome rot pathogens. Twelve short-listed strains of bio-agents were evaluated in the field for the management of rhizome rot and capsule rot. Six accessions (SKP 80, 81, 182, 116, 134 & 191) of cardamom selected after initial screening in poly house are being evaluated in the field for resistance to katte and there was no disease incidence during the season.

b) Large Cardamom

Five blight disease escape lines of large cardamom collected from different tracts of large cardamom growing areas of Sikkim and Darjeeling & Kalimpong districts of West Bengal were multiplied. Mass multiplied mother cultures of *Pseudomonas fluorescens* and supplied to progressive farmers of Sikkim and Darjeeling & Kalimpong districts of West Bengal.

E. ENTOMOLOGY

Small Cardamom

Newer insecticide molecules viz., fipronil, imidacloprid and spinosad were applied in the AICRP thrips management trial. The insecticide "Hunk" was applied in the field at five locations viz., Myladumpara, Vellimala, Sakleshpur, Gudalore and Adalore as part of the externally funded project by Rallis. Observations were recorded on insects trapped in the yellow and blue



sticky traps in cardamom field. Thrips population was recorded in different cardamom lines and evaluation is underway. A total of 38,224 EPN infected *Galleria* cadavers, a bio-agent were produced in the Division and supplied to needy farmers and ICRI farm, covering 21.71 acres for the root grub management in small cardamom in Idukki Dt of Kerala. Short-listed cardamom accessions tolerant to capsule borer, thrips and shoot fly were established in the field in Saklespur. Damage due to shoot and capsule borer, shoot fly and thrips were recorded.

F. TRANSFER OF TECHNOLOGY

a) Small Cardamom

The ICRI organized training programmes on Good Agricultural Practices on Spices crops for Tribal Women farmers of Chhattisgarh, farmers of Krishnagiri district (Tamil Nadu), tribal farmers of Sikkim and North East region during 2018-19. Hands on Training on bio agent production" was imparted to 72 cardamom farmers. Co-ordinated and organized ten spice clinics in Idukki district for cardamom and black pepper farmers of Idukki district. Two hundred and seventy eight farmers were benefited from the programme. Scientific advice on disease management in small cardamom and other spices was extended to two hundred and seventeen farmers of small cardamom and black pepper. Microbial analysis for bio control inputs were carried out for twenty one beneficiaries. Mass multiplied and supplied mother cultures of bioagents such as *Trichoderma harzianum* (1621.5 liters), *Pseudomonas fluorescens* (1890 liters) and Arbuscular mycorrhiza (10 kg). Integrated Pest and Disease Management (IPM) Campaign and field visits were conducted for 32 locations which benefited 908 cardamom, pepper, nutmeg and other spices farmers in Idukki district. Distributed 6445 nos of quality planting materials of black pepper and small cardamom suckers. Skill Development programme in spices cultivation

was conducted for 40 labourers of ICRI. Training was imparted on Plant propagation techniques of cardamom, black pepper, vanilla, nutmeg and herbal spices; on Plant Tissue Culture, hardening of TC plants; INM, IPM & IDM on cardamom, EPN and other Bio agent mass production; Crop production activities including Good nursery & lab practices.

Scientists participated in various QITP programmes at Kerala, Karnataka & Tamil Nadu. They have given lead talks on related disciplines at different platforms including IPM campaigns, Scientist – Farmer interfaces, Seminars, Symposia and at Educational institutions.

Swachhta Hi Sewa Programme and Swachhta pakhwada was organized at Myladumpara for housekeeping staff, school children and local community. Organized Hindi Fortnight celebration 2018 by conducting various competitions in Hindi.

Industrial visits, PG & UG projects and internship programme was conducted at ICRI, Myladumpara which benefited 185 students from various colleges in Kerala and Tamil Nadu region. PG & UG projects/ internships were of 1-3 months duration. Four Ph. D students are presently pursuing their doctoral programmes in various disciplines.

The estimated revenue from ICRI main station was around Rs.13.31 lakhs through service charges and sale of farm produce (small cardamom), planting materials, bio agents.

b) Large cardamom

Four numbers of Spice Clinic Programmes were conducted in Sikkim and Darjeeling district of West Bengal and 125 farmers were benefited from these programmes during the reporting period. Nine numbers of farmer's training programmes were conducted and 460 farmers and officials were benefited. Sixty seven numbers of large cardamom plantations in North East India were



visited during the period and advisory services were given to the farming community by the scientists of the station. Scientists represented the Spices Board in 29 different meetings organized by various departments of State and Central Govt. and based on the agenda, necessary inputs were provided. Five hundred and eighty five farmers, officials and students visited the ICRI-RRS, Tadong and Pangthang Research farm from different states of India and Nepal as part of exposure visits.

G. GENERAL

Plant Protection Code for large cardamom was finalized and approved by expert committee including Secretary HC & DD, Govt. of Sikkim, Horticulture Commissioner, Govt. of India, Director, IISR, Director, DASD & Chairman of Accreditation Committee. Package and practices was also prepared for modern sucker nursery production in large cardamom.

Scientists in association with Development Department conducted survey and assessment of Cardamom plant/crop loss due to recent flood in Kerala and a report was submitted to Head Office for submission to MoC. Similarly, crop loss (spices) assessment survey was conducted in Karnataka State by RRS and Development Department Officials and the report was submitted to Head Office. Scientists from ICRI and RRS participated in the crop loss assessment conducted by ICAR and State Agriculture Depts.

Scientists coordinated thirteen programmes of RPL (Recognition to Prior Learning) under ASCI, PMKVY that were conducted at different regions all over India and 439 number of agriculture workers/ farmers were awarded certificates under their respective skill developments/job roles for various categories of Agriculture.

Scientists participated in a 3 days ToT programme for implementation of Bio diversity action plan for Spices in Western Ghats of India organized under Indo German Biodiversity programme. Scientists participated in various national and international symposia and presented research papers in their relevant fields. These include the 23rd Plantation Crops Symposium held at Chickmagalur, XXIX Workshop of All India Coordinated Research project on Spices (AICRPS), International Symposium on "Advancement in Soil, Water and Plant Nutrition Research (ISSWPNR-2018)"; 9th National Extension Education Congress-2018 on "Climate Smart Agriculture Technologies: Innovations and Interventions"; International Symposium on "Evergreen Oak Forests in the Eastern Himalayas"; National Seminar on "Himalayan Medicinal Plants for medicine and health: The way forward" etc.

The 30th Annual Research Council (ARC) for small cardamom was conducted at HO Kochi during February 2019 and 26th ARC for large cardamom was held at Tadong, Sikkim, during which the progress of work of Scientists was reviewed by external experts from concerned disciplines.



10. INFORMATION TECHNOLOGY & ELECTRONIC DATA PROCESSING

The activities of the Board have changed significantly with the leverage of information technology. Many manual operations are replaced with online systems which effectively reduce the workload of various departments of the Board and reduce the turnaround time for their operations. EDP department facilitates the use of information technology in various departments of the Board by working along with them. In effect, this makes the whole system faster and more productive and enables the Board to perform more efficiently.

Main activities of EDP department are

- ❖ Advise, guide and assist various departments and offices of the Board for the effective use of Information Technology.
- ❖ Help desk management for existing applications, messaging solutions, Internet and Web site maintenance
- ❖ Administration of organization wide IT resources namely hardware, software, databases, networking and peripheral equipment.
- ❖ Formulate strategies for technology acquisition, integration, and implementation.
- ❖ Upgradation of IT infrastructure.
- ❖ Defining and implementing systems and procedures for the smooth functioning of IT equipment and software.
- ❖ Data Processing
- ❖ Identify the need for new systems (or modifications to existing systems) and respond to requests from users.
- ❖ Design, development, documentation, testing, implementation and maintenance of Information Systems and application software.
- ❖ Maintenance and updation of the Board's web sites indianspices.com, spicesboard.in, indianspices.org.in, worldspicecongress.com and ccsch.in
- ❖ Formulate and conduct Computer training programmes.



11. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

The Right to Information Act 2005 (22 of 2005) was enacted by Parliament and the assent of the President was obtained on 15th June 2005. The objective of the Act is to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. The citizens can have access to the information of the Board under the provisions of the Right to Information Act except certain information as notified under Section 8 of the Act and can may obtain the information about the Board on payment of a prescribed fees.

The Board has effectively implemented the RTI Act 2005 and complied with all the directions of the Government in this regard. The Board has designated the Deputy Director (Audit & Vigilance) as the Co-ordinating Central Public Information Officer for coordinating the dissemination of information by CPIOs and PIOs. The Board has designated seven Central Public Information Officers (CPIOs) in HO to disseminate information under Right to Information Act 2005 and 21 Central Assistant Public Information

Officers (CAPIOs) in the field units under Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005. The Director (Mktg), Spices Board is nominated as the Nodal Officer for ensuring compliance with the proactive disclosure Guidelines of the RTI Act 2005 & Appellate Authority of the Board to hear appeals under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005. The Deputy Director (EDP), has been designated as the 'Transparency Officer' of the Board to oversee the implementation of obligations under Section 4 of the RTI Act. The Board has disclosed every information required to be disclosed *suo motu* in such form and manner, which is accessible to the public [Section 4(1) of RTI Act 2005] through the Board's official website. During 2018-19, a total of 71 RTI applications through physical and through the online portal and 5 appeals were received under the RTI Act and information disseminated to all the cases within the stipulated time. No CIC hearing held during this period. An amount of Rs.230/- was received as RTI registration fee. The Quarterly RTI Returns (1st quarter to 4th quarter) were updated in the Central Information Commission's website as scheduled.



Appendix I

	Paras in Statutory Audit Report 2018-19	Reply/Action Proposed
A	Balance Sheet	
1.	Liabilities	
1.1	Corpus/Capital Fund & Liabilities Current Liabilities and Provisions: Rs.207.04 crore	
	<p>Above is understated by Rs. 1.54 crore due to non-provisioning towards revenue expenditure incurred during the period 2018-19 and remained unpaid on 31st March 2019. This has resulted in understatement of excess of expenditure over income for the current year.</p>	<p>The Board used to make the payments to all the vendors as and when receive the invoices. The Board's 106 outstation offices are getting service from different vendors. In many cases the Board will get the invoice of the service availed during the last quarter, after completing the year end only. More over the Board system does not have an automated advance settling module while making the payments next year. If we do this manually, chances of non-traceability is more, which will create further complications. Since the Board has more than 100 outstation offices where all these expenditure are incurred, this will be possible only if the Board is having an integrated automated advance settling module in which all the out station offices can update the data.</p> <p>In view of the above the AE may please be dropped.</p>
1.2	Current Liabilities & Provisions Provisions : Rs.197.54 crore	



<p>Contrary to the provisions of Accounting Standard-15, the Board did not carry out actuarial valuation for retirement benefits of employees as on 31st March 2019. The Board has conducted actuarial valuation during 2015-16 as per which the actuarial liability was valued at Rs.226.23 crore as against which the provision was for only Rs.197.54 crore as on 31st March 2019.</p> <p>The comment was also raised in the SAR for the years 2016-17 and 2018-19, however, no corrective action taken by the Board</p>	<p>It may please be noted that the concept of Actuarial valuation is an Extreme Hypothetical Eventuality. Since the inception of the Board the pension and retirement benefits of the Board has been met from the annual Budget received from the Government. The Rules and Regulations/ Bye laws governing the service conditions of the employees of the Board state that, the CCS Pension Rules 1972 is applicable in the case of Employees, Pensioners/ family pensioners of the Spices Board by virtue of Section 6(1) (e) of the Spices Board Act 1986 read with Rule 30 of the Cardamom Rules 1966 promulgated under Section 33 of the Cardamom Act 1965 (42 of 1965). LIC has calculated the actuarial valuation of the Board's pensionary liabilities as on 31.03.2016. The actuarial valuation from LIC of India as on 31.03.2016 comes to Rs.226.23 crore (Rs.195.93 crore for Pension, Rs.18.10 crore for Gratuity and Rs.12.20 crore for Leave Encashment). This has been arrived after considering the details of employees joined before and after 01.01.2004. Regarding employees joined before 01.01.2004 actuarial valuation is done for Gratuity, Leave encashment and monthly pension. Regarding employees joined after 01.01.2004 actuarial valuation is done for gratuity and leave encashment and we are remitting the employee and employer contribution to New Pension Scheme through NSDL.</p>
---	--



		<p>Out of the total value of Rs. 226.23 crore the Board has been already provided Rs. 82.76 crore till 31.03.2015. The remaining amount is Rs.143.47 crore. As this is an extreme hypothetical eventuality, if we provide the total amount in a single financial year the impact of excess expenditure over income will be so high compared to the grant received from the Ministry. In view of that the Board decided to apportion the remaining amount of Rs.143.47 crore equally over a period of five years ending 2019-20. Accordingly an amount of Rs. 28.69 crore (Rs. 25.71 crore towards Superannuation, Rs. 1.66 crore towards Gratuity and Rs. 1.32 crore towards Leave encashment) is being provided since 2015-16. The Board proposed to do actuarial valuation during 2019-20.</p> <p>In view of the above the AE may please be dropped.</p>
1.3	<p>Corpus/Capital Fund & Liabilities Earmarked/Endowment Funds:Rs.229.77crore Pension Liabilities: Rs.51.19 crore</p>	
	<p>Above is understated by Rs.4.78 crore due to accounting of interest earned (Rs. 2.94 crore) and Interest accrued (Rs. 1.84 crore) on the Funds as income in the Income and Expenditure Account instead of crediting the same to the Fund under the head "Income from investments made on account of funds". This has resulted in understatement of Earmarked/Endowment Funds and excess of expenditure over income by Rs.4.78 crore.</p>	<p>The observation made by the audit is well noted. The interest received out of the earmarked pension fund will be shown in the earmarked schedule from next year onwards.</p> <p>In view of the above the AE may please be dropped.</p>
2.	<p>Assets</p>	
2.1	<p>Fixed Assets less Depreciation: Rs. 220.86 crore</p>	
	<p>Above is overstated by Rs.0.86 crore due to inclusion of expenditure incurred towards procurement of Aflatest P Columns, which is a consumable item and needs to be charged to Income and Expenditure account. This has resulted in overstatement of Fixed Assets with corresponding understatement of excess of expenditure over income by Rs. 0.86 crore.</p>	<p>The observation made by the audit is well noted. Necessary rectification has been noted for reversing the excess depreciation and excess addition to the lab equipment as a prior period adjustment during 2019-20.</p>



2.2	Investments – Others – Rs.2.77 crore Equity Fund Contribution – Rs. 2 crore	
	The above is overstated by Rs.2 crore due to non-accounting of the loss under equity participation scheme and classification of fund balance with North Eastern Development Finance Corporation Limited (NEDFI) under Investments instead of advances. This has resulted in understatement of excess of expenditure over income by Rs.1.33 crore and Advances by Rs.0.67 crore	Available file regarding NEDFI has been given to Audit. The observation made by the audit is well noted. Since the recovery of the same is uncertain, moreover the balance is carried forward more than ten years the same will be charged to I&E to account the loss during the next finalization as suggested by Audit.
B.	General	
1.1	Land : Rs.12.15 crore	
	As per the Uniform Format of Accounts, freehold and leasehold needs to be shown separately under the major head 'land'. However, the same is not being followed by the Board.	The observation made by the Audit is well noted. The necessary details regarding leasehold and freehold land will be separately shown as per the details required by the Audit.
1.2.	Contingent Liabilities and Notes on Accounts	
	The fact that the Board has a wholly owned subsidiary, ie. Flavourit Spices Trading Limited has not been disclosed, as per the requirements of AS – 18.	It may please be noted that since the FSTL is a separate profit oriented entity and the Board is just a regulatory authority, which does not even have a profit and loss account. The observation made by the audit can only be done in consultation with the FSTL empanelled audit and with the concurrence in the Board meeting. In view of the above the AE may please be dropped.
1.3	Significant Accounting Policies Impairment of Assets	
	Since the Board has not conducted any review of assets for impairment loss. The statement that 'As on the Balance Sheet date, the Board has assessed the Recoverable value of Assets in line with A2-28 issued by ICAI' is factually incorrect	It may please be noted that the Board is having less than 350 staffs against the sanctioned strength 513. In such a situation is practically difficult to form a team and inspect all the outstation office assets and to calculate its carry over value. Even though it is assumed that the realization value of the Boards Plan Assets including land will be more than its book value. In view of the above the AE may please be dropped.
D.	Grant-in-aid	



	<p>Unutilised grants (excluding Internal and Extra Budgetary Resource) carried forward from previous year 2017-18 was Nil. During the year, grants amounting to Rs.90.93 crore was received from Government of India out of which an amount of Rs.87.97 crore was utilised. An amount of Rs.2.96 crore was refunded to Government of India as unutilised grant leaving a balance of Rs.Nil at the end of the year.</p> <p>Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.</p> <p>In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure – I to this Audit Report gives a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:</p> <p>(a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Spices Board as at 31st March 2019; and</p> <p>(b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date</p>	
	<p>ANNEXURE - I</p>	
<p>1</p>	<p>Adequacy of Internal Audit System</p>	
	<p>During the year 2018-19, the Internal Audit Division had not conducted audit of any of the units of the Board (including Head Office).</p>	<p>It may please be noted that the Board has more than 100 out station offices. The activities in these outstation offices include the asset maintenance, sending bills & vouchers for recoupment, and Cash book maintenance. The recoupment of all these out station offices are scrutinized and the necessary corrective action has been suggested as and when the recoupment request has been received. All the outstation offices are maintaining the asset register and cash book in a systematic way. The Board proposes to entrust internal audit of the Board's offices with IPAI.</p>
<p>2</p>	<p>Adequacy of Internal Control</p>	
	<p>a) Internal control system is inadequate and not commensurate with the size and nature of the Board</p>	<p>It may please be noted that the Board has more than 100 out station offices. Due to shortage of staff below the sanctioned strength and frequent monthly retirement of staff from the key posts and non-filling of the vacant post which needs approval from the Ministry, the internal control is affected. This can be strengthened only when the Board is having at least the sanctioned strength of staff. However with the joining of the Director (Finance), the Board will be in a position to strengthen the internal control system.</p>



	<p>b) Non-migration of data from previous accounting software resulting in non-availability of details for opening balances in iDempere has rendered the accounts unreliable</p>	<p>It may please be noted that when the Board has implemented iDempere during 2015-16, the closing balance as per the balance sheet of 2014-15 has been incorporated as a journal entry by the developers. iDempere has the option to generate the trial balance for any period. All the current year entries, which is Scheme/ Programme wise available with the system in excel format. Then the opening balance as per the last year is added manually to it for preparing the schedules. It may please be noted that the System was developed with the limited budget allotted to the Board. The Board is not financially sound to go for SAP/Oracle based ERPs which costs crores of rupees for implementation and has a huge financial impact for the yearly licence fees. Secondly the iDempere will carry forward the opening balance of all account heads including income, expenditure, asset and liability codes etc. to the next year. As clarified by the software developers it is not possible to block the system from carry forwarding the closing balance of income and expenditure codes. Then the other way out is to pass a journal entry to set off all the income and expenditure codes after completing a financial year. If done like that as they have said, there is another issue - the expenditure report of the previous year, for which we have passed the set of entry, will be nil. As we have to retain the expenditure details of the previous years for any future requirement from the Ministry/Audit, we cannot do this also.</p>
<p>3.</p>	<p>System of physical verification of fixed assets</p>	



	<p>The physical verification of fixed assets was not conducted during the year 2018-19.</p>	<p>Based on the observation made by the Audit once an attempt has been made to update the physical verification of Assets manually by deputing a team. But conducting physical verification of all the assets pertaining to 106 outstation offices is practically not possible at that stage in view of increasing activities and decreased manpower and limited budget. Again the Board has recently developed an Asset Management System and entrusted one staff to record all the asset purchases since the inception of the Board. This was subject to the availability of the documents from all the Board's offices. When we started the entry of all purchases we found it difficult to get all the purchase invoices at this stage. More over the Asset management system does not have the facility to generate depreciation and does not have direct link to accounting software. But the balance in the Schedule can be taken as final since it will be recording all the transactions as and when the purchase was done. The depreciation is also accounted accordingly. It may please be noted that the Board is having less than 350 staffs against its sanctioned strength 513. Because of this the Board is facing practical difficulty in doing the physical verification by forming a team.</p>
<p>4.</p>	<p>System of Physical verification of Inventory</p>	
	<p>The physical verification of inventories was not conducted during the year 2018-19.</p>	<p>The Major inventory of the Board is the inventory in research farm and the inventory of lab consumables. All the closing status of inventory as on 31.03.2019 has been given to audit. But the requirement of physical verification certificate has been communicated to the QEL Kochi as suggested by Audit.</p>
<p>5.</p>	<p>Regularity in payment of Statutory Dues</p>	
	<p>The payment of GST was made by the Board belatedly and late fee amounting to Rs.2.90 lakh was paid</p>	<p>It may please be noted that the Board had to take GST registration for 21 states separately. The said delay happened due to the delay in getting the details of data from various locations due to staff shortage. Maximum care will be taken to avoid delay to the best possible extent.</p>



1851

